



सत्यमेव जयते

आई एस एस एन ISSN 0971 5398

श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका
POCKET BOOK OF
LABOUR STATISTICS
2009

भारत सरकार

Government of India

श्रम और रोजगार मंत्रालय

Ministry of Labour & Employment

श्रम ब्यूरो

Labour Bureau

शिमला/चण्डीगढ़

Shimla/Chandigarh



सत्यमेव जयते

श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका
POCKET BOOK OF
LABOUR STATISTICS
2009

भारत सरकार

Government of India

श्रम और रोजगार मंत्रालय

Ministry of Labour & Employment

श्रम ब्यूरो

Labour Bureau

शिमला/चण्डीगढ़

Shimla/Chandigarh

प्रस्तावना

श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2009 के वर्तमान संस्करण में संक्षिप्त रूप में श्रम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में क्रमिक सांख्यिकी प्रस्तुत हैं, इनमें नियोजन, मजदूरी और उपार्जन, मूल्य, औद्योगिक विवाद, दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति और सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं। कुछ देशों के संकेतसूचक, भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण श्रम कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। सारणियों के अन्त में विभिन्न सारणियों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी दी गई हैं। इस संस्करण में प्रस्तुत आंकड़ें, क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अभिकरणों द्वारा आपूर्त किए गए हैं। जहां तक संभव हो सका है, नवीनतम सुलभ सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक प्रयास किया गया है।

श्रम ब्यूरो, इस प्रकाशन को प्रकाशित करने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणों और विभागों तथा भारत सरकार के अन्य संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञ है। मैं श्रम ब्यूरो के श्री आर० के० गुप्ता, निदेशक, श्री मोहम्मद अनवार, आर्थिक अधिकारी और श्री रवि सूद अन्वेषक श्रेणी II तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस प्रकाशन को तैयार करने में प्रयास किया है।

इस प्रकाशन के सारांश और गुणवत्ता में और अधिक सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित हैं।

श्रम ब्यूरो
शिमला/चण्डीगढ़
नवम्बर, 2010

बी एन नन्दा
महानिदेशक

PREFACE

The present edition of the Pocket Book of Labour Statistics 2009, presents in concise form, the serial statistics in respect of a number of important aspects of labour, covering information on employment, wages and earnings, prices, industrial disputes, accidents, safety and absenteeism and social security etc. Key Indicators of some countries, ILO Conventions ratified by India alongwith brief account of the important labour activities, both at National and International levels, have also been added. Explanatory notes on various tables have been given at the end of the tables. The data presented in this edition is supplied by various agencies working in the field. All out efforts have been made to present the latest available information.

Labour Bureau is grateful for the co-operation of the various agencies and departments under the Ministry of Labour & Employment and other organizations of the Government of India in bringing out this publication. We are confident that this publication would be useful for stakeholders in labour matters. My thanks are also due to Sh. R.K. Gupta, Director, Sh. Mohammed Anwar, Economic Officer and Sh. Ravi Sood, Investigator Grade II and to other officers and staff of Labour Bureau for their efforts in bringing out this publication.

Suggestions for further improvements in contents and quality of this publication are welcome.

Labour Bureau
Shimla/Chandigarh
November, 2010

B. N. NANDA
DIRECTOR GENERAL

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table	पृष्ठ Page
	भाग I PART I
	1 नियोजन Employment
1.1	(क) कारखानों में उद्योगानुसार अनुमानित नियोजन (a) Estimated Employment in Factories by Industries
	(ख) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या (अनुमानित) (b) State-wise Number of Registered Factories, Working Factories, Factories submitting returns and Workers Employed (Estimated)
	(ग) विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन (आयु एवं लिंग अनुसार) (c) Average Daily Employment in Factories submitting Returns (By Age and Sex)
1.2	मुख्य बागानों में नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या Average Number of Workers Employed in Major Plantations
1.3	विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन Employment covered under various Acts.
	2 मजदूरी एवं उपार्जन Wages and Earnings
2.1	विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries
2.2	विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन (उद्योगानुसार) Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries (By Industry)
2.3	अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी Minimum and Maximum Wages per day for the Lowest Paid Unskilled Workers

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table	पृष्ठ Page
3 मूल्य Prices	
3.1 (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100 (a) Annual Average and Month wise All-India CPI Nos. for Industrial Workers on Base 2001=100	23
(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 2001=100 (केन्द्रवार वार्षिक औसत) (b) Consumer Price Index Numbers (General) for Industrial Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average)	25
3.2 कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जून) Average CPI Numbers for Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 (July to June)	29
4 श्रमिक संघ Trade Unions	
4.1 व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में विकास Growth of Trade Unions and their Membership	31
4.2 विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता (उद्योगानुसार) Number and Membership of Trade Unions submitting returns (By Industry)	32
5 औद्योगिक विवाद Industrial Disputes	
5.1 औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थगन Industrial Disputes resulting in Work Stoppages	34
5.2 (क) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (उद्योगानुसार) (a) Mandays Lost in Disputes resulting in Work Stoppages (By Industry)	35
(ख) राज्यानुसार (b) By States	38

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table	पृष्ठ Page
5.3 विवादों का कारणानुसार प्रतिशत वितरण Percentage Distribution of Disputes by Causes	40
5.4 विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण Percentage Distribution of Disputes by Duration	42
5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sphere	43
5.6 क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sectors	44
5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	45
5.8 कुल स्थाई बन्दीजों तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या Number of Permanent Closures and Workers Affected	46
5.9 छंटनीजों की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार Number of Retrenchments and Workers Retrenched	48
5.10 ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा नष्ट हुए मानव दिनों की हानि No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid-off and Mandays Lost	50
6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Accidents, Safety and Absenteeism	
6.1 (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियां, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (राज्यानुसार) (a) Industrial Injuries in Factories, their Incidence and Frequency Rates (By States)	52
(ख) महत्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियां उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (समूहनुसार) (b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates by Important Industries (by group)	55

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table	पृष्ठ Page
6.2 राज्यवार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों की अनुपस्थिती की दरें State-wise Absenteeism Rates amongst Directly Employed Regular Workers	57
7 सामाजिक सुरक्षा Social Security	
7.1 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई धन राशि Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation Paid under Workmen's Compensation Act, 1923	65
7.2 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दी गई प्रसूति सुविधाएं Maternity Benefits paid under the Maternity Benefit Act, 1961	66
8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना International Comparison	
8.1 भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन Employment in Selected Major Groups of Industries in Different Countries	68
8.2 चुने हुए देशों में विनिर्माण में औद्योगिक कर्मकारों/कर्मचारियों का औसत उपार्जन/वेतन Average Earning/Salaries of Industrial Workers/ Employees in Manufacturing in selected countries	71
8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद Industrial Disputes in Selected Countries	73
8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक क्षति दरें (घातक क्षति) Rates of Occupational Injuries in selected countries (Fatal Injuries)	75
8.5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य सूचकांक) Consumer Price Index Numbers (General Indices)	77
9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय ILO Conventions Ratified by India	79
10 वर्तमान श्रम गतिविधियां Current Labour Activities	86

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table	पृष्ठ Page
भाग II PART II	128
1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति Population and Labour Force	
1.1 जनसंख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसार वितरण Distribution of Population (by States/U.Ts)	129
1.2 सक्रिय एवं निष्क्रिय जनसंख्या का वितरण Distribution of Working and non-Working Population	132
1.3 जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण Percentage Distribution of Population by Labour Force Status	135
2 नियोजन Employment	
2.1 (क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शाखानुसार) (a) Estimated Employment in Public Sector (by Branches)	139
(ख) संगठित क्षेत्र में नियोजन (मुख्य उद्योगानुसार) (b) Employment in Organised Sector (by Major Industries)	140
2.2 (क) खानों में खनिजानुसार नियोजन (नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या) (a) Employment in Mines By Minerals (Average Daily No. of Workers Employed)	142
(ख) खानों में राज्यानुसार कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या (वर्गानुसार) (b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in Mines (By Category)	143
2.3 रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन Employment in Railways, Posts, Telecommunications, Insurance and Banks	147
2.4 अनुमानित नियोजन सूचकांक Index Numbers of Estimated Employment	149

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table	पष्ठ Page
3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण Employment Services and Training	
3.1 रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप Employment Exchanges and their Activities	151
3.2 चालू पंजी में व्यावसायिक समूहानुसार आवेदक Applicants on Live Register by Occupational Groups	153
3.3 रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में शिक्षित आवेदकों की संख्या Number of Educated Applicants on Live Register of Employment Exchanges	155
3.4 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप Training Activities under the DGE&T	156
3.5 कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा 2008 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम Training Programmes Conducted by the DGFASLI during 2008	158
3.6 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवसाय संघों तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान Training Programmes Conducted by the Central Board for Workers Education and Grants –in-aid to Trade Unions and other Institutions	159
4 मजदूरी एवं उपार्जन Wages and Earnings	
4.1 खानों में कर्मकारों का उपार्जन Earnings of Workers in Mines	165
4.2 धन उपार्जन सूचकांक Index of Money Earnings	167
5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Accidents, Safety and Absenteeism	
5.1 रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर Number of Industrial Injuries and Incidence Rates in Railways	168

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table	पृष्ठ Page
5.2 खनिज वर्गानुसार खानों में औद्योगिक क्षतियां (खनिज श्रेणी अनुसार) Industrial Injuries in Mines (by Class of Minerals)	169
5.3 पत्तनों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं Reportable Accidents in Ports	174
5.4 जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर Reportable Accidents on Board Ships and Frequency Rate	175
6 सामाजिक सुरक्षा Social Security	
6.1 (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य - सम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या a) Working of the Employees State Insurance Act- Number of Factories and Employees covered	176
(ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति b) ESI Dispensaries and Attendance	177
(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपग्रहों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध शैयाओं की संख्या c) Number of Beds available in ESI Hospitals/ Annexes/ other Hospitals	178
(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ d) Sickness and Maternity benefits under the ESI Scheme	179
(ङ) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंगहानि एवं आश्रितों को लाभ e) Disablement and dependants benefits under the ESI scheme	180
(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय f) Income and Expenditure of the ESI	181
6.2 (क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य (a) Working of the Employees Provident Fund Scheme	182

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table	पृष्ठ Page
(स) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंशदाता एवं क्षेत्रवार परिधि	183
(b) Region wise coverage and subscribers of the Employees Provident Fund Scheme	
(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त अंशदान	185
(c) Contributions received under Employees Provident Fund Scheme	
(घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज	186
(d) Investment of Funds and Interest allowed to the Employees Provident Fund Members	
(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन-वापसी	187
(e) Refunds including Loans and Advances granted under the Employees Provident Fund Scheme	
च) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन वापसी	188
(f) State-wise Refunds including Loans and Advances granted under the Employees Provident Fund Scheme	
छ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णीत दावे और भुगतान की गई धनराशि	190
(g) Claims settled and amount paid under Employees Provident Fund Scheme	
(ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत प्रदान किया गया वापस न किये जाने वाला अग्रिम धन	192
(h) Non Refundable Advances granted under the Employees Provident Fund Scheme	
(झ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय	194
(i) Income and Expenditure under the Employees Provident Fund Organisation	
6.3 अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund	195

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table	पृष्ठ Page
6.4 खनिज लोहा, मैंगनीज एवं क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund	196
6.5 चूना पत्थर एवं डोलोमाइट श्रमिक कल्याण निधि के कार्य Working of Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund	197
6.6 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के कार्य Working of Beedi Workers Labour Welfare Fund	198
6.7 सिनेमा श्रमिक कल्याण निधि के कार्य Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund	199
6.8 (क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (a) Working of Coal Mines Provident Fund	200
(ख) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (राज्यानुसार वितरण) (b) Working of Coal Mines Provident Fund (State wise distribution)	201
(ग) कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण और अग्रिम धन (c) Loans and Advances granted under Coal Mines Provident Fund Scheme	202
(घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के दावे (d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund Scheme	203
(ङ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय (e) Income and Expenditure under the Coal Mines Provident Fund Scheme	204
(च) पारिवारिक पेंशन निधि लाभ (f) Family Pension Fund benefits	205
व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-I) Explanatory Notes (Part I)	206
व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग -II) Explanatory Notes Part II	214
अनुबन्ध Annexure	227

भाग - I
PART - I

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.1 (क) कारखानों में उद्योगानुसार अनुमानित नियोजन
1.1(a) Estimated Employment in Factories by Industries

औद्योगिक संकेतांक 1998 Industry Code 1998	अनुमानित औसत दैनिक नियोजित कर्मकार Estimated Average Daily Number of Workers Employed ('000 में) (in 000's)	
	2004	2005
	1	2
15	1074	1043
151	135	160
152	59	67
153	314	364
154	506	386
155	60	66
16	45	52
160	45	52
17	929	995
18	368	414
181	366	411
182	2	3
19	112	115
191	47	49
192	65	66
20	144	129
21	123	128
22	134	116
23	47	78

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (क)

Table 1.1(a)

1	2	3
24	588	608
241	134	161
242	441	432
243	13	15
26	439	492
261	25	27
269	414	465
27	398	504
271	243	325
272	86	79
273	70	100
28	390	359
29	352	412
33	36	48
34	171	193
35	222	223
36	102	111
40	111	127
55	@	@

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (क)

Table 1.1(a)

1	2	3
551	@	@
552	@	@
90	2	2
92	3	2
अन्य Others	1012	1527
योग Total	6802	7180

स्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण : 1. योग उद्योग संकेतांक के दो अंक स्तर पर आधारित हैं।

Note : 1. The totals are based on 2 digit level of industry codes

2. उद्योग संकेतों का विवरण (दो अंको तक) कृपया अनुबन्ध में देखें।

2. For details of Industry Codes (upto two digit level) please see Annexure

3. आंकड़े विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

3. Data is based on the returns received from different States/ U.Ts

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.1(ख) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या (अनुमानित)

1.1(b) State-wise Number of Registered Factories, Working Factories, Factories submitting returns and Workers Employed (Estimated)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कारखानों की संख्या Number of Factories				State/Union Territory
	पंजीकृत कारखाने Regis- tered Factories	चालू कारखाने Working Factories	विवरणियां भेजने वाले Sub- mitting returns	नियोजित कर्मकार ('000 में) Workers employed (in 000's)	
1	2	3	4	5	1
			2004		
आंध्र प्रदेश	37456	28016	9288	764	Andhra Pradesh
असम	2925	1671	308	99	Assam
गोवा	672	661	541	43	Goa
हरियाणा	9170	9170	1206	558	Haryana
कर्नाटक	10063	10063	5245	890	Karnataka
केरल	18314	18221	3202	408	Kerala
मध्य प्रदेश	12269	7586	731	473	Madhya Pradesh

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1(ख)
Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
महाराष्ट्र	34763	29332	12474	1235	Maharashtra
मेघालय	74	74	20	4	Meghalaya
उड़ीसा	2901	1994	1043	130	Orissa
पंजाब	15055	14670	1442	480	Punjab
राजस्थान	9711	9711	2543	386	Rajasthan
तमिल नाडु	34535	25843	21430	1283	Tamil Nadu
त्रिपुरा	1542	1542	122	33	Tripura
चण्डीगढ़	437	437	313	14	Chandigarh
योग	189887	158991	59908	6802	Total

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1(ख)
Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
<u>2005</u>					
आंध्र प्रदेश	38553	28149	9701	773	Andhra Pradesh
असम	3103	1876	340	107	Assam
बिहार	6609	5926	59	89	Bihar
गोवा	674	675	422	45	Goa
हरियाणा	9289	9240	1450	575	Haryana
झारखण्ड	..	5414	5245	281	Jharkhand
कर्नाटक	10587	10033	4688	933	Karnataka
केरल	18011	18011	3058	175	Kerala
मध्य प्रदेश	12615	7908	665	460	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	35775	30461	12287	1301	Maharashtra
मेघालय	82	82	39	4	Meghalaya

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1(ख)
Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
उड़ीसा	2943	2015	1103	139	Orissa
पंजाब	15640	15311	1518	521	Punjab
राजस्थान	9889	9889	2627	398	Rajasthan
तमिल नाडू	36882	28341	23518	1333	Tamil Nadu
त्रिपुरा	1575	1575	312	33	Tripura
चण्डीगढ़	435	435	292	13	Chandigarh
योग	202662	175341	67324	7180	Total

स्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण: 1. चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एवं लक्षद्वीप में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।

Note : 1. The Factory Act 1948, is not implemented in four States/Union Territories namely Arunachal Pradesh , Mizoram, Sikkim and Lakshadweep.

2. शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. Data not received from remaining States /Union Territories

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.1(ग) विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन
आयु एवं लिंग अनुसार

1.1(c) Average Daily Employment in Factories Submitting Returns By Age and Sex

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	औसत दैनिक नियोजन						States / Union Territory		
	Average Daily Employment								
	वयस्क Adult		किशोर Adole- scent		बालक Children				
	पुरुष Male	स्त्री Female	पुरुष Male	स्त्री Female	लडके Boys	लडकियां Girls	योग Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	1	
2004									
आंध्र प्रदेश	344260	53046	-	-	-	-	397306	Andhra Pradesh	
असम	31063	1819	946	882	750	340	35800	Assam	
गोवा	29980	6594	-	-	-	-	36574	Goa	
हरियाणा	123874	5776	-	-	-	-	129650	Haryana	
कर्नाटक	309872	93239	-	-	-	-	403111	Karnataka	
केरल	74206	47386	-	-	-	-	121592	Kerala	
मध्य प्रदेश	148696	11303	-	-	-	-	159999	Madhya Pradesh	
महाराष्ट्र	672926	42241	28	-	-	-	715195	Maharashtra	
मेघालय	1464	269	-	-	-	-	1733	Meghalaya	

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ग)

Table 1.1(c)

1	2	3	4	5	6	7	8	1
उड़ीसा	94881	5212	-	-	-	-	100093	Orissa
पंजाब	107297	3329	-	-	-	-	110626	Punjab
राजस्थान	124586	3618	-	-	-	-	128204	Rajasthan
तमिल नाडु	833732	359831	1018	5526	-	-	1200107	Tamil Nadu
त्रिपुरा	2515	683	-	-	-	-	3198	Tripura
चण्डीगढ़	10214	619	-	-	-	-	10833	Chandigarh
योग	2909566	634965	1992	6408	750	340	3554021	Total

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1(ग)
Table 1.1(c)

1	2	3	4	5	6	7	8	1
<u>2005</u>								
आंध्र प्रदेश	353768	62289	-	-	-	-	416057	Andhra Pradesh
असम	33435	1929	209	292	-	-	35865	Assam
बिहार	11124	36	-	-	-	-	11160	Bihar
गोवा	26451	5915	-	-	-	-	32366	Goa
हरियाणा	134664	4925	-	-	-	-	139589	Haryana
झारखण्ड	276725	3968	-	-	-	-	280693	Jharkhand
कर्नाटक	300386	99061	-	-	-	-	399447	Karnataka
केरल	65990	23297	-	-	-	-	89287	Kerala
मध्य प्रदेश	108563	4240	-	-	-	-	112803	Madhya pradesh
महाराष्ट्र	681670	46526	139	2	-	-	728337	Maharashtra
मेघालय	2206	273	-	-	-	-	2479	Meghalaya
उड़ीसा	99456	5346	-	-	-	-	104802	Orissa

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1(ग)

Table 1.1(c)

1	2	3	4	5	6	7	8	1
पंजाब	95475	2541	-	-	-	-	98016	Punjab
राजस्थान	126595	3415	-	-	-	-	130010	Rajasthan
तमिल नाडु	864081	373424	1053	5752	-	-	1244310	Tamil Nadu
त्रिपुरा	10170	2657	-	-	-	-	12827	Tripura
चण्डीगढ़	9460	570	-	-	-	-	10030	Chandigarh
योग	3200219	640412	1401	6046	-	-	3848078	Total

स्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण: 1. चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एवं लक्षद्वीप में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।

Note : 1. The Factory Act 1948, is not applicable in four States/Union Territories namely Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim and Lakshadweep.

2. शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. Data not received from remaining States /Union Territories.

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.2 मुख्य बागानों में नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या
Table 1.2 Average Number of Workers Employed in Major Plantations

('000 में) (in 000's)

वर्ष / राज्य	चाय Tea	कॉफी Coffee	रबड़ Rubber	Year/State
1	2	3	4	1
2001	322	31	28	2001
2002	666	23	29	2002
2003	615	22	31	2003
2004	691	15	24	2004
2005	626	22	26	2005
2006	422	18	26	2006
2007	610	19	18	2007
<u>2006</u>				
असम	333	-	-	Assam
हिमाचल प्रदेश	@	-	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	2	8	2	Karnataka
केरल	35	3	19	Kerala
तमिल नाडु	43	8	3	Tamil Nadu
त्रिपुरा	8	-	2	Tripura
उत्तराखण्ड	@	-	-	Uttarakhand
अ० एवं नि० दीप समूह	-	-	@	A & N Islands

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.2
Table 1.2

1	2	3	4	1
<u>2007</u>				
असम	352	-	-	Assam
हिमाचल प्रदेश	@	-	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	1	11	2	Karnataka
केरल	39	2	10	Kerala
तमिल नाडु	44	6	3	Tamil Nadu
त्रिपुरा	7	-	3	Tripura
उत्तराखण्ड	@	-	-	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	167	-	-	West Bengal
अ० एवं नि० दीप समूह	-	-	@	A & N Islands

स्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.3 विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन

Table 1.3 Employment covered under various Acts

अधिनियम का नाम	इकाइयों की संख्या No. of units	विवरणियां भेजने वाली इकाइयां Units submitting returns	औसत नियोजन Average employment	Name of the Act
1	2	3	4	1
<u>2006</u>				
बागान श्रम अधिनियम 1951	4039	1888	469056	Plantations Labour Act, 1951
प्रसूती प्रसुविधा अधिनियम 1961	59301	22599	853017	Maternity Benefit Act, 1961
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961	73895	16611	889251	Motor Transport Workers Act, 1961
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923	-	-	1540228	Workmen's Compensation Act, 1923
औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946	45844	14271	2765125	Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम	-	4966157	7986793	Shops & Commercial Establishments Act

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.3

Table 1.3

1	2	3	4	1
<u>2007</u>				
बागान श्रम अधिनियम 1951	3587	2030	653575	Plantations Labour Act, 1951
प्रसूती प्रसुविधा अधिनियम 1961	30713	10388	475118	Maternity Benefit Act, 1961
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 *	100656	19875	767620	Motor Transport Workers Act, 1961
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 *	-	-	1831928	Workmen's Compensation Act, 1923
औद्योगिक नियोजन (२० आ०) अधिनियम 1946	46489	15908	3322411	Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम	-	5884400	9617734	Shops & Commercial Establishments Act

स्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : आंकड़े केवल उन राज्यों/संघ क्षेत्रों से संबन्धित हैं जिन्होंने विवरणियां भेजी हैं।

Note : Data relate to those States/U.T's which have submitted the returns.

2 मजदूरी एवं उपार्जन

2 WAGES AND EARNINGS

2.1 विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन

2.1 Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries

	2005	2006	
कर्मचारियों की संख्या (000 में)	318	594	Number of employees (in 000's)
कुल मजदूरी बिल (रुपये लाख में)	51158	301776	Total Wage Bill (Rs in lakh)
प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपार्जन (रुपये)	16082	50802	Per Capita Average Annual Earnings (Rs.)

स्रोत : श्रम. ब्यूरो

Source Labour Bureau

1. बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तमिल नाडू, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अ० एवं नि० दीव समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं पुडुचेरी ने वर्ष 2005 एवं 2006 के लिए प्रतिवेदन नहीं भेजे हैं। अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, चण्डीगढ़ एवं लक्षदीप द्वारा वर्ष 2006 के लिए प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। असम द्वारा वर्ष 2005 के लिए प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है।
1. Bihar, Chhatisgarh, J&K, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, T.N, Uttarakhand, U.P., W.B., A&N Islands, D&N Haveli, Daman & Diu and puducherry have not sent the returns for the year 2005 & 2006. Arunachal Pradesh, Delhi, Gujarat, H. P, Jharkhand, Karnataka, Kerala, M.P., Maharashtra, Mizoram, Chandigarh and Lakshadweep have not sent their returns for the year 2006. Assam has not sent the return for the year 2005.
2. अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, अ० नि० दीव समूह, चण्डीगढ़ एवं लक्षदीप वर्ष 2005 के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की परिधी से बाहर हो गए हैं।
2. Arunachal Pradesh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Mizoram, Punjab, A&N Islands, Chandigarh & Lakshadweep were out of the purview of Payment of Wages Act, 1936..
3. मजदूरी का उच्चक मुल्य रु 1600/- प्रति माह से रु 6500/- प्रति माह 9-11-2005 से बढ़ा दिया गया है।
3. The wage ceiling has been enhanced from Rs 1600/- p.m. to Rs 6500/- p.m. w.e.f. 9-11-2005.

2 मजदूरी एवं उपार्जन

2 WAGES AND EARNINGS

2.2 विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन (उद्योगानुसार)

2.2 Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries (By Industry)

(रुपयों में) (in rupees)

रा०औ०व० 1998 कोड सं० NIC-1998 Code No.	2005	2006
1	2	3
15	12594	43007
16	9500	32225
17	17171	53394
18	16683	50841
19	9275	137872
20	15292	39944
21	13782	57103
22	16847	69947
23	17804	61274
24	15756	57988
25	14451	65467
26	15432	30793
27	18543	50093
28	17684	68058

2 मजदूरी एवं उपार्जन

2 WAGES AND EARNINGS

सारणी 2.2
Table 2.2

1	2	3
29	17669	39680
30	16938	40597
31	17790	70611
32	16985	38494
33	16302	38244
34	18181	55992
35	20552	77808
36	16228	57718
37	17982	52360

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिपपण: मजदूरी का उच्चक मुल्य रु 1600 से रु 6500 9-11-2005 में बढ़ा दिया गया थ ।

Note : Wage ceiling has been enhanced from Rs. 1600/- to Rs. 6500/- w.e.f 9.11.2005

2 मजदूरी एवं उपार्जन

2 WAGES AND EARNINGS

2.3 अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी
(31 दिसम्बर को)

2.3 Minimum and Maximum Wages per day for the lowest paid unskilled workers (as on 31st December)

केन्द्रीय सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित संख्या जिन मजदूरी निर्धारित / संशोधित की गई	रोजगारों की हेतु न्यूनतम No. of Scheduled Employments in which minimum wages fixed/ revised	न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी प्रति दिन (रुपयों में) Minimum and Maximum Wages Per day (in Rs.)	Central Government/ State/ Union Territory
1	2	3	4	1
2006				
मु० श्र० आ० (केन्द्रिय)	46	67.43	120.37	CLC (Central)
आंध्र प्रदेश	28	55.00	55.00	A. P.
बिहार	75	66.00	82.84	Bihar
गोवा	26	75.00	167.73	Goa
गुजरात	52	55.00	106.20	Gujarat
हरियाणा	50	95.55	96.55	Haryana
हिमाचल प्रदेश	12	70.00	70.00	H. P.
जम्मू एव कश्मीर	28	66.00	66.00	J & K
केरल	42	72.00	337.20	Kerala
मध्य प्रदेश	36	63.00	95.00	Madhya Pradesh
मणिपुर	15	72.40	72.40	Manipur
उड़िसा	83	55.00	55.00	Orissa

2 मजदूरी एवं उपार्जन

2 WAGES AND EARNINGS

सारणी 2.3
Table 2.3

1	2	3	4	1
राजस्थान	61	73.00	87.81	Rajasthan
उत्तराखण्ड	58	67.69	127.25	Uttarakhand
अ० नि० दीव समुह	6	130.00	161.77	A & N Islands
चण्डीगढ़	48	127.00	127.00	Chandigarh
दिल्ली	29	127.40	127.40	Delhi
<u>2007*</u>				
मु० श्र० आ० (केन्द्रिय)	46	72.24	127.59	CLC (Central)
आंध्र प्रदेश	67	49.00	148.00	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	28	55.00	55.00	Arunachal Pradesh
बिहार	80	78.00	82.84	Bihar
छत्तीसगढ़	33	100.08	100.08	Chhattisgarh
गोवा	26	90.00	122.00	Goa
हरियाणा	50	135.00	135.00	Haryana
हिमाचल प्रदेश	12	75.00	75.00	Himachal Pradesh
जम्मू एवं कश्मीर	28	66.00	66.00	Jammu & Kashmir
केरल	42	72.00	342.16	Kerala

2 मजदूरी एवं उपार्जन

2 WAGES AND EARNINGS

सारणी 2.3
Table 2.3

1	2	3	4	1
मध्य प्रदेश	36	69.00	102.00	Madhya Pradesh
मणिपुर	15	81.40	81.40	Manipur
मेघालय	24	70.00	70.00	Meghalaya
मिजोरम	4	103.00	103.00	Mizoram
उड़ीसा	83	70.00	70.00	Orissa
पंजाब	60	98.61	102.41	Punjab
राजस्थान	61	73.00	96.85	Rajasthan
त्रिपुरा	13	30.00	85.00	Tripura
उत्तराखण्ड	58	72.22	135.72	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	54	50.60	141.31	West Bengal
अ०नि० दीप	6	130.00	161.77	A & N Islands
समुह				
चण्डीगढ़	48	133.46	133.46	Chandigarh
दिल्ली	29	135.25	135.25	Delhi
पुडुचेरी	16	55.00	120.00	Puducherry

स्रोत : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणीयाँ

Source : Annual Return under the Minimum wages Act, 1948

टिप्पण: शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2006 एवं 2007 के लिए वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

Note : Rest of the States / U.T.'s have not submitted their Annual Return for the years 2006 and 2007.

3 मूल्य

3 PRICES

3.1 (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100

3.1 (a) Annual Average and month-wise All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on Base 2001=100

वर्ष/माह	सामान्य सूचकांक		खाद्य सूचकांक		Year/Month
	<u>General Index</u>		<u>Food Index</u>		
	2008	2009	2008	2009	
1	2	3	4	5	1
जनवरी	134	148	137	156	January
फरवरी	135	148	138	156	February
मार्च	137	148	141	156	March
अप्रैल	138	150	144	159	April
मई	139	151	145	162	May
जून	140	153	147	165	June
जुलाई	143	160	150	172	July
अगस्त	145	162	153	174	August
सितम्बर	146	163	155	176	September

3 मूल्य

3 PRICES

सारणी 3.1 (क)

Table 3.1 (a)

1	2	3	4	5	1
अक्तूबर	148	165	159	181	October
नवम्बर	148	168	159	187	November
दिसम्बर	147	169	155	188	December
(वार्षिक औसत)					(Annual Average)
	सामान्य सूचकांक		खाद्य सूचकांक		
	General Index		Food Index		
2008	142		149		
2009	157		169		

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण :

Note :

- i) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 की नई श्रंखला जनवरी, 2006 के सूचकांक से अवमुक्त की गई थी।
- i) The new series of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2001=100 had been released w.e.f. January, 2006 index.
- ii) 2001 एवं 1982 श्रंखला के मध्य सामान्य सूचकांक और खाद्य सूचकांक के योजक घटक क्रमशः 4.63 और 4.58 हैं
- ii) The linking factors between 2001 and 1982 series are 4.63 and 4.58 for General Index and Food Index respectively.

3 मूल्य

3 PRICES

3.1 (ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार
2001=100 (केन्द्रवार वार्षिक औसत)

3.1 (b) Consumer Price Index Numbers(General) for Industrial
Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average)

केन्द्र	1982=100 श्रंखला के साथ योजक घटक Linking Factor with 1982=100 series	2008	2009	Centre
1	2	3	4	1
गोदावरीखानी	+	150	169	Godavarikhani
गुन्टूर	4.57	139	161	Guntur
हैदराबाद	4.79	135	152	Hyderabad
विजयवाडा	+	137	161	Vijaywada
विशाखापत्तनम	4.64	135	153	Vishakhapathnam
वारंगल	4.75	149	172	Warangal
डुमडुमा तिनसुकिया	4.04	133	147	Doom Dooma Tinsukia
गुवाहाटी	4.80	128	143	Guwahati
लबाक सिल्चर	3.65	143	155	Labac Silcher
मरियानी जोरहाट	4.01	133	147	Mariani Jorhat
रंगापारा तेजपुर	4.17	131	144	Rangapara Tejpur
मुंगेर जमालपुर	4.30	145	162	Mungher Jamalpur
चण्डीगढ़	5.26	140	155	Chandigarh
भिलाई	4.20	145	162	Bhilai

3 मूल्य

3 PRICES

सारणी 3.1 (ख)

Table 3.1(b)

1	2	3	4	1
दिल्ली	5.60	137	147	Delhi
गोवा	5.59	144	164	Goa
अहमदाबाद	4.62	138	151	Ahmedabad
भावनगर	4.76	135	147	Bhavnagar
राजकोट	4.38	132	146	Rajkot
सूरत	4.54	134	146	Surat
वडोदरा	4.39	133	147	Vadodara
फरीदाबाद	4.79	145	160	Faridabad
यमुनानगर	4.34	145	162	Yamunanagar
हिमाचल प्रदेश	4.53	135	147	Himachal Pradesh
श्रीनगर	5.62	134	145	Srinagar
बोकारो	+	142	158	Bokaro
गिरिडीह	+	156	177	Giridih
जमशेदपुर	4.23	142	157	Jamshedpur
झरिया	3.72	146	161	Jharia
कोडर्मा	3.89	149	169	Kodarma
रांची हाटिया	4.20	148	170	Ranchi Hatia
बंगलौर	4.51	150	167	Bangalore
बेलगाम	5.02	144	162	Belgaum
हुबली धारवाड़	4.71	147	164	Hubli Dharwar
मरकारा	4.47	135	154	Mercara
मैसूर	+	142	160	Mysore
एरनाकुलम	4.52	142	153	Ernakulam
मुण्डाक्याम	4.37	145	159	Mundakkayam

3 मूल्य

3 PRICES

सारणी 3.1 (ख)

Table 3.1(b)

1	2	3	4	1
क्विलोन	4.61	143	154	Quilon
भोपाल	4.83	145	161	Bhopal
छिंदवाडा	4.03	150	162	Chhindwara
इन्दौर	4.73	140	152	Indore
जबलपुर	4.53	148	159	Jabalpur
मुम्बई	5.18	144	159	Mumbai
नागपुर	4.68	151	174	Nagpur
नासिक	4.94	139	157	Nasik
पुणे	4.96	146	162	Pune
शोलापुर	4.73	149	160	Sholapur
अंगुल तलछर	+	143	160	Angul Talcher
राउरकेला	4.03	149	166	Rourkela
पुडुचेरी	4.88	146	163	Puducherry
अमृतसर	4.09	149	163	Amritsar
जालंधर	+	141	155	Jalandhar
लुधियाना	4.12	146	160	Ludhiana
अजमेर	4.78	138	152	Ajmer
भीलवाड़ा	4.62	144	158	Bhilwara
जयपुर	4.25	145	159	Jaipur
चेन्नई	4.95	135	149	Chennai
कोयम्बटूर	4.49	137	151	Coimbatore
कुनूर	4.58	134	148	Coonoor
मदुराई	4.51	134	147	Madurai
सेलम	4.45	134	151	Salem

3 मूल्य

3 PRICES

सारणी 3.1 (ख)

Table 3.1(b)

1	2	3	4	1
तिरुचिरापल्ली	5.01	141	156	Tiruchirapally
त्रिपुरा	4.17	131	144	Tripura
आगरा	4.36	146	168	Agra
गाजियाबाद	4.78	142	159	Ghaziabad
कानपुर	4.50	141	158	Kanpur
लखनऊ	+	144	163	Lucknow
वाराणसी	4.96	142	160	Varanasi
आसनसोल	4.37	151	171	Asansol
दार्जिलिंग	3.80	142	153	Darjeeling
दुर्गापुर	5.13	140	155	Durgapur
हल्दिया	5.64	131	144	Haldia
हावड़ा	5.42	139	154	Howrah
जलपाईगुड़ी	3.96	136	150	Jalpaiguri
कोलकाता	5.12	142	156	Kolkata
रानीगंज	4.02	140	156	Raniganj
सिलीगुड़ी	+	144	156	Siliguri

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

+ = आधार 2001 = 100 पर नई श्रंखला में नए केन्द्र शामिल किए गए हैं।

+ = New centres included in the new series on base 2001=100

3.2 कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
आधार वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जून)

**3.2 Average Consumer Price Index Numbers for Agricultural
and Rural Labourers on Base 1986-87=100 (July to June)**

राज्य	कृषि श्रमिक		ग्रामीण श्रमिक		State
	Agricultural Labourers		Rural Labourers		
	2007- 2008	2008- 2009	2007- 2008	2008- 2009	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	430	484	429	482	Andhra Pradesh
असम	417	451	419	454	Assam
बिहार	411	446	412	447	Bihar
गुजरात	424	459	425	460	Gujarat
हरियाणा	447	498	445	495	Haryana
हिमाचल प्रदेश	376	406	388	420	Himachal Pradesh
जम्मू एवं कश्मीर	413	453	413	451	Jammu & Kashmir
कर्नाटक	406	458	407	459	Karnataka
केरल	403	454	404	456	Kerala
मध्य प्रदेश	412	459	415	463	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	432	475	428	470	Maharashtra
मणिपुर	367	407	368	407	Manipur
मेघालय	439	484	436	481	Meghalaya

सारणी 3.2
Table 3.2

1	2	3	4	5	1
उड़ीसा	400	438	400	439	Orissa
पंजाब	448	501	449	501	Punjab
राजस्थान	439	490	438	486	Rajasthan
तमिलनाडु	403	455	402	452	Tamil Nadu
त्रिपुरा	407	433	399	429	Tripura
उत्तर प्रदेश	433	469	434	469	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	395	432	398	435	West Bengal
अखिल भारत	417	462	418	462	All India

स्रोत : श्रम ब्यूरो
Source : Labour Bureau

4 व्यवसाय संघ

4 TRADE UNIONS

4.1 व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में विकास 4.1 Growth of Trade Unions and their Membership

	2005	2006*	
पंजीकृत श्रमिक संघों की संख्या			Number of registered Trade Unions
(क) नियोजन कर्ता संघ	471	368	(a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	77994	76857	(b)Workers' Trade Unions
योग	78465	77225	Total
सूचकांक 1990=100	151	148	Index 1990=100
विवरणियां भेजने वाले संघों की संख्या			Number of unions submitting returns
(क) नियोजन कर्ता संघ	62	60	(a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	8255	8411	(b)Workers' Unions
योग	8317	8471	Total
विवरणियां भेजने वाले संघों की सदस्यता (००० में)			Membership of Unions submitting returns ('000)
(क) नियोजन कर्ता संघ	12	11	(a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	8711	8951	(b)Workers' Unions
योग	8722£	8962	Total
प्रति संघ औसत सदस्यता	1049	1058	Average Membership per Union

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

4 व्यवसाय संघ

4 TRADE UNIONS

4.2 विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता
(उद्योगानुसार)

4.2 Number and Membership of Trade Unions Submitting Returns (By Industry)

रा० औ० व० 1998 सारणी- बद्ध श्रेणी	कर्मकार संघ Workers' Union				समस्त संघ # All Unions#				NIC 1998 Tabu- lation Cate- gory
	संख्या Number		सदस्यता (‘000 में) Membership (in 000’s)		संख्या Number		सदस्यता (‘000 में) Membership (in 000’s)		
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
क	279	274	1405	1311	279	274	1405	1311	A
ख	52	33	67	62	52	33	67	62	B
ग	212	156	199	135	212	157	199	135	C
घ	2929	2817	1456	1718	2946	2832	1461	1722	D
ङ	209	186	348	385	209	186	348	385	E
च	546	558	702	756	546	558	702	756	F
छ	278	263	125	139	284	266	127	139	G
झ	76	96	15	19	76	96	15	19	H

4 व्यवसाय संघ

4 TRADE UNIONS

सारणी 4.2

Table 4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
ज	1389	1526	2234	1702	1396	1536	2235	1703	I
झ	532	513	269	304	532	515	269	308	J
ट	307	309	1030	1208	333	332	1033	1210	K
ठ	323	407	150	209	323	407	150	209	L
ड	87	85	74	58	87	85	74	58	M
ढ	96	98	23	36	96	98	23	36	N
ण	917	1069	583	896	923	1075	584	896	O
त	17	20	29	13	17	20	29	13	P
थ	6	1	2	@	6	1	2	@	Q
योग	8255	8411	8711	8951	8317	8471	8722	8962	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

- # समस्त संघों और कर्मकार संघों के आंकड़ों में भिन्नता नियोजक संघों से संबंधित है।
The difference between the figures of All Unions and Workers' Unions relate to Employers' Unions.
- पूर्ण करने के कारण कालम 3 एवं 5 के योगों की अनुरुपता आवश्यक नहीं है।
Totals of Col. 3 & 5 may not necessarily tally due to rounding off.
- उद्योग संकेतों का विवरण (दो अंको तक) कृपया अनुबन्ध में देखें।
For details of Industry Codes (upto two digit level) please see Annexure.

5. औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थगन

5.1 Industrial Disputes Resulting in Work Stoppages

	2007	2008*	
विवादों की संख्या	389	421	No. of Disputes
अन्तर्गत कर्मकारों की संख्या('000 में)	725	1579	No. of Workers Involved (in 000's)
श्रम-दिनों की हानि ('000 में)	27167	17432	Mandays Lost (in '000)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	44.39 (131)	97.16 (127)	Wages Lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	267.41 (82)	302.80 (50)	Value of Production Loss (Rs. In crore)

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets indicate the number of cases to which the information relates.

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

5.2 (क) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि
(उद्योगानुसार) ('000 में)

5.2(a) Mandays Lost in disputes resulting in work stoppages
(By Industry) (in 000's)

उद्योग संकेतांक	औद्योगिक विवादों के कारण Due to industrial disputes		औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारण Due to reasons other than industrial disputes		Indust ry Code
	2007+	2008*#	2007+	2008*#	
1	2	3	4	5	1
क	2869	2642	601	414	A
01	2869	2642	601	414	01
02	-	-	-	-	02
ख	-	-	-	-	B
05	-	-	-	-	05
ग	115	256	-	-	C
10	68	148	-	-	10
11	46	64	-	-	11
12	-	-	-	-	12
13	..	-	-	-	13
14	1	44	-	-	14
घ	23433	12645	6615	5479	D
15	131	357	344	170	15
16	136	15	9	9	16

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

सारणी 5.2 (क)
Table 5.2(a)

1	2	3	4	5	1
17	20085	9290	2756	1955	17
18	45	21	47	40	18
19	84	117	-	-	19
20	106	143	101	33	20
21	52	133	427	343	21
22	15	172	328	219	22
23	6	1	-	257	23
24	285	368	389	702	24
25	118	65	55	47	25
26	167	250	95	92	26
27	545	518	1139	925	27
28	194	187	206	207	28
29	394	127	302	121	29
30	-	-	100	-	30
31	21	23	214	279	31
32	5	7	54	54	32
33	6	40	-	-	33
34	9	55	-	-	34
35	800	507	13	-	35
36	227	249	35	26	36
37	-	-	-	-	37
इ	93	115	21	21	E

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

सारणी 5.2 (क)
Table 5.2(a)

1	2	3	4	5	1
च	..	1	-	-	F
छ	2	-	-	-	G
ज	38	32	8	8	H
झ	171	119	28	24	I
ञ	115	1077	-	-	J
ट	28	1	25	26	K
ठ	-	4	-	-	L
ड	-	5	-	-	M
द	1	1	-	-	N
ण	291	525	296	833	O
त	10	10	-	29	P
थ	-	-	-	-	Q
योग	27167	17433	7596	6835	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के संकेतों के वर्णन अनुबंध में देखें

Note : Description of NIC Codes may be seen in Annexure

+ = रा० औ० व० 1998

= रा० औ० व० 2004

+ = NIC 1998

= NIC 2004

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

5.2 (ख) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)

5.2(b) Mandays lost in Disputes resulting in work-stoppages (By States)

(‘000 में) (in 000’s)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	औद्योगिक विवादों के कारण Due to industrial disputes		औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारण Due to reasons other than industrial disputes		State/Union Territory
	2007	2008*	2007	2008*	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	342	637	-	-	Andhra Pradesh
असम	29	288	-	-	Assam
बिहार	60	95	71	71	Bihar
छत्तीसगढ़	4	27	-	-	Chhattisgarh
दिल्ली	11	110	-	-	Delhi
गोवा	-	-	-	-	Goa
गुजरात	97	43	-	2	Gujarat
हरियाणा	48	5	8	-	Haryana
हिमाचल प्रदेश	9	11	-	-	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	@	-	-	-	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	-	10	-	-	Jharkhand
कर्नाटक	94	213	-	-	Karnataka

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

सारणी 5.2 (ख)
Table 5.2(b)

1	2	3	4	5	1
केरल	227	613	1481	693	Kerala
मध्य प्रदेश	12	59	-	-	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	1	31	-	-	Maharashtra
उड़ीसा	10	-	-	-	Orissa
पंजाब	49	90	-	-	Punjab
राजस्थान	953	974	17	17	Rajasthan
तमिलनाडु	1411	806	17	198	Tamil Nadu
उत्तराखण्ड	25	12	-	-	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	42	1410	9	-	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	23738	11998	5992	5854	West Bengal
अण्डेमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	A & N Islands
चण्डीगढ़	6	-	-	-	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	-	-	-	-	D & N Haveli
दमन एवं दीव	-	-	-	-	Daman & Diu
लक्षद्वीप	-	-	-	-	Lakshadweep
पुदुचेरी	-	-	-	-	Puducherry
योग	27167	17433	7596	6835	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

5.3 - विवादों का कारणानुसार प्रतिशत वितरण
5.3 Percentage Distribution of Disputes by Causes

कारण समूह	2007	2008*	Cause Group
1	2	3	1
मजदूरी एवं भत्ते	22.4	17.6	Wages & Allowances
कार्मिक	13.9	8.6	Personnel
छंटनी	0.3	-	Retrenchment
काम-बन्दी	0.3	-	Lay-Off
अनुशासनहीनता	34.4	26.6	Indiscipline
हिंसा	0.8	0.5	Violence
छुट्टी एवं कार्य के घंटे/पारी में कार्य	-	0.7	Leave and Hours of Work/Shift Working
बोनस	2.3	3.6	Bonus
घेराव	-	0.2	Gherao
श्रम पंचाटों और श्रम समझौतों इत्यादि का लागू न किया जाना	2.6	2.9	Non-implementation of agreements and awards etc.

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

सारणी 5.3
Table 5.3

1	2	3	1
मांगों का चार्टर	8.0	12.1	Charter of Demands
कार्य-भार	0.5	0.2	Work Load
अतिरिक्त श्रमिक	-	0.7	Surplus Labour
सुविधाओं का उन्नतिकरण	0.3	-	Betterment of Amenities
विनिर्माण प्रक्रिया का निलम्बन/ परिवर्तन	-	-	Suspension/change of manufacturing process
स्थायी आदेशों/ नियमावलियों/ सेवा शर्तों/ सुरक्षा उपाय	-	0.2	Standing orders/ rules/service conditions/safety measures
सरकारी आर्थिक नीति	3.6	11.9	Govt. economic policy
अन्य	9.8	12.4	Others
ज्ञात नहीं	1.0	1.7	Not known

स्रोत : श्रम ब्यूरो
Source : Labour Bureau

5.4 - विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण
5.4 Percentage Distribution of Disputes by Duration

अवधि	2007	2008*	Duration
1 दिन या कम	26.4	28.4	1 day or less
1 से अधिक 5 दिन तक	18.1	20.7	More than 1 upto 5 days
5 से अधिक 10 दिन तक	11.9	12.3	More than 5 upto 10 days
10 से अधिक 20 दिन तक	13.7	12.3	More than 10 upto 20 days
20 से अधिक 30 दिन तक	5.3	8.8	More than 20 upto 30 days
30 दिन से अधिक	24.7	17.6	More than 30 days

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद 5.5 Disputes by Sphere

	2007	2008*	
			Central Sphere
केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र			
विवादों की संख्या	67	87	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	250	1053	Workers involved (in 000’s)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	328	1373	Mandays lost (in 000’s)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	9.67 (39)	57.68 (62)	Wages lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	12.35 (2)	7.13 (5)	Production loss (Rs. in crore)
			State Sphere
राज्य अधिकार क्षेत्र			
विवादों की संख्या	322	334	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	474	525	Workers involved (in 000’s)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	26839	16060	Mandays lost (in 000’s)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	34.73 (92)	39.48 (65)	Wages lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	255.06 (80)	295.67 (45)	Production loss (Rs. in crore)

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets indicate the number of cases to which the information relates.

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

5.6 - क्षेत्र अनुसार विवाद 5.6 Disputes by Sectors

	2007	2008*	
सार्वजनिक क्षेत्र			Public Sector
विवादों की संख्या	68	85	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	252	1100	Workers involved (in 000)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	332	1733	Mandays lost (in 000’s)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	9.59 (39)	55.50 (59)	Wages lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	12.35 (2)	7.20 (6)	Production loss (Rs. in crore)
निजी क्षेत्र			Private Sector
विवादों की संख्या	321	336	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	473	479	Workers involved (in 000’s)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	26835	15700	Mandays lost (in 000’s)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	34.81 (92)	41.66 (68)	Wages lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	255.06 (80)	295.60 (44)	Production loss (Rs. in crore)

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets indicate the number of cases to which the information relates.

5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद
5.7 Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos

	2007	2008*	
हड़तालें			<u>Strikes</u>
संख्या	210	240	Number
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	606	1514	Workers involved (in 000’s)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	15056	8356	Mandays lost (in 000)
तालाबन्दी			<u>Lockouts</u>
संख्या	179	181	Number
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	118	65	Workers involved (in 000’s)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	12111	10479	Mandays lost (in 000)
घेराव			<u>Gheraos</u>
संख्या	-	-	Number
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	-	-	Workers involved (in 000’s)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	-	-	Mandays lost (in 000’s)

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

5.8 कुल स्थाई बन्दीज्रां तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या
(राज्यवार)

5.8 No. of Permanent Closures and Workers Affected thereby
(By States)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बन्दीज्रां की संख्या No. of Closures		प्रभावित कर्मकारों की संख्या No. of Workers affected		State/ Union Territory
	क A	ख B	क A	ख B	
1	2	3	4	5	1
<u>2007</u>					
गुजरात	2	-	45	-	Gujarat
हरियाणा	4	-	198	-	Haryana
हिमाचल प्रदेश	6	-	139	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	1	-	4	-	Karnataka
केरल	3	-	45	-	Kerala
उड़ीसा	1	-	10	-	Orissa
सिक्कम	1	-	49	-	Sikkim
तमिल नाडु	1	-	26	-	Tamil Nadu
त्रिपुरा	53	-	1285	-	Tripura
उत्तर प्रदेश	15	-	1941	-	Uttar Pradesh
उत्तराखंड	2	-	116	-	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	2	-	36	-	West Bengal
योग	91	-	3894	-	Total

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

सारणी 5.8
Table 5.8

1	2	3	4	5	1
2008*					
आन्ध्र प्रदेश	-	20	-	144	Andhra Pradesh
गुजरात	5	-	163	-	Gujarat
हरियाणा	5	-	330	-	Haryana
कर्नाटक	1	-	30	-	Karnataka
त्रिपुरा	16	-	456	-	Tripura
उत्तर प्रदेश	3	-	212	-	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	3	-	1447	-	West Bengal
चण्डीगढ़	1	-	1	-	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	1	-	73	-	D & N Haveli
दिल्ली	1	-	196	-	Delhi
योग	36	20	2908	144	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

क राज्य क्षेत्र

ख केन्द्रीय क्षेत्र

A State Sphere

B Central Sphere

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Information in respect of remaining States/Union Territories is 'Nil'

5.9 छंटनीओं की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार (राज्यानुसार)
5.9 Number of Retrenchments and Workers Retrenched
thereby (By States)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छंटनीओं की संख्या No. of Retrenchments		प्रभावित कर्मकारों की संख्या No. of Workers Affected		State/ Union Territory
	क A	ख B	क A	ख B	
1	2	3	4	5	1
<u>2007</u>					
गुजरात	1	-	14	-	Gujarat
हरियाणा	4	-	102	-	Haryana
केरल	4	2	57	17	Kerala
उड़ीसा	2	-	41	-	Orissa
तमिल नाडु	-	1	-	1	Tamil Nadu
उत्तर प्रदेश	2	-	3	-	Uttar Pradesh
उत्तराखण्ड	1	-	18	-	Uttarkhand
पश्चिम बंगाल	4	-	5	-	West Bengal
चंडीगढ़	1	-	5	-	Chandigarh
पुडुचेरी	1	-	1	-	Puducherry
योग	20	3	246	18	Total

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

सारणी 5.9
Table 5.9

1	2	3	4	5	1
2008*					
गुजरात	2	-	13	-	Gujarat
हरियाणा	1	-	19	-	Haryana
हिमाचल प्रदेश	1	-	29	-	Himachal Pradesh
मणिपुर	1	-	125	-	Manipur
उड़ीसा	3	4	868	625	Orissa
तमिल नाडु	-	6	-	49	Tamil Nadu
उत्तर प्रदेश	1	-	20	-	Uttar Pradesh
योग	9	10	1074	674	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

क राज्य क्षेत्र

ख केन्द्रीय क्षेत्र

A State Sphere

B Central Sphere

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Information in respect of remaining States/Union Territory is 'Nil'

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

5.10 ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा नष्ट हुए मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)

5.10 No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid-off and Mandays Lost (By States)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामबन्दी की संख्या No. of Lay-Offs		प्रभावित कर्मकारों की संख्या No. of Workers Affected		मानव दिनों की हानि की संख्या No. of Mandays lost		State/ Union Territory
	क A	ख B	क A	ख B	क A	ख B	
1	2	3	4	5	6	7	1
2007							
आन्ध्र प्रदेश	-	3	-	552	-	1365	Andhra Pradesh
बिहार	1	-	78	-	1014	-	Bihar
गुजरात	2	-	91	-	3021	-	Gujarat
हरियाणा	1	-	28	-	2212	-	Haryana
कर्नाटक	2	-	22	-	253	-	Karnataka
केरल	9	-	1994	-	535860	-	Kerala
राजस्थान	2	-	161	-	50232	-	Rajasthan
तमिल नाडु	1	2	13	271	2769	271	Tamil Nadu
उत्तर प्रदेश	7	-	1878	-	349081	-	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	4	-	1034	-	38657	-	West Bengal
चण्डीगढ़	1	-	21	-	83	-	Chandigarh
पुडुचेरी	8	-	849	-	1346	-	Puducherry
योग	38	5	6169	823	984528	1636	Total

5 औद्योगिक विवाद

5 INDUSTRIAL DISPUTES

सारणी 5.10
Table 5.10

1	2	3	4	5	6	7	1
2008*							
आन्ध्र प्रदेश	-	16	-	6334	-	6334	Andhra Pradesh
छत्तीसगढ़	1	-	140	-	7280	-	Chhattisgarh
गुजरात	2	-	1443	-	8333	-	Gujarat
हरियाणा	2	-	115	-	4454	-	Haryana
केरल	11	-	781	-	64306	-	Kerala
पंजाब	1	-	198	-	37818	-	Punjab
राजस्थान	2	-	161	-	50232	-	Rajasthan
तमिल नाडु	5	2	473	301	19277	301	Tamil Nadu
उत्तर प्रदेश	6	-	4064	-	939249	-	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	4	-	505	-	66068	-	West Bengal
योग	34	18	7880	6635	1197017	6635	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

क राज्य क्षेत्र

ख केन्द्रीय क्षेत्र

A State Sphere

B Central Sphere

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Information in respect of remaining States/Union Territories is 'Nil'

6.1 (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियां, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर
(राज्यानुसार)6.1 (a) Industrial Injuries in Factories, their Incidence and
Frequency Rates (by States)

State/ UT	क्षतियों की संख्या Number of injuries		आपात दर (प्रति हजार नियोजित कर्मकार) Incidence rate (Per thousand workers employed)		आवृत्ति दर Frequency rate		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
	घातक Fatal	अघा- तक Non- Fatal	घा- तक Fa- tal	अघा- तक Non- Fatal	घा- तक Fa- tal	अघा- तक Non- Fatal	
1	2	3	4	5	6	7	1
2004							
आंध्र प्रदेश	91	1820	0.12	2.38	0.08	1.65	Andhra Pradesh
असम	12	66	0.12	0.67	0.12	0.66	Assam
गोवा	12	154	0.28	3.62	0.11	1.40	Goa
हरियाणा	64	134	0.11	0.24	0.10	0.22	Haryana
कर्नाटक	45	1191	0.05	1.34	0.04	1.00	Karnataka
केरल	9	296	0.02	0.72	0.03	0.87	Kerala
मध्य प्रदेश	29	1496	0.06	3.16	0.03	1.49	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	161	5318	0.13	4.30	0.07	2.43	Maha- rashtra

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. ACCIDENTS, SAFETY AND
ABSENTEEISM

सारणी 6.1 (क)
Table 6.1 (a)

1	2	3	4	5	6	7	1
मेघालय	-	9	-	2.01	-	1.49	Meghalaya
उड़ीसा	40	654	0.31	5.02	0.12	1.94	Orissa
पंजाब	7	192	0.01	0.40	0.02	0.59	Punjab
राजस्थान	52	1234	0.13	3.20	0.13	3.08	Rajasthan
तमिल नाडु	40	1888	0.03	1.47	0.01	0.54	Tamil Nadu
त्रिपुरा	-	3	-	0.09	-	0.49	Tripura
चण्डीगढ़	-	3	-	0.22	-	0.09	Chandigarh
योग	562	14458	0.08	2.13	0.05	1.28	Total

2005*

आंध्र प्रदेश	139	1683	0.18	2.18	0.12	1.49	A.P.
असम	5	46	0.05	0.43	0.04	0.41	Assam
बिहार	7	35	0.08	0.40	0.21	1.06	Bihar
गोवा	16	187	0.36	4.18	0.16	1.87	Goa
हरियाणा	38	234	0.07	0.41	0.06	0.37	Haryana
झारखण्ड	21	197	0.07	0.70	0.03	0.24	Jharkhand
कर्नाटक	37	1388	0.04	1.49	0.03	1.15	Karnataka
केरल	18	953	0.10	5.44	0.07	3.60	Kerala
मध्य प्रदेश	40	1148	0.09	2.49	0.11	3.16	M.P.

सारणी 6.1 (क)
Table 6.1 (a)

1	2	3	4	5	6	7	1
महाराष्ट्र	143	4537	0.11	3.49	0.06	1.98	Maha- rashtra
मेघालय	-	1	-	0.23	-	0.06	Meghalaya
उड़ीसा	37	578	0.27	4.14	0.11	1.65	Orissa
पंजाब	7	324	0.01	0.62	0.02	1.12	Punjab
राजस्थान	52		0.13	3.20	0.13	3.13	Rajasthan
		1274					
तमिल नाडु	50	1574	0.04	1.18	0.01	0.44	Tamil Nadu
त्रिपुरा	2	3	0.06	0.09	0.08	0.11	Tripura
चण्डीगढ़	1	1	0.08	0.08	0.03	0.03	Chandigarh
योग	613	14163	0.09	1.97	0.05	1.21	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण: 1. चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एवं लक्षद्वीप में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।

Note : 1. The Factory Act 1948, is not applicable in four States /Union Territories viz. Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim and Lakshadweep.

2. शेष रह गये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. Data not received from the remaining States / Union Territories.

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

6.1 (ख) महत्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियां उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (समूहनुसार)

6.1 (b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates by Important Industries (by group)

उद्योग रा० औ० व० 1998	क्षतियों की संख्या Number of injuries		आपात दर Incidence rate		क्षतियों की संख्या Frequency Rate		Industry NIC 1998
	घातक Fatal	अघातक Non-Fatal	घातक Fatal	अघातक Non-Fatal	घातक Fatal	अघातक Non-Fatal	
	1	2	3	4	5	6	
2004							
20	16	129	0.11	0.89	0.19	1.54	20
21	19	558	0.15	4.53	0.08	2.45	21
24	54	928	0.09	1.58	0.05	0.80	24
26	52	769	0.12	1.75	0.05	0.76	26
27	78	1052	0.20	2.64	0.12	1.65	27
28	37	686	0.09	1.76	0.07	1.22	28
29	23	813	0.07	2.31	0.04	1.40	29
34	13	208	0.08	1.22	0.04	0.63	34
40	32	667	0.29	5.98	0.13	2.63	40
योग	562	14458	0.08	2.13	0.05	1.28	Total
2005*							
20	5	164	0.04	1.27	0.05	1.69	20
21	16	418	0.12	3.26	0.07	1.71	21
24	91	1068	0.15	1.76	0.08	0.88	24
26	47	695	0.10	1.41	0.08	1.17	26
27	102	1441	0.20	2.86	0.10	1.37	27

सारणी 6.1 (ख)

Table 6.1 (b)

1	2	3	4	5	6	7	1
28	36	652	0.10	1.81	0.06	1.00	28
29	16	900	0.04	2.18	0.02	1.34	29
34	9	292	0.05	1.51	0.02	0.51	34
40	32	488	0.25	3.85	0.12	1.80	40
योग	613	14163	0.09	1.98	0.05	1.21	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : 1. घातक और अघातक क्षतिओं की दरों के योग से कुल क्षतिओं की दर प्राप्त होती है। क्षतिओं की संख्या (घातक और अघातक) दुर्घटना की सूचना पर आधारित है, जबकि आपात दर कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक विवरणियां में रिपोर्ट की गई क्षतिओं के आधार पर निकाली गई है।

Note : 1. The number of injuries (fatal and non-fatal) have been worked out on the basis of notices of accidents whereas the incidence rate has been worked out on the basis of injuries reported in the annual returns received under the Factories Act, 1948

2. आपात दर = कुल क्षतिआं / औसत दैनिक नियोजन प्रति हजार से विभाजित
2. Incidence Rate – Total injuries divided by average daily employment per thousand
3. आवृत्ति दर = कुल क्षतिआं / लाखों में निकाले गए मानव दिनों की संख्या से विभाजित
3. Frequency Rate = Total number of injuries divided by number of mandays worked in lakh
4. उद्योग संकेतों का विवरण (दो अंको तक) कृपया अनुबन्ध में देखें।
4. For details of Industry Codes (upto two digit level) please see Annexure

6.2 राज्यवार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों की अनुपस्थिति की दरें
6.2 State-wise Absenteeism rates amongst directly employed regular workers

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्यक्ष रूप में नियमित कर्मकारों को नियुक्त करने वाले कारखानों की संख्या No. of factories reporting directly employed regular workers	अनुपस्थिति सूचित करने वाले कारखानों की प्रतिशतता Percentage of factories reporting absen- teeism	कार्य हेतु अनुसूचित मानव दिवस (000' में) Mandays scheduled to work (in 000's)	State/Union Territory
1	2	3	4	1
2005				
जम्मू एवं कश्मीर	375	98.93	3987	J & K
हिमाचल प्रदेश	719	99.30	11762	H. P.
पंजाब	6699	94.69	78446	Punjab
चण्डीगढ़	276	99.64	2021	Chandigarh
उत्तराखण्ड	774	98.84	8594	Uttarakhand
हरियाणा	3480	99.17	51943	Haryana
दिल्ली	2872	98.92	27440	Delhi
राजस्थान	4229	98.76	51036	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	8990	98.23	124783	U. P.
बिहार	823	97.69	6815	Bihar
नागालैंड	67	91.04	268	Nagaland
मणिपुर	27	100.00	133	Manipur
त्रिपुरा	90	98.89	708	Tripura
असम	1234	98.38	131617	Assam

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. ACCIDENTS, SAFETY AND
ABSENTEEISM

सारणी 6.2

Table 6.2

1	2	3	4	1
पश्चिम बंगाल	4933	97.77	98104	West Bengal
झारखण्ड	1148	100.00	32604	Jharkhand
उड़ीसा	1443	99.10	19139	Orissa
छत्तीसगढ़	1177	99.83	14973	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	2495	99.76	36510	M. P.
गुजरात	12608	98.29	144874	Gujarat
दमन एवं दीव	1449	100.00	14511	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	1028	100.00	10023	D & N Haveli
महाराष्ट्र	15897	98.82	199790	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	11114	94.84	79406	A. P.
कर्नाटक	6695	97.85	150847	Karnataka
गोवा	511	100.00	6049	Goa
केरल	4498	99.24	62597	Kerala
तमिल नाडु	17251	95.34	241123	Tamil Nadu
पुडुचेरी	506	100.00	7319	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	8	100.00	55	A& N Islands
अखिल भारत	114119	97.55	1617479	All India
सार्वजनिक	1068	98.13	75428	Public
संयुक्त	899	96.89	83419	Joint
निजी	112152	97.55	1458632	Private

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. ACCIDENTS, SAFETY AND
ABSENTEEISM

सारणी 6.2

Table 6.2

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2005 में अनुपस्थिति के कारण मानव दिवसों की हानि (000' में) Mandays lost due to absence in 2005 (in 000's)	वर्ष के दौरान अनुपस्थिति की प्रतिशतता Percentage of Absenteeism during the year		State/Union Territory
		2004	2005	
		1	5	
जम्मू एवं कश्मीर	238	6.70	5.96	J & K
हिमाचल प्रदेश	1496	12.64	12.72	H. P.
पंजाब	7769	11.33	9.90	Punjab
चण्डीगढ़	239	12.61	11.80	Chandigarh
उत्तराखण्ड	639	9.22	7.43	Uttarakhand
हरियाणा	6278	11.30	12.09	Haryana
दिल्ली	3522	11.91	12.83	Delhi
राजस्थान	4985	10.38	9.77	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	8986	5.70	7.20	U. P.
बिहार	442	6.40	6.49	Bihar
नागालैंड	2	2.06	0.60	Nagaland
मणिपुर	7	4.61	5.31	Manipur
त्रिपुरा	13	2.15	1.87	Tripura
असम	693	10.03	0.53	Assam
पश्चिम बंगाल	8228	8.86	8.39	West Bengal
झारखण्ड	2616	6.66	8.02	Jharkhand

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. ACCIDENTS, SAFETY AND
ABSENTEEISM

सारणी 6.2

Table 6.2

1	5	6	7	1
उड़ीसा	1293	6.69	6.76	Orissa
छत्तीसगढ	1249	7.06	8.34	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	2951	8.39	8.08	M. P.
गुजरात	11864	8.95	8.19	Gujarat
दमन एवं दीव	1292	7.54	8.90	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	725	9.59	7.24	D & N Haveli
महाराष्ट्र	24144	12.28	12.08	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	6074	7.49	7.65	A. P.
कर्नाटक	10394	8.47	6.89	Karnataka
गोवा	789	13.02	13.04	Goa
केरल	7158	11.84	11.43	Kerala
तमिल नाडु	16458	6.87	6.83	Tamil Nadu
पुडुचेरी	491	7.41	6.71	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	12	16.36	20.87	A& N Islands
अखिल भारत	131046	8.96	8.10	All India
सार्वजनिक	5722	8.59	8.91	Public
संयुक्त	5619	9.18	6.74	Joint
निजी	118705	8.97	8.14	Private

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. ACCIDENTS, SAFETY AND
ABSENTEEISM

सारणी 6.2

Table 6.2

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्यक्ष रूप में नियमित कर्मकारों को नियुक्त करने वाले कारखानों की संख्या No. of factories reporting directly employed regular workers	अनुपस्थिति सूचित करने वाले कारखानों की प्रतिशतता Percentage of factories reporting absen- teeism	कार्य हेतु अनुसूचित मानव दिवस (000' में) Mandays scheduled to work (in 000's)	State/Union Territory
1	2	3	4	1
		2006		
जम्मू एवं कश्मीर	535	97.94	5423	J & K
हिमाचल प्रदेश	758	99.60	12199	H. P.
पंजाब	7045	91.89	83678	Punjab
चण्डीगढ़	264	97.35	2181	Chandigarh
उत्तराखण्ड	928	98.38	11090	Uttarakhand
हरियाणा	2939	99.42	50678	Haryana
दिल्ली	3106	99.52	31615	Delhi
राजस्थान	4958	98.45	54178	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	8925	98.81	12992	U. P.
			8	
बिहार	758	99.08	6071	Bihar
नागालैंड	65	100.00	170	Nagaland
मणिपुर	26	100.00	151	Manipur
त्रिपुरा	86	100.00	821	Tripura
मेघालय	56	98.21	616	Meghalaya

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.2

Table 6.2

1	2	3	4	1
असम	1205	98.67	12667	Assam
पश्चिम बंगाल	4934	96.05	93279	West Bengal
झारखण्ड	1121	99.64	30218	Jharkhand
उड़ीसा	1510	98.61	20566	Orissa
छत्तीसगढ़	1415	100.00	17030	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	2604	99.58	38140	M. P.
गुजरात	12810	99.00	154966	Gujarat
दमन एवं दीव	1395	99.86	15561	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	923	100.00	11295	D & N Haveli
महाराष्ट्र	15930	98.56	244398	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	12008	95.45	91306	A. P.
कर्नाटक	6977	99.07	145185	Karnataka
गोवा	455	98.68	6091	Goa
केरल	4292	99.16	152880	Kerala
तमिल नाडु	20525	97.17	321116	Tamil Nadu
पुडुचेरी	598	100.00	7906	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	8	100.00	58	A & N Islands
अखिल भारत	119158	97.76	1751463	All India
सार्वजनिक	967	98.66	159171	Public
संयुक्त	780	97.44	72202	Joint
निजी	117411	97.76	1520090	Private

सारणी 6.2

Table 6.2

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2006 में अनुपस्थिति के कारण मानव दिवसों की हानि (000' में) Mandays lost due to absence in 2006 (in 000's)	वर्ष के दौरान अनुपस्थिति की प्रतिशतता Percentage of Absenteeism during the year		State/Union Territory
		2005	2006	
		1	5	
जम्मू एवं कश्मीर	331	5.96	6.11	J & K
हिमाचल प्रदेश	1649	12.72	13.52	H. P.
पंजाब	9284	9.90	11.10	Punjab
चण्डीगढ़	320	11.80	14.66	Chandigarh
उत्तराखण्ड	822	7.43	7.42	Uttarakhand
हरियाणा	6268	12.09	12.37	Haryana
दिल्ली	4221	12.83	13.35	Delhi
राजस्थान	5750	9.77	10.61	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	9219	7.20	7.10	U. P.
बिहार	359	6.49	5.92	Bihar
नागालैंड	3	0.60	1.68	Nagaland
मणिपुर	8	5.31	5.25	Manipur
त्रिपुरा	11	1.87	1.36	Tripura
मेघालय	30	0.00	4.86	Meghalaya
असम	679	0.53	5.36	Assam
पश्चिम बंगाल	7872	8.39	8.44	West Bengal
झारखण्ड	1904	8.02	6.30	Jharkhand

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.2

Table 6.2

	1	5	6	7	1
उड़ीसा		1681	6.76	8.17	Orissa
छत्तीसगढ		1088	8.34	6.39	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश		3396	8.08	8.90	M. P.
गुजरात		13093	8.19	8.45	Gujarat
दमन एवं दीव		1286	8.90	8.26	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली		962	7.24	8.52	D & N Haveli
महाराष्ट्र		24116	12.08	9.87	Maharashtra
आंध्र प्रदेश		6346	7.65	6.95	Andhra Pradesh
कर्नाटक		11696	6.89	8.06	Karnataka
गोवा		741	13.04	12.16	Goa
केरल		6678	11.43	4.37	Kerala
तमिल नाडु		19602	6.83	6.10	Tamil Nadu
पुडुचेरी		586	6.71	7.41	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह		6	20.87	10.64	A & N Islands
अखिल भारत		140007	8.10	7.99	All India
सार्वजनिक		5504	8.91	3.46	Public
संयुक्त		4667	6.74	6.46	Joint
निजी		129836	8.14	8.54	Private

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

7 सामाजिक सुरक्षा

7 SOCIAL SECURITY

7.1 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई धन राशि

7.1 Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation paid under the Workmen's Compensation Act, 1923

	2006	2007*	
क्षतिपूर्ति क्षतियों की संख्या			Number of compensated injuries
क) मृत्यु	1514	2140	a) Death
ख) स्थायी विकलांगता	1836	2900	b) Permanent disablement
ग) अस्थायी विकलांगता	2425	3053	c) Temporary disablement
कुल	5775	8093	Total
क्षतिपूर्ति के लिये दी गई धन राशि (रुपये लाख में)			Amount of compensation paid (Rs. In lakh)
क) मृत्यु	5761.60	5373.98	a) Death
ख) स्थायी विकलांगता	2493.84	3210.06	b) Permanent disablement
ग) अस्थायी विकलांगता	313.19	1068.49	c) Temporary disablement
कुल	8568.63	9652.53	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

आंकड़े केवल उत्तर देने वाले राज्यों से संबन्धित हैं।

The data relate to the responding States only.

7 सामाजिक सुरक्षा

7 SOCIAL SECURITY

7.2 प्रसूति प्रसुविद्या अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दी गई प्रसूति सुविधाएं
**7.2 Maternity Benefits paid under the Maternity
 Benefit Act, 1961**

	2006	2007*	
1	2	3	1
कारखाने			Factories
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	509170	128333	a) No. of women employed
(ख) दावे (संख्या)	1324	1026	b) Claims (number)
(ग) प्रदत्त			c) Paid :
(i) संख्या	2431	922	i) Number
(ii) धन राशी (रुपये लाख में)	909.02	266.68	ii) Amount (Rs. In akhs)
बागान			Plantations
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	343847	346785	a) No. of women employed
(ख) दावे (संख्या)	15236	29049	b) Claims (number)

7 सामाजिक सुरक्षा

7 SOCIAL SECURITY

सारणी 7.2
Table 7.2

1	2	3	1
(ग) प्रदत्त			c) Paid :
i) संख्या	15236	27861	i) Number
ii) धन राशी (रुपये लाख में)	407.96	424.04	ii) Amount (Rs.in lakhs)
खानें			Mines
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	a) No. of women employed
(ख) दावे (संख्या)	b) Claims (number)
(ग) प्रदत्त	c) Paid :
i) संख्या	i) Number
ii) धन राशी (रुपये लाख में)	ii) Amount (Rs.in lakhs)

स्रोत : म० नि० खा० सु० एवं श्रम ब्यूरो
Source : DGMS and Labour Bureau

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL COMPARISON

8.1 भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन
(आर्थिक किष्णशीलता के अनुसार प्रदत्त रोजगार)

8.1 Employment in Selected Major Groups of Industries in Different Countries

(Paid employment by economic activity)

('000 में) (in 000's)

देश	खनन और खदान		Country
	Mining & Quarrying		
	2007	2008	
अफ्रीका			Africa
मोरिशियस	0.14	0.14	Mauritius
अमेरिका			America
कैनेडा	192.2	202.2	Canada
संयुक्त राष्ट्र	663.8	717.0	United States
एशिया			Asia
भारत	India
जापान	40	30	Japan
श्री लंका	4.6	4.7	Sri Lanka
यूरोप			Europe
फ्रांस	23.7	25.3	France
जर्मनी	105	105	Germany
इटली	36	32	Italy
स्लोवाकिया	9	8	Slovakia
ब्रिटेन	133	127	United Kingdom
ओशेनिआ			Oceania
आस्ट्रेलिया	117.2	132.0	Australia
न्यूजीलैण्ड	4.8	3.7	New Zealand

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL
COMPARISON

सारणी 8.1

Table 8.1

विनिर्माण			
Manufacturing			
	2007	2008	
1	4	5	1
अफ्रीका			Africa
मोरिशियस	92.261	91.978	Mauritius
अमेरिका			America
कैनेडा	1818.9	1735.9	Canada
संयुक्त राष्ट्र	14801.9	14333.3	United States
एशिया			Asia
भारत	India
जापान	11220	11050	Japan
श्री लंका	243.9	392.4	Sri Lanka
यूरोप			Europe
फ्रांस	3730.9	3667.7	France
जर्मनी	7996	8017	Germany
इटली	4114	4078	Italy
स्लोवाकिया	378	371	Slovakia
ब्रिटेन	3738	3540	United Kingdom
ओशेनिया			Oceania
आस्ट्रेलिया	1021.8	1029.6	Australia
न्यूजीलैंड	249.9	249.2	New Zealand

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL
COMPARISON

सारणी 8.1
Table 8.1

परिवहन, भंडारण एवं संचार Transport, Storage & Communication			
1	6	7	1
	2007	2008	
अफ्रीका			Africa
मोरिशियस	18.513	19.051	Mauritius
अमेरिका			America
कैनेडा	872.8	873.7	Canada
संयुक्त राष्ट्र	6340.6	6273.9	United States
एशिया			Asia
भारत	India
जापान	3780	3730	Japan
श्री लंका	53.9	52.5	Sri Lanka
यूरोप			Europe
फ्रांस	1526.8	1563.2	France
जर्मनी	1984	1956	Germany
इटली	1051	1084	Italy
स्लोवाकिया	101	103	Slovakia
ब्रिटेन	1951	1961	United Kingdom
ओशेनिआ			Oceania
आस्ट्रेलिया	595.8	616.1	Australia
न्यूजीलैण्ड	101.8	107.6	New Zealand

स्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी)
Source : ILO website(www.ilo.org)

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL COMPARISON

8.2 चुने हुए देशों में विनिर्माण में औद्योगिक कर्मकारों/कर्मचारियों का औसत उपार्जन/वेतन

8.2 Average Earnings / Salaries of Industrial Workers / Employees in Manufacturing in selected countries

देश	मुद्रा Currency	इकाई Unit	2007	2008	Country
1	2	3	4	5	1
अफ्रीका					
मोरिशियस #	रूपया Rupee	माह Month	8622	8979	Mauritius #
मिस्र %	पाँड Pound	सप्ताह Week	220	..	Egypt%
अमेरीका					
कैनेडा % &	डालर Dollar	घन्टा Hour	21.58	21.95	Canada %&
संयुक्त राष्ट्र #	डालर Dollar	घन्टा Hour	17.26	17.74	United States #
एशिया					
भारत %	रूपया Rupee	माह Month	India %
जापान #	येन Yen	माह Month	296800	293400	Japan #
श्रीलंका %	रूपया Rupee	दिन Day	412.19	432.55	Sri Lanka%

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL COMPARISON

सारणी 8.2

Table 8.2

1	2	3	4	5	1
यूरोप					Europe
स्लोवाकिया #	कोरुना Koruna	माह Month	20024	21449	Slovakia #
फ्रांस %	युरो Euro	माह Month	France %
ब्रिटेन #&	Pound	घन्टा Hour	13.19	..	United Kingdom #&
जर्मनी %	युरो Euro	घन्टा Hour	Germany %
ओशेनिया					Oceania
आस्ट्रेलिया #	डालर Dollar	घन्टा Hour	Australia #
न्यूजीलैंड #	डालर Dollar	घन्टा Hour	21.45	22.41..	New Zealand #

स्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी)

Source : ILO website(www.ilo.org)

कर्मचारी

Employees

& अधिसमय सहित

& = Incl. Overtime

% मजदूरी उपार्जनकर्ता

% = Wage earners

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL COMPARISON

8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद

(आर्थिक किग्राशीलता के अनुसार)

8.3 Industrial Disputes in Selected Countries

(By economic activity)

देश	विवादों की संख्या No. of disputes	अन्तर्ग्रस्त कर्मकार Workers involved	अकार्य दिवस Days not worked	Country
1	2	3	4	1
2007				
अफ्रीका				Africa
मोरिशियस	29	4687	15214	Mauritius
अमेरीका				America
कैनेडा	206	65552	1770707	Canada
संयुक्त राष्ट्र	23	192900	1264800	United states
एशिया				Asia
भारत	389	724574	27166752	India
जापान	54	20825	33236	Japan
मलेशिया		Malaysia
पाकिस्तान		Pakistan
फिलिपाइन्स	6	915	12112	Philippines
श्रीलंका	25	7547	39237	Sri Lanka
यूरोप				Europe
इटली	667	906292	929714	Italy
स्विट्जरलैण्ड	2	5083	7083	Switzerland
ब्रिटेन	152	744800	1041100	United Kingdom
ओशनिया				Ocenia
आस्ट्रेलिया	135	36000	49700	Australia
न्यूजीलैंड	31	4090	11439	New Zealand

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL
COMPARISON

सारणी 8.3
Table 8.3

1	2	3	4	1
<u>2008</u>				
अफ्रीका				Africa
मोरिशियस	15	2148	15482	Mauritius
अमेरीका				America
कैनेडा	187	41291	875640	Canada
संयुक्त राष्ट्र	16	82700	1954100	United states
एशिया				Asia
भारत	423	1483593	16683942	India
जापान	52	8284	11205	Japan
मलेशिया				Malaysia
पाकिस्तान				Pakistan
फिलिपाइन्स	5	1115	38711	Philippines
श्रीलंका	51	37931	65665	Sri Lanka
यूरोप				Europe
इटली	621	669153	722714	Italy
स्विट्जरलैण्ड	8	10160	13844	Switzerland
ब्रिटेन	144	511200	758861	United Kingdom
ओशनिया				Ocenia
आस्ट्रेलिया	177	172900	196500	Australia
न्यूजीलैंड	23	..		New Zealand

स्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी)

Source : ILO website(www.ilo.org)

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL COMPARISON

8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक क्षति दरें
(आर्थिक किग्राशीलता के अनुसार) (घातक क्षति)

8.4 Rates of Occupational Injuries in selected countries (By economic activity) (Fatal Injuries)

देश	संकेतांक Code	खनन एवं खदान Mining & quarrying		Country	
		2007	2008		
1	2	3	4	1	
मिस्र	1/सी	1/c	Egypt
ट्यूनिशिया	2/एफ	2/f	Tunisia
कनैडा	2/सी	2/c	7.9	14.4	Canada
संयुक्त राष्ट्र	1/ई	1/e	25	..	United states
भारत	1/सी	1/c	27	..	India
जापान	1/डी	1/d	0.00	0.00	Japan
श्री लंका	1/डी	1/d	0.036	0.007	Sri Lanka
पाकिस्तान	1/ई	1/e	Pakistan
फिलिपाईन्स	1/डी	1/d	Phillipines
इटली	2/एफ	2/f	11	..	Italy
पौलैंड	1/ई	1/e	14.4	16.9	Poland
स्लोवाकिया	1/एफ	1/f	0	0	Slovakia
ब्रिटेन	1/सी	1/c	United Kingdom
आस्ट्रेलिया	2/सी	2/c	4.7	5.0	Australia

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL COMPARISON

सारणी 8.4
Table 8.4

देश	संकेतांक Code	विनिर्माण Manufacturing		Country	
		2007	2008		
1	2	5	6	1	
मिस्र	1/सी	1/c	Egypt
ट्यूनिशिया	2/एफ	2/f	Tunisia
कनैडा	2/सी	2/c	3.1	2.4..	Canada
संयुक्त राष्ट्र	1/ई	1/e	3	..	United states
भारत	1/सी	1/c	India
जापान	1/डी	1/d	0.01	0.01	Japan
श्री लंका	1/डी	1/d	0.030	0.009	Sri Lanka
पाकिस्तान	1/ई	1/e	Pakistan
फिलिपाईन्स	1/डी	1/d	Phillipines
इटली	2/एफ	2/f	4	..	Italy
पौलैंड	1/ई	1/e	4.6	4.0	Poland
स्लोवाकिया	1/एफ	1/f	5	3	Slovakia
ब्रिटेन	1/सी	1/c	United Kingdom
आस्ट्रेलिया	2/सी	2/c	3.1	2.9	Australia

स्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी)

Source : ILO website(www.ilo.org)

1 सूचित क्षतियां	1 = Reported Injuries
2 क्षतिपूरित क्षतियां	2 = Compensated Injuries
(सी) प्रति 100000 कर्मकार	c = per 100000 employees
(डी) प्रति 1000000 कार्य किए गये घण्टे	d = per 1000000 hours worked
(ई) प्रति 100000 नियोजित कर्मकार	e = per 100000 workers employed
(एफ) प्रति 100000 बीमाकृत कर्मकार	f = per 100000 workers insured

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL COMPARISON

8.5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य सूचकांक)

आधार (2000 = 100)

8.5 Consumer Prices Index Numbers (General Indices)

Base (2000=100)

देश	2008	2009	Country
1	2	3	1
अफ्रीका			Africa
घाना	386.8	461.2	Ghana
मिस्र	186.4	208.4	Egypt
मोरिशियस	166.5	170.8	Mauritius
अमरीका			America
अर्जनटाइना &	211.9	225.5	Argentina&
कनाडा	119.6	119.9	Canada
संयुक्त राष्ट्र	United States
एशिया			Asia
भारत ++	147	163.2	India++
जापान	99.5	98.1	Japan
मलेशिया	121.5	122.3	Malaysia
पाकिस्तान	180.8	205.5	Pakistan
फिलीपाइन्स	155.0	160.0	Phillipines
श्रीलंका ^	199.9	206.8	Sri Lanka^
यूरोप			Europe
स्लोवाकिया \$	149.0	151.5	Slovakia \$
फ्रांस	116.6	116.7	France

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL COMPARISON

सारणी 8.5
Table 8.5

1	2	3	1
जर्मनी	115.4	115.9	Germany
इटली #	120.7	121.6	Italy #
पोलैंड %	123.6	127.9	Poland %
स्विटजरलैंड &&	108.8	108.2	Switzerland &&
ब्रिटेन	126.1	125.5	United Kingdom
ओशेनिया			Oceania
आस्ट्रेलिया	128.3	130.7	Australia
न्यूजीलैंड	124.4	127.0	New Zealand

स्रोत : आई एल ओ० वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी)
Source : ILO website(www.ilo.org)

& मैट्रोपोलिटन क्षेत्र

++ औद्योगिक श्रमिक

तम्बाकू को छोड़कर

\$ 1991 से सूचकांक आधार 2000 = 100
से; 1991 से पहले; सूचकांक आधार
1990=100

% 1998 से सूचकांक आधार 2000 = 100
से; 1998 से पहले; सूचकांक आधार
1990=100

&& 1990 से सूचकांक आधार 2000 = 100
से; 1990 से पहले; सूचकांक आधार
1990=100

^ सूचकांक आधार 2002 = 100

& = Metropolitan areas

++ = Industrial workers

= Excluding tobacco

\$ = From 1991 index base 2000=100;
prior to 1991; index base 1990=100

% From 1998 index base 2000=100;
prior to 1998; index base 1990=100

&& = From 1990 index base
2000=100; prior to 1990; index base
1990 = 100

^ = Index base 2002 = 100

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय
9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

क्र० सं० Sl. No	अभिसमय शीर्षक एवं संख्या No. & Title of Convention	अनुसमर्थन के पंजियन की तिथि Date of registration of ratification
1	2	3
1	सं० 1 कार्य के घंटे (उद्योग) अभिसमय, 1919 No. 1 Hours of Work (Industry) Convention, 1919	14-07-1921
2+	सं०. 2, बेरोजगारी अभिसमय, 1919 No. 2, Unemployment Convention, 1919	14-07-1921
3	सं० 4 रात्रि-कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1919 No. 4, Night Work (Women) Convention, 1919	14-07-1921
4	सं० 5 न्यूनतम आयु (उद्योग) अभिसमय, 1919 No. 5 Minimum Age (Industry) Convention, 1919	09-09-1955
5	सं० 6 तरुण व्यक्तियों का रात्रि-कार्य (उद्योग) अभिसमय, 1919 No. 6, Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919	14-07-1921
6	सं० 11 संघ बनाने का अधिकार (कृषि), अभिसमय, 1921 No. 11 Right of Association (Agriculture) Convention, 1921	11-05-1923

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय
9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
7	सं० 14 साप्ताहिक विश्राम (उद्योग) अभिसमय, 1921 No. 14, Weekly Rest (Industry) Convention, 1921	11-05-1923
8	सं० 15 न्यूनतम आयु (ट्रिमर्स एवं स्टोकर्स) अभिसमय, 1921 No. 15, Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921	20-11-1922
9	सं० 16 तरुण व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच (समुद्र) अभिसमय, 1921 No. 16, Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921	20-11-1922
10	सं० 18 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय, 1925 No. 18, Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925	30-09-1927
11	सं० 19 व्यवहार की समानता (दुर्घटना क्षतिपूर्ति) अभिसमय, 1925 No. 19, Equality of Treatment (Accident Compensation), 1925	30-09-1927
12	सं० 21 प्रवासी निरीक्षण अभिसमय, 1926 No. 21, Inspection of Emigrants Convention , 1926	14-01-1928

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय
9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
13	सं० 22 नाविकों के अनुबन्ध संबंधी अन्तर्नियम अभिसमय, 1926 No. 22, Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926	31-10-1932
14	सं० 26 न्यूनतम मजदूरी नियतन तन्त्र अभिसमय, 1928 No. 26, Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928	10-01-1955
15	सं० 27 भार अंकित करना (जलयानों द्वारा वाहित संवेष्ट पैकेज) अभिसमय, 1929 No. 27, Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929	07-09-1931
16	सं० 29 बेगार अभिसमय, 1930 No. 29, Forced Labour Convention, 1930	30-11-1954
17	सं० 32 दुर्घटनाओं से संरक्षण (गोदी मजदूर) अभिसमय, (संशोधित), 1932 No. 32, Protection Against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932	10-02-1947
18§	सं० 41 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित), 1934 No. 41, Night Work (Women) Convention (Revised), 1934	22-11-1935

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय
9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
19	सं० 42 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय, (संशोधित), 1934 No. 42, Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934	13-01-1964
20	सं० 45 सतह के नीचे कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1935 No. 45, Underground Work (Women) Convention, 1935	25-03-1938
21	सं० 80 निर्णायक अन्तर्नियम संशोधन अभिसमय, 1946 No. 80 Final Articles Revision Convention, 1946	17-11-1947
22&	सं० 81 श्रम निरीक्षण अभिसमय, 1947 No. 81, Labour Inspection Convention, 1947	07-04-1949
23	सं० 88 रोजगार सेवा अभिसमय, 1948 No. 88, Employment Service Convention, 1948	24-06-1959
24	सं० 89 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित), 1948 No. 89, Night Work (Women) Convention (Revised), 1948	27-02-1950
25	सं० 90 तरुण व्यक्तियों का रात्रि कार्य (उद्योग) अभिसमय, (संशोधित), 1948 No. 90, Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948	27-02-1950

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय
9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
26	सं० 100 समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951 No. 100, Equal Remuneration Convention, 1951	25-09-1958
27	सं० 105 बेगार उन्मूलन, 1957 No.105 Abolition of Forced Labour, 1957	18-05-2000
28	सं० 107 देश एवं जनजातीय जनसंख्या अभिसमय, 1957 No. 107 Indigenous and Tribal Population Convention, 1957	29-09-1958
29	सं० 108 समुद्रयात्री (नाविक) पहचान दस्तावेज अभिसमय, 1958 No. 108 Seafarers Identify Document Convention 1958	17-01-2005
30	सं० 111 भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) अभिसमय, 1958 No. 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958	03-06-1960
31	सं० 115 विकिरण संरक्षण अभिसमय, 1960 No. 115, Radiation Protection Convention, 1960	17-11-1975
32	सं० 116 निर्णायक अन्तर्नियम संशोधन अभिसमय, 1961 No. 116 Final Articles Revision Convention, 1961	21-06-1962

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय
9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

33#	सं० 118 व्यवहार की समानता (सामाजिक सुरक्षा) अभिसमय, 1962 No. 118, Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962	19-08-1964
34	सं० 122 रोजगार नीति अभिसमय, 1964 No. 122, Employment Policy Convention, 1964	17-11-1998
35\$\$	सं० 123 न्यूनतम आयु (सतह के नीचे कार्य) अभिसमय, 1965 No. 123, Minimum Age (Under-ground Work) Convention, 1965	20-03-1975
36	सं० 136 बेन्जीन अभिसमय, 1971 No. 136, Benzene Convention, 1971	11-06-1991
37	सं० 141 ग्रामीण कर्मकार संगठन, अभिसमय, 1975 No. 141, Rural Workers' Organisation Convention, 1975	18-08-1977
38	सं० 144 त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक) अभिसमय, 1976 No. 144, Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976	27-02-1978
39	सं० 147 व्यापारी पोत परिवहन (न्यूनतम मानक) अभिसमय, 1976 No. 147 Merchant Shipping (Minimum Standard) Convention, 1976	26-09-1996

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय
9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

- 40** सं० 160 श्रम सांख्यिकी अभिसमय, 1985 (भाग II का नियम 8) 01-04-1992
No. 160, Labour Statistics Convention,
1985(Article 8 of Part II)
- 41 पी 89 रात्रि कार्य (महिला) का 1990 का प्रोटोकॉल 21-11-2003
अभिसमय, (संशोधित) 1948
P 89 Protocol of 1990 to the Night Work
(Women) Convention (Revised), 1948
-

+ बाद में समाप्त कर दिया गया। अभिसमय के तहत बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को प्रत्येक तिमाही में आन्तरिक तौर पर प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

+ Later denounced. The convention requires, internal furnishing of Statistics concerning unemployment every three months which is considered not practicable.

\$ अभिसमय, संख्या 89 के अनुसमर्थन के फलस्वरूप परिवर्तन समाप्त

\$ Convention denounced as a result of ratification of Convention No. 89

& भाग II को छोड़कर

& Excluding Part II

शाखाएं (ग) तथा (घ), तथा शाखाएं (क) से (ग) तथा (झ)

Branches (c) and (g) and branches (a) to (c) and (i)

\$\$ प्रारम्भ में न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी लेकिन 1989 में इसे 18 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था।

\$\$ Minimum age initially specified was 16 years but raised to 18 years in 1989

** भाग II का नियम 8

** Article 8 of Part II

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

इस अध्याय में वर्ष 2008 तथा 2009 के दौरान घटित महत्वपूर्ण श्रम गतिविधियां संक्षेप में दी गई हैं ।

1. सम्मेलन/बैठकें

1.1 अन्तरराष्ट्रीय

1.1.1 अ० श० सं० के शासी निकाय का 301वां अधिवेशन 6 से 20 मार्च, 2008 तक आयोजित किया गया । अन्य कार्यों के अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय द्वारा गठित विभिन्न समितियों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई ।

i) **क्षेत्रीय तथा तकनीकी बैठकें तथा संबंधित मामलों पर समिति** द्वारा विभिन्न कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई जैसे कि वर्ष 2008-09 में कियाकलापों के लिए क्षेत्रीय कियाकलाप कार्यक्रम तथा प्रस्ताव

ii) **रोजगार तथा सामाजिक नीति पर समिति** द्वारा वैश्विक रोजगार कार्यसूची निर्धनता उन्मूलन योजना पेटों में प्रतिष्ठित कार्य कार्यसूची, वैश्विक सामाजिक ट्रस्ट पायलट परियोजना, महिला उद्यम विकास प्रोत्साहन, नि० प्र० क्षेत्र में नीवनतम प्रवृत्तियों तथा योजना परिणामों से संबंधित विषयों पर विचारविमर्श किया गया ।

iii) **तकनीकी सहयोग समिति** द्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारियों, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, बाल श्रम उन्मूलन आदि पर कार्यक्रमों से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई ।

10 Current Labour Activities

The Chapter presents in brief the important labour activities during the year 2008 and 2009.

1. CONFERENCES / MEETINGS

1.1 INTERNATIONAL

1.1.1 The 301st Session of the Governing Body of ILO was held during 6th to 20th March, 2008. Besides other businesses, the different committees constituted by the Governing Body of the ILO discussed the following issues.

i) The Committee on Sectoral and Technical Meetings and Related Issues discussed various agenda items such as sectoral activities programme and proposals for activities in 2008-09.

ii) The Committee on Employment and Social Policy discussed matters relating to Global employment agenda, Decent Work agenda in poverty reduction strategy papers, Global Social Trust pilot project, promoting women's entrepreneurship development, latest trends and policy developments in EPZs.

iii) The Committee on Technical Cooperation discussed aspects relating to programmes on public private partnerships, occupational safety and health, elimination of child labour etc.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

- iv) **कानूनी मामले तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम मानक समिति** द्वारा क्षेत्रीय बैठकों के लिए नियमों का संशोधन, आई.एल.सी. के स्थायी आदेशों में संशोधन, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मानक संबंधी कार्यों में सुधार, अनुसमर्थित तथा गैर-अनुसमर्थित अभिसमयों तथा सुझावों पर रिपोर्टों के फार्म से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई ।
- v) **बहु-राष्ट्रीय उद्यमों पर उप समिति** द्वारा बहु-राष्ट्रीय उद्यमों तथा सामाजिक नीति, सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व आदि से संबंधित विषयों पर विचार तथा चर्चा की गई ।
- vi) **कार्यक्रम, वित्तीय तथा प्रशासनिक समिति** द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए कार्यक्रम तथा बजट, कार्यक्रम क्रियान्वयन 2006-07, 2010-2015 के लिए कमबद्ध योजना रूप देखा, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन फील्ड संरचना की समीक्षा, प्रधान आन्तरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट, आदि पर विचार-विमर्श किया गया ।
- vii) **वैश्वीकरण के सामाजिक विन्ताद पर कार्यसमूह** द्वारा प्रतिष्ठित कार्य के लिए वर्तमान सम्भावनाएं तथा नीतियां: उज्जवल वैश्वीकरण के लिए बहुपक्षीय सहयोग तथा नीति सामंजस्य की चुनौती तथा उज्जवल वैश्वीकरण के लिए प्रतिष्ठित कार्य पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन मंच की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया ।
- viii) सचिव (श्रम एवं रोजगार) द्वारा विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाने हेतु महानिदेशक द्वारा समय पर उठाए गए कदमों की सराहना की गई ।

10 Current Labour Activities

iv) The Committee on Legal Issues and International Labour Standards discussed matters relating to Revision of rules for Regional Meetings, amendments to Standing Orders of the ILC, improvements in standard-related activities of the ILO, form of reports on ratified and unratified Conventions and Recommendations.

v) The Sub-Committee on Multi-National Enterprises considered and discussed issues relating to Multi-National Enterprises and social policy, corporate social responsibility etc.

vi) The Programme, Financial and Administrative Committee discussed Programme and Budget for 2006-07, programme implementation 2006-07, Strategic Policy Framework for 2010-2015, review of ILO field structure, report of the Chief Internal Auditor, etc.

vii) The Working Party on Social Dimension of Globalisation discussed the current prospects and policies for decent work: The challenge of multilateral cooperation and policy coherence for a fair globalisation and the Report of the ILO Forum on Decent Work for a Fair Globalisation.

viii) Secretary (L&E) welcomed the timely initiative taken by the Director-General to bring together various international organizations.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

उन्होंने सूचित किया कि अमरिका के सब प्राईम संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा जिससे यू.एस. डॉलर के अवमूल्यन तथा निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यद्यपि सम्भावित विकास दर मजबूत रही तथापि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा इसे और विस्तृत बनाने की कोशिश की गई। कार्यसूची की दूसरी मद पर हस्तक्षेप करते हुए सचिव (श्रम एवं रोजगार) ने 'लिज्बन विचारधारा' के संबंध में व्यक्त की गई भावनाओं को दुहराया। उनके अनुसार 'लिज्बन' विचारधारा के स्थान पर 'लिज्बन योजना', द्वारा देशों में लोगों की उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकने वाले समाधानों तथा योजनाओं को खोजने हेतु संयुक्त प्रयास का रास्ता दिखाना चाहिए।

1.1.2 शासी निकाय का 302वाँ अधिवेशन

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 302वाँ अधिवेशन जून, 2008 में आयोजित किया गया। अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 97वें अधिवेशन में उठे सवालों तथा संघ की स्वतंत्रता पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन समिती की रिपोर्ट सहित कई मामलों पर चर्चा की गई।

1.1.3 शासी निकाय का 303वाँ अधिवेशन

शासी निकाय का 303वाँ अधिवेशन 6 से 21 नवम्बर, 2008 के दौरान आयोजित किया गया।

10 Current Labour Activities

She reported that the United States sub-prime crisis had consequences for the Indian economy through the fall in the value of the US dollar and its adverse impact on exports. However, the expected rate of growth remained strong and the Government was endeavouring to make it more inclusive through the implementation of various schemes. While making an intervention on the second item on the agenda, Secretary (L&E) echoed the sentiments expressed regarding the spirit of Lisbon. The “Lisbon spirit” should give way to the “Lisbon strategy”, a concerted effort to seek solutions and strategies which could unleash the productive capacity of people across nations.

1.1.2 The 302nd SESSION OF THE GOVERNING BODY

The 302nd Session of the Governing Body of the ILO was held in June 2008. It discussed a wide range of issues including the questions arising out of the 97th Session of the ILC and the report of the ILO Committee on Freedom of Association.

1.1.3 The 303rd SESSION OF THE GOVERNING BODY

The 303rd Session of the Governing Body was held during 6th to 21st November, 2008.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

- i) **क्षेत्रीय तथा तकनीकी बैठकों तथा संबंधित मामलों पर समिति** द्वारा विभिन्न कार्यसूची मदों जैसे श्रम आंकड़ों पर विशेषज्ञों की त्रिपक्षीय बैठक, समुद्री विषय, शिप स्कैपिंग पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया ।
- ii) **रोजगार तथा सामाजिक नीति पर समिति** द्वारा वैश्विक रोजगार कार्यसूची, वैश्विक मजदूरी प्रचलन रिपोर्ट, सामाजिक सुरक्षा मानक, रोजगार तथा जलवायु की श्रम बाजार विवक्षाओं से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ।
- iii) **तकनीकी सहयोग समिति** द्वारा प्रतिष्ठित कार्य स्थानीय कार्यक्रम, तकनीकी सहयोग पर अनुवर्ती प्रस्ताव, मौलिक सिद्धान्तों तथा कार्य के अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के घोषणा-पत्र पर अनुवर्ती कार्टवार्ड, तकनीकी सहयोग की प्रभावकारिता में सुधार आदि से संबंधित पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया ।
- iv) **कानूनी मामले तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम मानक समिति** द्वारा अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में नियोक्ता तथा श्रमिक प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कानूनी तथा व्यावहारिक उपायों, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों से संबंधित मानकों में सुधार, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मौलिक अभिसमय का अनुसमर्थन तथा उन्नयन, अभिसमयों तथा सिफारिशों का चयन जिस पर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत रिपोर्टें मांगी जानी चाहिए से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया ।

10 Current Labour Activities

i) The Committee on Sectoral and Technical Meetings and Related Issues discussed various agenda items such as Tripartite Meeting of Experts on Labour Statistics, Maritime matters, Report on the Working Group on Ship Scrapping.

ii) The Committee on Employment and Social Policy discussed matters relating to Global employment agenda, Global wage trend report, Social security standards, Employment and labour market implications of Climate.

iii) The Committee on Technical Co-operation discussed aspects relating to implementation of Decent Work Country Programme, follow-up to the resolution on technical co-operation, follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, improving the effectiveness of technical co-operation, etc.

iv) The Committee on Legal Issues and International Labour Standards discussed matters relating to Legal and practical measures relating to the representation of Employers' and Workers' delegates at the International Labour Conference, improvements in the standard related activities of ILO, ratification and promotion of fundamental ILO Convention, Choice of Conventions and Recommendations on which reports should be requested under Article 19 of the Constitution.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

v) **बहुराष्ट्रीय उद्यम उप समिति** ने सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित किया-कलापो, वर्ष 2008-09 के लिए बहु-राष्ट्रीय उद्यमों के लिए योजनागत प्राथमिकताओं आदि से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया ।

vi) **कार्यक्रम, वित्तीय तथा प्रशासनिक समिति** द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए कार्यक्रम तथा बजट, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2010-15, अन्तरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान से संबंधित वित्तीय प्रश्न, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, संयुक्त निरीक्षण एकक से संबंधित विषयों आदि पर विचार-विमर्श किया गया ।

vii) **वैश्वीकरण के सामाजिक विस्तार पर कार्यसमूह** द्वारा उज्जवल वैश्वीकरण का निर्माण: डीसेन्ट वर्क एजेन्डो के लिए परिप्रेक्ष्य तथा सम्भावनाएं तथा योजना संबद्धता पहल: हाल में हुई बैठकों तथा कियाकलापो पर रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया ।

viii) सचिव (श्रम एवं रोजगार) द्वारा शासी निकाय में वित्तीय संकट, प्रतिष्ठित कार्य का मूल्यांकन, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा उज्जवल वैश्वीकरण पर कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए गए । संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, सामाजिक सुरक्षा, वैश्विक मजदूरी प्रवृत्ति रिपोर्टें, प्रवासी श्रमिकों का संरक्षण तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर हस्तक्षेप किए गए ।

10 Current Labour Activities

v) The Sub-Committee on Multi-National Enterprises considered and discussed issues relating to Corporate Social Responsibility related activities, strategic priorities for Multi-Nationals for 2008-09, etc.

vi) The Programme, Financial and Administrative Committee discussed Programme and Budget for 2008-09, Strategic Policy Framework 2010-15, financial questions relating to International Institute for Labour Studies, International Training Centre of the ILO, matters relating to Joint Inspection Unit, etc.

vii) The Working Party on Social Dimension of Globalisation discussed the ‘Shaping a Fair Globalisation: Perspective and Prospects for the Decent Work Agenda’ and ‘Policy Coherence Initiative: Report on recent meetings and activities’.

viii) Several important interventions were made by Secretary (L&E) in the Governing Body on the financial crisis, measurement of Decent Work, safety & health and fair globalization. Interventions were also made by the Joint Secretary, Ministry of Labour & Employment on strategic policy framework, social security, global wage trend reports, protection of migrant workers and evaluation of ILO programmes.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का शासी निकाय

1.1.4 श्रीमती सुषा पिल्ले, सचिव, श्रम एवं रोजगार द्वारा 23 से 27 मार्च, 2009 तक जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 304वें अधिवेशन तथा 29 से 31 मार्च, 2009 तक रोम, इटली में श्रम एवं सामाजिक नीति के मंत्रियों की जी-8 बैठक में भाग लिया गया।

श्री एस.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव तथा श्री विकास, निदेशक द्वारा 16 से 27 मार्च, 2009 तक तथा 9 से 27 मार्च, 2009 तक कमशः जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय के 304 वे अधिवेशन में भाग लिया गया।

राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में सहभागिता

2 राष्ट्रीय

2.1 स्थायी श्रम समिति

i) स्थायी श्रम समिति का 43वां अधिवेशन 30 अक्टूबर, 2009 को माननीय केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। श्री हरीश रावत, राज्य मंत्री (श्रम एवं रोजगार) बैठक के सह-अध्यक्ष थे। केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों केन्द्रीय नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, श्रम मंत्रियों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैठक में भाग लिया गया।

10 Current Labour Activities

GOVERNING BODY OF THE ILO

1.1.4 Smt. Sudha Pillai, Secretary (L&E) attended the 304th Session of Governing Body of ILO at Geneva (Switzerland) from 23-27 March, 2009 and the G8 meeting of Ministers of Labour and Social Policy from 29-31st March, 2009 at Rome (Italy).

Shri S.K. Srivastava, Joint Secretary and Shri Vikas, Director attended the 304th Session of Governing Body of ILO at Geneva (Switzerland) from 16-27th March, 2009 and 9-27 March, 2009 respectively.

PARTICIPATION AT THE NATIONAL LEVEL EVENTS

2. National

2.1 Standing Labour Committee

The 43rd Session of the Standing Labour Committee was held on 30th October, 2009 under the Chairmanship of the Hon'ble Union Minister of Labour & Employment. Shri Harish Rawat, Minister of State (L&E) was Co-chairman of the meeting. The meeting was attended by senior representatives of Central Trade Union Organisations, Central Employer's Organisations, Labour Ministers and State Governments/UT Administrations and senior officers from Central Ministries, Departments.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

विभिन्न राज्यों से श्रम मंत्रियों द्वारा विचार-विमर्श में भाग लिया गया । इस अवसर पर एच.आई.वी/एड्स पर राष्ट्रीय नीति तथा कार्य संसार का भी आरम्भ किया गया । यह नीति कार्य स्थल पर एच.आई.वी/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने, इसके फैलने में रोकने हेतु कार्रवाई को प्रोत्साहित करने तथा समर्थन व सुरक्षा पहल में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगी

सामाजिक सुरक्षा कानून

2.2 सामाजिक सुरक्षा:

भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना की परिधि में मुख्य तौर पर संगठित श्रम बल आता है, जिसे संगठन के भीतर प्रत्यक्ष एवं नियमित नियोक्ता-कर्मचारी संबंध रखने वाले श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून अपनी शक्ति एवं उत्साह भारत के संविधान में दिए अनुसार राज्य योजना के निर्देशक सिद्धांतों से प्राप्त करते हैं । ये या तो अकेले नियोक्ता के खर्च पर या नियोक्ता तथा कर्मचारी के संयुक्त अंश के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करते हैं । कर्मचारियों को दिए जाने वाले हकों की रक्षा करते समय अनुपालन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से नियोक्ता का होता है ।

10 Current Labour Activities

Labour Ministers from several states participated in the deliberations. The National Policy on 'HIV/AIDS and the World of Work' was also launched on the occasion. The Policy will help to generate awareness about HIV/AIDS, encourage action to prevent its spread and further improve and develop support and care initiatives at workplace.

SOCIAL SECURITY LAWS

2.2 SOCIAL SECURITY :

The Social Security Schemes in India cover mainly the organised work force which may be defined as workers, who have a direct & regular employer-employee relationship within an organization. The Social Security Legislation in India derives its strength and spirit from the Directive Principles of the State Policy as contained in the Constitution of India. These provide for mandatory social security benefits either solely at the cost of the employers or on the basis of joint contribution of the employers and the employees. While protecting entitlements available to the employees, the responsibility for compliance largely rests with the employers.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

भारत में अधिनियमित मुख्य सामाजिक सुरक्षा कानून इस प्रकार हैं

- 1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- 2 कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- 3 कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- 4 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- 5 उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
- 6 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

अधिनियमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948:

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 बीमारी, प्रसूति तथा रोजगार क्षति के मामले में स्वास्थ्य सुरक्षा तथा नकद लाभ भुगतान हेतु व्यवस्था करता है। यह अधिनियम बिजली का प्रयोग करने वाले तथा 10 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले गैर मौसमी कारखानों पर लागू होता है। इस अधिनियम को चरणबद्ध ढंग से क्षेत्रवार कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना 27 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 782 केन्द्रों में चलाई जा रही है। 31.3.2008 के अनुसार 1.21 करोड़ बीमाकृत व्यक्ति तथा लगभग 4.68 करोड़ लाभ भोगियों को स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। वर्ष के अन्त तक शामिल किए गए कारखाना तथा संस्थानों की संख्या लगभग 3,52,508 तक पहुँच गई थी।

10 Current Labour Activities

The principal social security laws enacted in India are the following:

1. The Employee's State Insurance Act, 1948
2. The Employees' Provident fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952
3. The workmen's compensation Act, 1923
4. The Maternity Benefit Act, 1961
5. The Payment of Gratuity Act, 1972
6. The Employees' Pension Scheme, 1995

A brief description of the Acts is given below:

The Employees' State Insurance Act, 1948:

The Employees State Insurance Act, 1948 provides for health care and cash benefit payments in the case of sickness, maternity and employment injury. The Act is applicable to non seasonal factories using power and employing 10 or more employees. The Act is being implemented area-wise, in a phased manner. The ESI Scheme is operated in 782 centres situated in 27 States/Union Territories. As on 31.03.2008, 1.21 crores insured persons and about 4.68 crores beneficiaries are covered under the Scheme. The number of factories and establishments covered by the end of the year had gone upto about 3,52,508.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि प्रारम्भ करने के उद्देश्य से अधिनियमित कल्याण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को जब वे विपत्ति में होते हैं तथा परिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में अयोग्य होते हैं तथा बुढ़ापे में उन्हें सुरक्षा देने हेतु, विकलांगता, कमाने वाले की अकाल मृत्यु की स्थिति में तथा कुछ अन्य आकस्मिक घटनाओं के समय सामाजिक सुरक्षा तथा समय पर वित्तीय सहयोग देना है। इस समय अधिनियम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से निम्नलिखित 3 योजनाएं लागू हैं:

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

कर्मचारी जमा संबंधित बीमा योजना, 1976

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923:

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रोजगार के कारण तथा उसके दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए श्रमिकों को प्रतिकर का भुंगतान करने हेतु नियोक्ताओं को बाध्य करना है। मृत्यु के मामले में प्रतिकर दर मृत कर्मकार की मासिक मजदूरी के 50 प्रतिशत को संगत कारक से गुणा के बराबर की राशि है या 80,000/-रु. की राशि जो भी अधिक हो।

10 Current Labour Activities

The Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952:

The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is a welfare legislation enacted for the purpose of instituting a Provident Fund for employees working in factories and other establishments. The Act aims at providing social security and timely monetary assistance to industrial employees and their families when they are in distress and / or unable to meet family and social obligations and to protect them in old age, disablement, early death of the bread winner and in some other contingencies. Presently the following three schemes are in operation under the Act through the Employee's Provident fund Organisation -

Employees' Provident Funds Scheme, 1952

Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976

Employees' Pension Scheme, 1995

The Workmen's Compensation Act, 1923:

The main objective of the Act is to impose an obligation upon the employers to pay compensation to workers for accidents arising out of and in the course of employment. The rate of compensation in case of death is an amount equal to fifty per cent of the monthly wages of the deceased workman multiplied by the relevant factor or an amount of Rs. 80,000/-, whichever is more.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

जहां स्थायी कुल विकलांगता का कारण चोट है वहां प्रतिकर घायल कर्मकार की मासिक मजदूरी के 60 प्रतिशत को संगत कारक से गुणा के बराबर की राशि होगी या 90,000/-रु. की राशि जो भी अधिक हो । जहां श्रमिक का मासिक वेतन 4000/-रुपये से ऊपर है, उपरोक्त उद्देश्य के लिए उसका मासिक वेतन केवल 4000/-रुपये ही समझा जाएगा । मृत्यु तथा कुल स्थायी विकलांगता के लिए अधिकतम राशि श्रमिक की आयु तथा मजदूरी के आधार पर 4.56 लाख रुपये तथा 5.48 लाख रुपये कमशः तक हो सकती है ।

प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम, 1961

प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम, 1961 सामाजिक विधि-निर्माण का हिस्सा है जिसे कार्यकारी महिलाओं के कल्याण के उन्नयन के लिए अधिनियमित किया गया है । यह अधिनियम प्रसूति के पहले और बाद में एक निश्चित अवधि के लिए गर्भवती महिला को कार्य करने से रोकता है । यह अधिनियम महिला श्रमिकों को गर्भावस्था की अवधि के दौरान रोजगार से बाहर होने के कारण निश्चित शर्तें पूरा करने पर प्रसूति अवकाश तथा कई मौद्रिक लाभों के भुगतान की व्यवस्था भी करता है । अशिश्ट सदाचार को छोड़कर गर्भावस्था के कारण महिला श्रमिक की अनुपस्थिति के दौरान उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती ।

10 Current Labour Activities

Where permanent total disablement results from the injury, the compensation will be an amount equal to sixty per cent of the monthly wages of the injured workman multiplied by the relevant factor or an amount of Rs. 90,000/-, whichever is more. Where the monthly wages of a workman exceed four thousand rupees, his monthly wages for the above purposes will be deemed to be four thousand rupees only. Maximum amount for death and permanent total disablement can go up to Rs. 4.56 lakh and Rs. 5.48 lakh respectively depending on age and wages of workman.

The Maternity Benefits Act, 1961:

The Maternity Benefit Act, 1961 is a piece of social legislation enacted to promote the welfare of working women. The Act prohibits the working of pregnant women for a specified period before and after delivery. It also provides for maternity leave and payment of certain monetary benefits to women workers subject to fulfillment of certain conditions during the period when they are out of employment on account of their pregnancy. The services of a women worker cannot be terminated during the period of her absence on account of pregnancy except for gross misconduct.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

प्रसूति प्रसूतिषा (संशोधन) बिल, 2008 जिसमें मैडिकल बोनस को 250/-रु. से 1000/-रु. तक बढ़ाने तथा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों के भीतर मैडिकल बोनस को अधिकतम 20,000/-रु. तक बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार को अधिकार देने का प्रस्ताव है, को संसद के दोनों सदनो द्वारा पारित होने के पश्चात् 1 अप्रैल, 2008 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तत्पश्चात् मैडिकल बोनस राशि को 2 अप्रैल, 2008 की गजट अधिसूचना द्वारा 1000/-रु. तक बढ़ा दिया गया था तथा 15 अप्रैल, 2008 से लागू कर दिया था। उसके पश्चात् इस राशि को गजट अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त, 2008 द्वारा 2500/-रु. तक पुनः बढ़ा दिया गया है।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बन्दरगाहों, टेल कम्पनियों, मोटर परिवहन उपकरणों एवं दुकानों या अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उपदान के आवश्यक भुगतान की योजना की व्यवस्था करता है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

16.11.1995 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, लागू कर दी गई है। पेंशन योजना के लागू होने से पूर्व कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 को बंद कर दिया गया है। यद्यपि जो पेंशन भोगी पूर्व कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 के तहत लाभ ले रहे थे, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पारिवारिक पेंशन आहूत करते रहेंगे।

10 Current Labour Activities

The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2008 which contained proposal to enhance the medical bonus from Rs. 250/- to Rs. 1,000/- and to empower the Central Government to enhance the medical bonus within every three years, by notification in the Official Gazette subject to the maximum of Rs. 20,000/- received assent of the President on 1st April, 2008 after passing by both the Houses of Parliament. Thereafter, the medical bonus amount was increased to Rs. 1,000/- by Gazette Notification dated 2nd April, 2008 and made effective from 15th April, 2008. Subsequently, this amount has been further increased to Rs. 2,500/- by gazette Notification dated 11th August, 2008.

The Payment of Gratuity Act, 1972:

The Payment of Gratuity Act, 1972 provides for a scheme of compulsory payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil fields, plantations, ports, railway companies, motor transport undertakings, shops or other establishments.

Employees' Pension Scheme, 1995:

The Employees' Pension Scheme, 1995 has been introduced w.e.f. 16.11.1995. With the introduction of the Pension Scheme, the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971, has ceased to operate. However, the pensioners who were drawing benefits under the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 will continue to draw Family Pension under the Employees' Pension Scheme, 1995.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान:

3 प्रशिक्षण

जुलाई, 1974 में स्थापित वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा का शीर्ष संस्थान है। संस्थान द्वारा अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं :-

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या
1.	श्रम प्रबंध कार्यक्रम	12
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	11
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	46
4.	बाल श्रमिक कार्यक्रम	10
5.	अनुसंधान प्रणालियों कार्यक्रम	3
6.	स्वास्थ्य मामले कार्यक्रम	9
7.	अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रम	6
8.	सहयोगी कार्यक्रम	6
9.	कार्यालयी कार्यक्रम	17

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरम्भ करने हेतु नई पहल भी की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-2 राज्य श्रम संस्थानों/अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग को शामिल किया गया है।

10 Current Labour Activities

V.V. Giri National Labour Institute :

3. TRAINING

V.V.Giri National Labour Institute (VVG NLI), an autonomous body of the Ministry of Labour and Employment, Government of India set up in July, 1974, is a premier institute of Research, Training and Education in the area of Labour. The Training Programmes organized by the Institute during April 2008 to March, 2009 are given below:-

Sl. No.	Name of the Programme	Number of Programmes
1.	Labour Administration	12
2.	Industrial Relations	11
3.	Capacity Building	46
4.	Child Labour	10
5.	Research Methods	3
6.	Health Issues	9
7.	International Training	6
8.	Collaborative	6
9.	In-house	17

The institute has also undertaken new initiatives which inter-alia include Networking with State Labour Institutes/Other Institutes in conducting the training programmes.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

4. श्रम संबंधी विषयों पर श्रम ब्यूरो द्वारा निकाले जाने वाले आंकड़े

अखिल भारतीय स्तर पर श्रम विषयों पर तथ्य तथा आंकड़ों के संग्रहण, समाकलन तथा प्रकाशन से संबंधित मुख्य कार्य श्रम ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। रोजगार, मजदूरी, उपार्जन, औद्योगिक विवाद, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त तथा कार्यकारी स्थितियों पर आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन भी आयोजित करता है। ब्यूरो के नियमित प्रकाशनों में मासिक प्रकाशन जैसे 'इण्डियन लेबर जरनल' तथा वार्षिक प्रकाशन जैसे 'इण्डियन लेबर ईयर बुक' 'भारतीय श्रम आंकड़े' तथा 'श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका' सम्मिलित है। ब्यूरो महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्टें भी निकालता है।

औद्योगिक श्रमिकों तथा खेतिहर श्रमिकों/ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो श्रमिक वर्ग जनसंख्या द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्धारित बॉस्केट के मूल्यों में परिवर्तन दर मापता है, को श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। वर्तमान श्रंखला का आधार वर्ष जो 2001=100 है, इसे वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था।

10 Current Labour Activities

4. STATISTICS ON LABOUR RELATED ISSUES BROUGHT OUT BY LABOUR BUREAU.

A major part of work relating to collection, collation and publication of facts and figures on labour matters on All India basis is being carried out by the Labour Bureau. Besides collecting, analysing and publishing data on employment, wages, earnings, industrial disputes, absenteeism, labour turnover and working conditions, the Labour Bureau also conducts surveys and research studies on various aspects of labour.

The regular publications of Bureau include the monthly publication 'Indian Labour Journal' and annual publications 'Indian Labour Year Book', 'Indian Labour Statistics' and 'Pocket Book of Labour Statistics'. The Bureau also brings out annual reports on the working of important Labour Laws.

CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR IW AND AL/RL

CPI Numbers for Industrial Workers which measure the rate of change in prices of a fixed basket of goods & services consumed by the working class population are compiled by Labour Bureau. The base year of current series is 2001=100, which was revised in the year 2006.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

इसलिए औद्योगिक श्रमिकों (चुनिन्दा 78 केन्द्रों तथा अखिल भारत) के लिए आधार 2001=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी, 2006 से प्रतिमाह संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं। श्रम ब्यूरो 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए अलग-अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1986-87=100 पर दो श्रृंखलाएं भी निकाल रहा है।

31 आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा मूल्य सूचकांक:

शहरी क्षेत्रों में 31 चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के संबंध में खुदरा मूल्य सूचकांकों का आधार 2001=100 पर प्रति माह संकलन किया जाता है तथा इन चुनिन्दा वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर की जाँच करने तथा समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेजे जाते हैं। ये सूचकांक श्रृंखला के तहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में निर्धारित भारों से प्राप्त किए गए भारण आरेखों तथा एकत्रित मूल्य आंकड़ों के आधार पर संकलित किए जाते हैं। 31 चुनिन्दा मदों के संबंध में आधार 2001=100 पर खुदरा मूल्य सूचकांक जनवरी, 2006 सूचकांक से प्रति माह संकलित किया जा रहे हैं। फरवरी, 2010 तक के सूचकांक संकलित कर लिए गए हैं तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेज दिए गए हैं।

10 Current Labour Activities

Hence, Consumer Price Index (CPI) Numbers for Industrial Workers (78 selected centres and All India) on base 2001=100 are being compiled from January, 2006 onwards and published every month. The Labour Bureau is also bringing out two series of CPI Numbers on base 1986-87=100 separately for Agricultural and Rural Labourers for 20 States and All-India.

RETAIL PRICE INDICES FOR 31 ESSENTIAL COMMODITIES:

Retail Price Indices in respect of 31 selected essential commodities in urban areas are compiled every month on base 2001=100 and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution with the objective to monitor the movement in prices of these selected commodities and to take timely remedial action. These indices are compiled on the basis of weighting diagrams derived from the weights determined under Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers and price data collected under the series. Retail Price Indices in respect of 31 selected items with the base: 2001=100 are being compiled every month with effect from January 2006 index. The indices upto the month of February, 2010 have been compiled and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

मजदूरी दर सूचकांक:

मजदूरी दर सूचकांक को द्वितीय व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (1963-65) द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है। यह 1963-65=100 के आधार वर्ष के रूप में निश्चित समय अवधि में मजदूरी दरों में सापेक्ष परिवर्तनों की गति को दर्शाता है। ये सूचकांक तीन क्षेत्रों अर्थात् विनिर्माण, बागान तथा खनन में 21 चुनिन्दा उद्योगों के लिए संकलित किया जाता है। मूल मजदूरी तथा मंहगाई भत्ते आंकड़ों जो भारत में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के उपार्जनों की नियमित प्रकृति के हैं, का प्रयोग करके सूचकांकों को संकलित किया जाता है। वर्ष 2006 तक मजदूरी दर सूचकांकों को प्रकाशित कर दिया गया है।

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य मजदूरी तथा उपार्जन में अन्तः उद्योग, अन्तरा उद्योग तथा अन्तःक्षेत्रीय विभिन्नताओं से संबंधित अध्ययनों के लिए तथा मजदूरी दर सूचकांक श्रृंखला के आधार के अद्यतन हेतु डेटाबेस उपलब्ध करवाना है। व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के छोटे दौरे के तहत पाँच वस्त्र उद्योगों तथा तैयार वस्त्र उद्योगों के संबंध में रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं। इन्हें ब्यूरो की वैबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। दस इंजीनियरिंग उद्योगों की रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं। 9 इंजीनियरिंग उद्योगों की रिपोर्टें भी प्रकाशित कर दी गई हैं और यह ब्यूरो की वैबसाइट पर उपलब्ध है। दस विनिर्माण उद्योगों के संबंध में फील्ड कार्य सर्वेक्षण की योजना प्रगति पर है।

10 Current Labour Activities

WAGE RATE INDEX:

Wage Rate Index Numbers are compiled on the basis of data thrown up by the Second Occupational Wage Survey (1963-65). It depicts the movement of relative change experienced in wage rates over a period of time with 1963-65=100 as base year. These indices are compiled for twenty one selected industries in three sectors viz., Manufacturing, Plantations and Mining. The indices are compiled using data on basic wage and dearness allowance, which are of regular nature of earnings of the workers in organized sector in India. The wage rate indices upto the year 2006 have been released.

OCCUPATIONAL WAGE SURVEY :

The Occupational Wage Surveys, inter-alia, aim to provide data base for studies relating to inter-industry, intra-industry and inter-regional differences in wages and earnings and for updation of the base of Wage Rate Index series. The reports in respect of Five Textile Industries and Textile Garments Industry under the 6th round of O.W.S. have been released. These have also been up loaded on Bureau's web-site. The report in respect of Ten Engineering Industries has been released. The report in respect of Nine Engineering Industries has also been released and is available on Bureau's website. The planning of field work survey in respect of Ten Manufacturing Industries is in progress.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

(i) खेतिहर तथा (ii) ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन सहित ग्रामीण श्रम अन्वेषण

ग्रामीण श्रम अन्वेषण योजना के सर्वेक्षण भाग का उद्देश्य खेतिहर एवं ग्रामीण श्रमिकों की स्थितियों को सुधारने हेतु नीति निर्धारण की दृष्टि से ग्रामीण/खेतिहर श्रमिक परिवारों की सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन करना है।

श्रृंखला में आठवां अन्तिम ग्रामीण श्रम अन्वेषण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 61वें दौर में आयोजित किया गया था। 'रोजगार तथा बेरोजगारी' 2004-05 पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। 'मजदूरी तथा उपार्जन' पर रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है। ग्रामीण श्रम परिवारों में ऋणग्रस्तता पर रिपोर्ट के संबंध में विषय तालिकाओं की तैयारी प्रगति पर है। वर्ष 2007-08 के लिए खेतिहर श्रमिकों/ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के तहत श्रम आंकड़ों का संग्रहण

(i) अनुपस्थिति (ii) श्रम आवर्त (iii) प्रति समय इकाई घटकों द्वारा औसत उपार्जन (iv) श्रम लागत तथा (v) नियोजन से संबंधित श्रम आंकड़े विनिर्माण उद्योगों में प्रतिदर्श के साथ गणना आधार पर आयोजित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं।

10 Current Labour Activities

RURAL LABOUR ENQUIRY INCLUDING CONSTRUCTION OF CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR (I) AGRICULTURAL AND (II) RURAL LABOUR (CPI-AL/RL):

The survey part of the Rural Labour Enquiry (RLE) Scheme aims at studying the socio-economic characteristics of Rural/Agricultural Labour Households with a view to formulate policies for ameliorating the conditions of Agricultural and Rural Labour.

The latest RLE, eighth in the series, was conducted during 61st round of NSSO. The report on “Employment and Unemployment (2004-05) has been released. The report on “Wage & Earnings has been finalized. Preparation of text tables in respect of the report on Indebtedness among Rural Labour Households is in progress. The Annual Report on CPI Nos. for AL/RL for the year 2007-08 has also been released.

COLLECTION OF LABOUR STATISTICS UNDER ANNUAL SURVEY OF INDUSTRIES (ASI):

Labour Statistics relating to (i) Absenteeism (ii) Labour Turnover (iii) Average earnings by components per unit of time (iv) Labour Cost and (v) Employment are being collected through the Annual Survey of Industries conducted on sample as well as on census basis in manufacturing industries.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (गणना तथा प्रतिदर्श) के तहत रोजगार तथा श्रम लागत भाग-I (2005-06) पर रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं। अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, नियोजन एवं श्रम लागत भाग- II (2005-06) पर रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई है।

श्रम के विभिन्न समूहों का सामाजिक सर्वेक्षण

स्कीम के तहत निम्न प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किए जा रहे हैं:-

i) उद्योगों/नियोजकों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षण:

जूता तथा अन्य कलात्मक कार्यों को शामिल करते हुए चमड़ा उद्योग पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। हस्तकरघा उद्योग में सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है।

ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन:

गुजरात तथा कर्नाटक राज्यों में स्टोन ब्रेकिंग तथा स्टोन कशिंग उद्योग पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल तथा बिहार में बीडी उद्योग सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए फ्रेम एकत्रित करने हेतु प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

iii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर सर्वेक्षण

गुजरात अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति श्रमिकों के संबंध में रिपोर्ट प्रारूपण कर लिया गया है।

10 Current Labour Activities

Under ASI (Census and Sample), the Reports on Statistics on Employment and Labour Cost Vol. I (2005-2006) have been released. The Report on Absenteeism, Labour Turnover, Employment and Labour Cost Vol. II (2005-2006) has also been released.

SOCIO-ECONOMIC SURVEYS OF DIFFERENT SEGMENTS OF LABOUR.

Under this scheme following surveys are being conducted:-

i) Survey of Working & Living Conditions of Workers in Unorganised Sector of Industries/Employments:

The report on Leather Industry covering Footwear and other Art Works has been released. Preparatory work for conducting the survey in Handloom Industry is in progress.

ii) Evaluation Studies on Implementation of The Minimum Wages Act, 1948

The report on Stone Breaking and Stone Crushing Industry in Gujarat and Karnataka States have been released. Preliminary work has been initiated for collecting frame for conducting Beedi Industry survey in West Bengal and Bihar.

iii) Survey on the Working and Living Conditions of Labour belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes:

The report in respect of ST Survey in Gujarat ST belt has been released. The report in respect of ST Workers in KBK belt of Orissa has been drafted.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

iv) उद्योगों में महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थितियों पर सर्वेक्षण

बागान क्षेत्र सर्वेक्षण के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है।

ठेका श्रम सर्वेक्षण

वायु परिवहन क्षेत्र में ठेका श्रम सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। पेट्रोलियम रिफाइनरीस तथा तेल क्षेत्र में ठेका श्रम सर्वेक्षण के संबंध में फील्ड कार्य प्रगति पर है।

श्रम ब्यूरो द्वारा श्रम सांख्यिकी में दिया जाने वाला प्रशिक्षण

सांख्यिकी सूचना के प्रवाह में गुणवत्ता तथा समयबद्धता के सुधार के उद्देश्य से ब्यूरो द्वारा श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 तक निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उत्तर पूर्वी समिति, शिलोंग के सहयोग से 19 जनवरी से 21 जनवरी, 2009 तक शिलोंग में मूल्य तथा श्रम सांख्यिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात राज्यों के मूल्य संग्रहकों तथा मूल्य पर्यवेक्षकों के लिए 13.3.2009 को हैदराबाद में तथा 18.3.2009 को अहमदाबाद में क्रमशः दो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

10 Current Labour Activities

iv) Survey on the Socio-Economic Conditions of Women Workers in Industry:

The Report in respect of Plantation Sector survey has been released.

CONTRACT LABOUR SURVEY:

The report on Contract Labour Survey in Air Transport Sector has been released. The field work in respect of Contract Labour Survey in Petroleum Refineries & Oil Fields is in progress.

TRAINING IN LABOUR STATISTICS IMPARTED BY LABOUR BUREAU:

The Bureau imparts training in Labour Statistics with the objective of improving the quality and timeliness in the flow of statistical information. The following training programme were conducted from Jan., 2009 to Feb., 2010.

A training programme on price and Labour Statistics was organized from 19th to 21st January, 2009 at Shillong in association with North Eastern Council, Shillong.

Two State level training programmes for Price Collectors and Price Supervisor of Andhra Pradesh & Gujarat States were respectively organized at Hyderabad on 13.3.2009 and at Ahmedabad on 18.3.2009.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

47वें केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का 3 सितम्बर से 8 सितम्बर, 2009 तक आयोजन किया गया ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त सहभागियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का 14.9.2009 को आयोजन किया गया ।

श्रम सांख्यिकी में सुधार पर 26-27 अक्टूबर, 2009 को कोलकाता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

16 प्रशिक्षार्थियों के लिए 20.11.2009 को महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुम्बई द्वारा प्रायोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

राज्य सांख्यिकी अधिकारियों के लिए श्रम ब्यूरो, शिमला में 22 से 26 फरवरी, 2010 तक राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रशासनिक अकादमी, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रायोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

श्रम ब्यूरो के कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न राज्य/संघशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा प्राथमिक इकाइयों के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भी सहयोग प्रदान किया गया है। जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक की अवधि के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के राज्यों में 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

10 Current Labour Activities

The 47th Central Training Programme was organized from 3rd Sept., to 8th September, 2009.

A training programme was organized on 14.9.2009 for the participants deputed by the Central Statistical Organisation, New Delhi.

A Training programme on Improvement of Labour Statistics organized at Kolkata on 26-27th Oct., 2009

A training programme was organised on 20.11.2009 for 16 trainees sponsored by the Maharashtra Institute of Labour Studies, Mumbai.

A training programme was organized in Labour Bureau, Shimla from 22nd to 26th February, 2010 for State Statistical officers sponsored by the National Academy of Statistical Administration (NASA), Greater Noida.

The Kanpur Regional Office of Labour Bureau also renders assistance to different State/UT Govts. in the Northern Region for conducting training programmes for the benefit of the primary units. During the period January, 2009 to December,2009 eleven training programmes were conducted in the States of Bihar, Uttar Pradesh, Haryana and Himachal Pradesh.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

ब्यूरो के अन्य क्रियाकलाप

वर्ष 2009-2010 के दौरान निम्नलिखित रिपोर्टें/समीक्षाओं को भी अन्तिम रूप दिया गया/निकाला गया।

1. इण्डियन लेबर जरनल (मासिक)
2. पॉकेट बुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स-2008 (हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तर)
3. वर्ष 2007-08 के लिए खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट
4. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण - रोजगार तथा श्रम लागत पर आंकड़े 2005-06 भाग-I की रिपोर्ट
5. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण - अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, रोजगार तथा श्रम लागत 2005-06 भाग-II पर रिपोर्ट
6. व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण छठा दौर - दस इंजीनियरिंग उद्योगों पर रिपोर्ट
7. इण्डियन लेबर ईयर बुक-2007
8. व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण छठा दौर - वस्त्र उद्योगों पर रिपोर्ट
9. व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण छठा दौर - तैयार वस्त्र उद्योगों पर रिपोर्ट
10. वर्ष 2005 तथा 2006 के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट

10 Current Labour Activities

OTHER ACTIVITIES OF THE BUREAU:

Following reports/reviews were also finalised/brought out during the year 2009-2010.

1. Indian Labour Journal (Monthly)
2. Pocket Book of Labour Statistics – 2008 (Hindi and English version)
3. Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural labourers 2007-08.
4. Annual Survey of Industries - Report of Statistics on Employment & Labour Cost 2005-06 Vol.(I)
5. Annual Survey of Industries, Report on Absenteeism, Labour Turnover, Employment & Labour Cost 2005-06 Vol.(II)
6. Occupational Wage Survey 6th Round – Report on Ten Engineering Industries.
7. Indian Labour Year Book – 2007.
8. Occupational Wage Survey 6th Round- Report on Textile Industry.
9. Occupational Wage Survey 6th Round- Report on Textile Garments Industry.
10. Report on the working of the Minimum Wages Act, 1948 for the year 2005 and 2006.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

11. कर्नाटक में स्टोन ब्रेकिंग तथा स्टोन क्वेशिंग उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन
12. गुजरात में स्टोन ब्रेकिंग तथा स्टोन क्वेशिंग उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन
13. बागान क्षेत्र में महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थितियों पर रिपोर्ट
14. वर्ष 2007 के लिए औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार 2001=100 पर वार्षिक रिपोर्ट
15. वर्ष 2007-08 के लिए ग्रामीण भारत में मजदूरी दरें
16. ग्रामीण श्रम परिवारों में रोजगार तथा बेरोजगारी पर ग्रामीण श्रम अन्वेषण (2004-05) रिपोर्ट

10 Current Labour Activities

11. Evaluation study on Implementation of Minimum Wages Act, 1948 in Stone Breaking and Stone Crushing Industry in Karnataka.
12. Evaluation study on Implementation of Minimum Wages Act, 1948 in Stone Breaking and Stone Crushing Industry in Gujarat.
13. Report on Socio-economic conditions of women labour in Plantation Sector.
14. Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2001=100 for the year 2007.
15. Wage Rates in Rural India for the year 2007-08.
16. RLE (2004-05) report on 'Employment & Unemployment of Rural Labour Households'.

भाग - II
PART - II

1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति

1 POPULATION AND
LABOUR FORCE

1.1 जनसंख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसार वितरण (जनगणना 2001)

1.1 Distribution of Population by States/U.Ts (2001 census)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या (000 में) Population (in 000's)		कुल जनसंख्या में प्रतिशत कर्मकार Percentage of workers in total population	State/ Union Territory
	ग्रामीण Rural	शहरी Urban		
1	2	3	4	1
भारत†	742618	286119	39.1	INDIA+
आन्ध्र प्रदेश	55401	20809	45.8	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	870	228	44.0	Arunachal Pradesh
असम	23216	3439	35.8	Assam
बिहार	74317	8682	33.7	Bihar
छत्तीसगढ़	16648	4186	46.5	Chhattisgarh
गोवा	677	670	38.8	Goa
गुजरात	31741	18930	41.9	Gujarat
हरियाणा	15029	6115	39.6	Haryana
हिमाचल प्रदेश	5482	596	49.2	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	7627	2517	37.0	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	20952	5994	37.5	Jharkhand

1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति

1 POPULATION AND
LABOUR FORCEसारणी 1.1
Table 1.1

1	2	3	1	
कर्नाटक	34889	17961	44.5	Karnataka
केरल	23574	8267	32.3	Kerala
मध्य प्रदेश	44381	15967	42.7	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	55778	41101	42.5	Maharashtra
मणिपुर†	1718	576	43.6	Manipur +
मेघालय	1865	454	41.8	Meghalaya
मिजोरम	448	441	52.6	Mizoram
नागालैंड	1647	343	42.6	Nagaland
उड़ीसा	31287	5517	38.8	Orissa
पंजाब	16096	8263	37.5	Punjab
राजस्थान	43293	13214	42.1	Rajasthan
सिक्किम	481	60	48.6	Sikkim
तमिलनाडु	34922	27484	44.7	Tamil Nadu
त्रिपुरा	2654	546	36.2	Tripura
उत्तराखण्ड	6310	2179	36.9	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	131658	34540	32.5	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	57749	22427	36.8	West Bengal
संघ राज्य क्षेत्र				Union Territories
अ० एवं नि०	240	116	38.3	A & N Islands
द्वीपसमूह				
चण्डीगढ़	92	808	37.8	Chandigarh

सारणी 1.1
Table 1.1

	1	2	3	1
एन सी टी दिल्ली	945	12906	32.8	NCT Delhi
दादर एवं नगर हवेली	170	50	51.8	D & N Haveli
दमन एवं दीव	101	57	46.0	Daman & Diu
लक्षद्वीप	34	27	25.3	Lakshadweep
पुडुचेरी	326	649	35.2	Puducherry

स्रोत : भारत के महापंजीयक

Source : Registrar General of India

टिपपण: + इसमें भारत के मणिपुर राज्य में सेनापति जिला और माओमरम, पाओमाटा और पारुल उप मण्डलों के अनुमानित आंकड़ें शामिल हैं। मणिपुर राज्य के सेनापति जिला के उपर्युक्त उपमण्डलों के लिए जनगणना परिणाम प्रशासनिक ओर तकनीकी कारणों से रद्द कर दिए गए थे, यद्यपि इन उपमण्डलों में अनुसूची के अनुसार जनगणना की गई थी।

Note :+ Includes the estimated figures of Mao Maram, Paomata and Pural Sub-divisions of Senapati district in India and State Manipur. The Census results for the above mentioned Sub-divisions of Senapati district of Manipur State were cancelled due to administrative and technical reasons although a population Census was carried out in these Sub-division as per schedule

1.2 सक्रिय एवं निष्क्रिय जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2001)
1.2 Distribution of Working and non-Working Population
(2001 Census)

(दस लाख में) (In millions)

कर्मकार श्रेणी	पुरुष Males	महिलाएं Females	योग Total	Workers Category
1	2	3	4	1
क-सक्रिय जनसंख्या				A. Working Population
कषक	85.4	41.8	127.2	Cultivators
कषि श्रमिक	57.3	49.4	106.7	Agricultural Labourers
पारिवारिक उद्योग कर्मकार	8.7	8.2	16.9	Household Industry Workers
अन्य कर्मकार	123.5	27.6	151.1	Other Workers
कुल सक्रिय जनसंख्या (मुख्य एवं सीमान्त)	274.9	127.0	401.9	Total Working Population (Main + Marginal)
ख-निष्क्रिय जनसंख्या	257.1	369.2	626.3	B. Non-Working Population
कुल जनसंख्या (क+ख)	532.0	496.2	1028.2	Total Population (A+B)

सारणी 1.2

Table 1.2

कर्मकार श्रेणी	कुल जनसंख्या में प्रतिशत वितरण % distribution to total population	कुल पुरुष जनसंख्या में पुरुष कर्मकारों की प्रतिशतता % of male workers to total male population	Working category
1	5	6	1
क-सक्रिय जनसंख्या			A- Working Population
कषक	12.38	16.05	Cultivators
कषि श्रमिक	10.38	10.77	Agricultural Labourers
पारिवारिक उद्योग कर्मकार	1.65	1.65	Household Industry Workers
अन्य कर्मकार	14.7	23.21	Other Workers
कुल सक्रिय जनसंख्या	39.11	51.68	Total Working Population (Main + Marginal)
(मुख्य एवं सीमान्त)			

सारणी 1.2
Table 1.2

1	5	6	1
ख-निष्क्रिय जनसंख्या	60.89	48.32	B- Non Working Population
कुल जनसंख्या (क+ख)	100.00	100.00	Total Population (A+B)

स्रोत : भारत के महापंजीयक

Source : Registrar General of India

टिप्पणी : ऊपर सभी जनसांख्यिकी आंकड़ों में मणिपुर के जिला सेनापति के पाओमाटा, माओमरम और पारुल उपप्रभागों के आंकड़ों को छोड़कर; जैसाकि प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से इनके जनगणना के परिणाम रद्द कर दिए गए थे।

Note : Excludes figures of Paomata, Maomaram and Parul Sub-divisions of Senapati district of Manipur in all demographic data above, as the Census results were cancelled due to administrative and technical reasons.

1.3 जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण
(ग्रामीण एवं शहरी) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 54 वें से 62 वें दौर तक
1.3 Percentage Distribution of Population by Labour Force Status
(Rural & Urban) 54th to 62nd Round of NSS

सर्वेक्षण अवधि Survey Period	संदर्भ काल Reference Period	(क) ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत (a) Percentage of Rural Population		
		श्रम शक्ति Labour Force	नियोजित Emp- loyed	अनियोजित Unem- ployed
1	2	3	4	5
जनवरी, 98 से जून, 98+ Jan, 98 to Jun, 98+	वार्षिक Yearly	43.14	42.14	1.00
	साप्ताहिक Weekly	42.73	41.53	1.20
जुलाई, 99 से जून, 00+ Jul, 99 to Jun, 00+	वार्षिक Yearly	43.89	43.05	0.84
	साप्ताहिक Weekly	45.30	43.56	1.74
जुलाई, 2000 से जून, 01+ Jul, 2000 to Jun, 2001+	वार्षिक Yearly	43.63	43.06	0.57
	साप्ताहिक Weekly	43.31	42.39	0.92
जुलाई, 2001 से जून, 02+ Jul, 2001 to Jun, 2002+	वार्षिक Yearly	44.97	44.26	0.71
	साप्ताहिक Weekly	45.02	43.85	1.17

सारणी 1.3

Table 1.3

1	2	3	4	5
जुलाई, 02 से दिसम्बर, 02+	वार्षिक	43.39	42.70	0.69
Jul, 2002 to Dec, 2002+	Yearly			
	साप्ताहिक	43.64	42.56	1.08
	Weekly			
जनवरी, 03 से दिसम्बर, 03+	वार्षिक	44.47	43.74	0.73
Jan, 2003 to Dec, 2003+	Yearly			
	साप्ताहिक	44.29	43.20	1.09
	Weekly			
जनवरी, 04 से जून, 04+	वार्षिक	43.98	42.96	1.02
Jan, 2004 to June, 2004+	Yearly			
	साप्ताहिक	45.07	43.00	2.07
	Weekly			
जुलाई, 04 से जून, 05	वार्षिक	45.07	43.96	1.10
July, 2004 to June, 2005	Yearly			
	साप्ताहिक	47.04	45.19	1.85
	Weekly			
जुलाई, 05 से जून, 06	वार्षिक	43.90	42.84	1.07
July, 2005 to June, 2006	Yearly			
	साप्ताहिक	45.71	43.88	1.83
	Weekly			

सारणी 1.3

Table 1.3

1	2	6	7	8
सर्वेक्षण अवधि Survey Period	संदर्भ काल Reference Period	(ख) शहरी जनसंख्या का प्रतिशत (b) Percentage of Urban Population		
		श्रम शक्ति Labour Force	नियोजित Emp- loyed	अनियोजित Unem- ployed
1	2	6	7	8
जनवरी, 98 से जून, 98+ Jan, 98 to Jun, 98+	वार्षिक Yearly	36.67	34.58	2.09
	साप्ताहिक Weekly	36.55	34.44	2.11
जुलाई, 99 से जून, 00+ Jul, 99 to Jun, 00+	वार्षिक Yearly	37.65	35.69	1.96
	साप्ताहिक Weekly	38.28	36.00	2.28
जुलाई, 2000 से जून, 01+ Jul, 2000 to Jun, 2001+	वार्षिक Yearly	37.79	36.24	1.55
	साप्ताहिक Weekly	37.68	35.92	1.76
जुलाई, 2001 से जून, 02+ Jul, 2001 to Jun, 2002+	वार्षिक Yearly	38.56	36.91	1.65
	साप्ताहिक Weekly	38.50	36.71	1.79

सारणी 1.3

Table 1.3

1	2	6	7	8
जुलाई, 02 से दिसम्बर, 02+ Jul, 2002 to Dec, 2002+	वार्षिक Yearly	38.55	36.64	1.91
	साप्ताहिक Weekly	38.38	36.24	2.14
जनवरी, 03 से दिसम्बर, 03+ Jan, 2003 to Dec, 2003+	वार्षिक Yearly	38.31	36.64	1.67
	साप्ताहिक Weekly	38.30	36.36	1.94
जनवरी, 04 से जून, 04+ Jan, 2004 to June, 2004+	वार्षिक Yearly	38.85	36.78	2.07
	साप्ताहिक Weekly	39.77	37.23	2.53
जुलाई, 04 से जून, 05 July, 2004 to June, 2005	वार्षिक Yearly	40.00	37.88	2.12
	साप्ताहिक Weekly	41.05	38.57	2.48
जुलाई, 05 से जून, 06 July, 2005 to June, 2006	वार्षिक Yearly	38.72	36.64	2.08
	साप्ताहिक Weekly	39.37	36.95	2.42

स्रोत : रा० प्र० स० स०

Source : N.S.S.O.

टिप्पण : प्रतिशतता की गणना डिनोमिनेटर में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या से की गई है।
Note : Percentage are calculated by taking population for age 5 years and above in the denominator.

+ परिणाम सूक्ष्म प्रतिदर्श पर आधारित है।

+ Results are based on thin sample

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.1(क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शाखानुसार)
मार्च के अंत में

2.1(a) **Estimated Employment in Public Sector
(By Branches) at the end of March**

(लाख में) (In lakh)

शाखा	2005	2006	2007	Branch
केन्द्रीय सरकार	29.39	28.60	28.00	Central Government
राज्य सरकारें	72.02	73.00	78.09	State Governments
अर्ध- सरकारी (केन्द्रीय/ राज्य)	57.48	59.09	58.61	Quasi Government (Central/State)
स्थानीय निकाय	21.18	21.18	21.32	Local Bodies
योग	180.07	181.88	180.02	Total

स्रोत : म० नि० रो० एवं० प्र०
Source: DGE&T

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.1 (ख) संगठित क्षेत्र में नियोजन (मुख्य उद्योगानुसार) 2.1(b) Employment in Organised Sector (By Major Industries)

(‘000 में) (in 000’s)

उद्योग भाग कोड	31. 3. 2006		31.3. 2007		Indus- try sect- ion Code
	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	निजी क्षेत्र Private Sector	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	निजी क्षेत्र Private Sector	
1	2	3	4	5	1
क	453.46	1026.83	459.62	943.17	A
ख	15.58	1.39	15.15	1.96	B
ग	1145.83	94.82	1136.96	97.32	C
घ	1091.60	4549.30	1087.31	4753.91	D
ङ	849.55	39.90	848.76	46.54	E
च	894.30	54.81	866.23	65.79	F
छ	169.09	230.88	166.08	245.83	G
ज	12.89	155.78	12.27	164.32	H
झ	2674.88	87.18	2636.99	97.58	I
ञ	1126.10	276.95	1112.68	294.80	J
ट	264.06	374.91	255.90	582.94	K
ठ	4860.40	2.79	4775.51	2.73	L

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.1 (ख)

Table 2.1(b)

1	2	3	1	
ड	2633.85	1562.47	2647.82	1619.41 M
ढ	1399.93	202.73	1389.68	212.25 N
ण	281.03	105.27	275.62	106.23 O
त	0.70	5.28	1.10	5.69 P
थ	0.02	0.26	0.00	0.26 Q
योग	17873.26	8771.53	17687.67	9240.74 Total

स्रोत : म० नि० रो० एवं० प्र०

Source : DGE&T

टिप्पण :

Note :

1. रा० औ० व० 1998 के अनुसार आंकड़ें उपलब्ध न होने के कारण जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, दमन और दिव के संबंध में सूचना योग में शामिल नहीं है।
1. Due to non availability of data as per NIC 1998, information in respect of J&K, Meghalaya, Mizoram, Daman & Diu not included in totals.
2. उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध में देखें।
2. For details of Industry Codes please see Annexure

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.2 (क) खानों में खनिजानुसार नियोजन
(नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या)
2.2(a) Employment in Mines By Minerals
(Average Daily No. of Workers Employed)
('000 में) (in 000's)

खनिज पदार्थ	2006	2007	Mineral
कोयला	386	379	Coal
खनिज तांबा	2	2	Copper
क्रोमाइट	7	7	Chromite
हीरा	@	@	Diamond
सोना	3	3	Gold
जिप्सम	@	@	Gypsum
खनिज लोहा	42	42	Iron Ore
चूना पत्थर	26	28	Lime Stone
मैगनेसाइट	2	2	Magnesite
खनिज मैगनीज	13	13	Manganese Ore
अभ्रक	1	1	Mica
पत्थर	7	9	Stone
अन्य	54	64	Others
योग	543	550	Total

स्रोत : म० नि० खा० सु०

Source : DGMS

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.2(ख) खानों में राज्यानुसार कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या
(वर्गानुसार)

2.2(b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in
Mines (By Category)

('000 में) (in 000's)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सतह के नीचे Below Ground	खादान कार्य Open Cast Working	सतह पर Above Ground	State/Union Territory
1	2	3	4	1
		2006		
आन्ध्र प्रदेश	45	12	10	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	Arunachal Pradesh
असम	1	1	1	Assam
बिहार	@	@	@	Bihar
छत्तीसगढ़	20	12	14	Chhattisgarh
गोवा	-	3	2	Goa
गुजरात	-	3	@	Gujarat
हरियाणा	-	4	1	Haryana
हिमाचल प्रदेश	@	1	@	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	1	@	@	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	50	32	46	Jharkhand
कर्नाटक	2	7	5	Karnataka

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.2(ख)
Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
केरल	-	1	1	Kerala
मध्य प्रदेश	27	11	15	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	11	10	13	Maharashtra
मणिपुर	-	-	-	Manipur
मेघालय	-	@	@	Meghalaya
मिजोरम	-	-	-	Mizoram
नागालैंड	-	-	-	Nagaland
उड़ीसा	5	28	17	Orissa
पंजाब	-	-	-	Punjab
राजस्थान	2	13	5	Rajasthan
तमिलनाडु	-	7	1	Tamil Nadu
त्रिपुरा	-	-	-	Tripura
उत्तराखण्ड	@	1	@	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	-	4	3	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	40	5	21	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप समूह	-	@	-	A & N Islands
योग	204	155	155	Total

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.2(ख)

Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
<u>2007</u>				
आन्ध्र प्रदेश	42	13	11	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	-	-	@	Arunachal Pradesh
असम	1	1	8	Assam
बिहार	@	@	@	Bihar
छत्तीसगढ़	19	13	12	Chhattisgarh
गोवा	-	4	2	Goa
गुजरात	-	5	11	Gujarat
हरियाणा	-	4	1	Haryana
हिमाचल प्रदेश	@	1	@	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	1	@	@	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	49	33	46	Jharkhand
कर्नाटक	2	8	6	Karnataka
केरल	-	1	1	Kerala
मध्य प्रदेश	26	13	15	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	11	10	12	Maharashtra
मणिपुर	-	-	-	Manipur

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.2(ख)

Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
मेघालय	-	1	@	Meghalaya
मिजोरम	-	-	-	Mozoram
नागालैंड	-	-	-	Nagaland
उड़ीसा	5	27	18	Orissa
पंजाब	-	-	-	Punjab
राजस्थान	2	14	6	Rajasthan
तमिलनाडु	-	16	4	Tamil Nadu
त्रिपुरा	-	-	@	Tripura
उत्तराखण्ड	@	12	@	Uttrakhand
उत्तर प्रदेश	-	5	2	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	39	7	22	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप समूह	-	@	@	A & N Islands
योग	197	175	178	Total

स्रोत : म० नि० खा० सु०

Source : DGMS

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.3 रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन (31 मार्च को)

2.3 Employment in Railways, Posts, Telecommunications, Insurance and Banks (As on 31st March)

(‘000 में) (in 000’s)

	2007	2008	2009	
रेलवे ++	1398£	1394	1386	Railways ++
डाक	501	495	..	Posts
दूर संचार ##	371	358	350	Telecommu- nications ##
बीमा				Insurance
i) जीवन	114	114	115	i) Life
ii) गैर जीवन	71	70^	69^	ii) Non-Life
i) बैंक +	899	839	..	i) Banks+
ii) भारतीय रिजर्व बैंक &	22	21	..	ii) Reserve Bank of India &

स्रोत: रेलवे बोर्ड, तार विभाग, दूरसंचार विभाग, जी० बी० नि०,
भा० स० बी० सा० के० सं० एवं भा० रि० बैंक
Source : Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of
Telecommunications; LIC, GIPSA & RBI.

++ रेलवे संरक्षण विशेष बल के कर्मचारी भी शामिल हैं।

++ Includes Railways Protection Special Force personnel

इसमें 2001 से आगे भारतीय संचार निगम लिमिटेड तथा 2000 से आगे एम टी एन एल शामिल है।

Includes BSNL from 2001 onwards and MTNL from 2000 onwards.

सारणी 2.3

Table 2.3

इसमें 2001 से आगे भारतीय संचार निगम लिमिटेड तथा 2000 से आगे एम टी एन एल शामिल है।

Includes BSNL from 2001 onwards and MTNL from 2000 onwards.

+ बैंकों में क्षेत्रिय ग्रामिण बैंकों के साथ सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक शामिल हैं।

+ Banks include all Scheduled Commercial Banks including RRBs.

& अपने वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर को।

& As on 31st December of the respective financial year.

^ आंकड़ें केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र गैर जीवन बीमा साधारण बीमा कम्पनियों (भा० बी० सार्व० क्षे० संघ की सहयोगी कम्पनियों) नामतः नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लि०, न्यू इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि०, ओरिएण्टल इंशोरेंस कम्पनी लि० और युनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि० से संबंधित हैं।

^ The statistics relate only to four non-life General Insurance Companies in the public Sector (GIPSA member companies) namely National Insurance Co. Ltd., New India Insurance Co. Ltd., The Oriental Insurance Co. Ltd., and United India Insurance Co. Ltd.

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.4 अनुमानित नियोजन सूचकांक 2.4 Index Numbers of Estimated Employment

क्षेत्र	आधार Base	2006	2007	Sector
1	2	3	4	1
दूर संचार	1960=100	256.76	250.96	Tele communi- cations
रेल	1960=100	122.0	120.8£	Railways
डाक	1970=100	126.5	121.9	Posts
बैंक^	1961=100	673.8+	673.1+	Banks^
कारखानें	1980=100	Factories
खाने	1970=100	91.67	92.85	Mines
कोयला खानें	1970=100	98.44	96.65	Coal Mines
बागान	1970=100			Plantation
i) चाय		57.2	82.8	i) Tea
ii) काफी		44.4	45.3	ii) Coffee
iii) रबड़		74.7	53.0	iii) Rubber

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.4
Table 2.4

क्षेत्र	आधार Base	2008	2009	Sector
दूर संचार	1960=100	241.61	236.23	Tele Communi- cations
रेल	1960=100	120.5	119.8	Railways
डाक	1970=100	120.4	..	Posts
बैंक [^]	1961=100	594.9		Banks [^]
कारखानें	1980=100	Factories
खाने	1970=100	Mines
कोयला खानें	1970=100	ssCoal Mines
बागान	1970=100			Plantation
i) चाय		i) Tea
ii) काफी		ii) Coffee
iii) रबड़		iii) Rubber

स्रोत : श्रम ब्यूरो, म०नि०खा०सु०, रेलवे बोर्ड, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, एवं भा०रि० बैं०
Source : Labour Bureau; DGMS; Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of
Telecommunication and RBI

[^] बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रिय ग्रामिण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक शामिल हैं।

[^] Banks include all Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks and Reserve Bank of India

+ वित्तीय वर्ष

+ Financial Year

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.1 रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप 3.1 Employment Exchanges and their Activities

	2007	2008	
1	2	3	1
रोजगार कार्यालयों की संख्या +	965	968	No. of Employment Exchanges +
पंजीकरण ('000 में)	5434	5316	Registration (in 000's)
अधिसूचित रिक्तियां ('000 में)	526	571	Vacancies notified (in 000's)
नियुक्तियां ('000)	264	305	Placements (in 000's)
चालू पंजियों में आवेदक ('000 में)+	39974	39115	Total number of applicants on Live Register (in 000's) +

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.1

Table 3.1

1	2	3	1
क) अनुसूचित जाति आवेदक ('000 में)	6321	-	a) Scheduled Castes applicants (in 000's)
(ख) अनुसूचित जनजाति आवेदक ('000 में)	2132	-	b) Scheduled Tribes applicants (in 000's)
(ग) अन्य आवेदक ('000 में)	30662	-	c) Other applicants (in 000's)

स्रोत : म० नि० रो० एवं० प्र०

Source : DGE&T

+ वर्ष के अन्त में

+ At the end of the year

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.2 चालू पंजी में व्यावसायिक समूहानुसार आवेदक

3.2 Applicants on Live Register by Occupational Groups

(000 में) (in 000's)

व्यवसायिक समूह	आवेदकों की संख्या+ Number of Applicants+		Occupational Groups
	2006	2007	
1	2	3	1
वतिक, तकनीकी एवं सम्बंधित कर्मकार	3594	3465	Professional, Technical and related workers
प्रशासनिक, अधिशासकीय एवं प्रबंधकीय कर्मकार	33	32	Administrative, Executive and Managerial workers
लिपिकीय एवं सम्बंधित कर्मकार	2685	2589	Clerical and related workers
विक्रय सम्बंधित कर्मकार	96	93	Sales workers
कषक, मछ्वारे, आखेटक, लकड़हारे तथा संबंधित कर्मकार	103	99	Farmers, Fishermen, Hunters, Loggers and related workers

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.2
Table 3.2

1	2	3	1
सेवा सम्बन्धी कर्मकार	472	455	Service workers
उत्पादन एवं सम्बंधित कर्मकार, परिवहन उपस्कर प्रचालक तथा श्रमिक	4443	4283	Production and related workers Transport equipment operators and labourers
व्यवसाय अवर्गीकृत कर्मकार	30040	28959	Workers not classified by Occupation
योग	41466	39974	Total

स्रोत : म० नि० रो० एवं प्र०
Source : DGE&T

+ वर्ष के अन्त में
+ at the end of the year

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.3 रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में शिक्षित आवेदकों की संख्या

3.3 No. of Educated Applicants on Live Register of Employment Exchanges

(000' में) (in 000's)

आवेदक वर्ग	चालू पंजी में संख्या+ Number on Live Register+		Category of Applicants
	2006	2007	
दसवीं पास	15601	14897.9	Matriculates
उच्चतर माध्यमिक, इंटरमीडिएट और अवर स्नातक सहित	8344	8751.6	Higher Secondary including Intermediate and Under Graduates
स्नातक तथा उससे उच्च	6746	7000.1	Graduates and above
योग	30691	30649.6	Total

स्रोत : म० नि० रो० एवं प्र०

Source : DGE&T

+ वर्ष के अन्त में

+ at the end of the year

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.4 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ केन्द्रों में स्थान-क्षमता और शिक्षु अधिनियम, 1961 के अर्न्तगत शिक्षुओं की संख्या

3.4 Training Activities under the DGE&T Seating capacity of Industrial Training /Centres under the Craftsmen Training Schemes and the number of Apprentices engaged under the Apprentice Act, 1961

प्रशिक्षण योजना	संख्या Number		Scheme/Activity
	2008	2009	
1	2	3	1

क शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

A.Craftsman Training Scheme

रा० व्य० प्र० प० से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या	6714	6906	No. of Training Institutes/ Centres affiliated to N.C.V.T.S
सरकारी औ०प्र०सं०	1980	1997	Govt. ITI
निजी औ० प्र० के०	4734	4909	Pvt. ITC
स्थान-क्षमता इंजीनियरी व्यवसाय / गैर इंजीनियरी व्यवसाय	9.14 लाख lakh	953884	Seating capacity Engineering Trade / Non- Engg. Trades

सारणी 3.4
Table 3.4

1	2	3	1
---	---	---	---

ख शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षण

B. Training under the Apprentices Act 1961

प्रतिष्ठानों की संख्या	23900	24815	No. of Establishments
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं की संख्या	1.97 लाख lakh	198524	No. of Apprentices undergoing training

स्रोत : म० नि० रो० एवं प्र०

Source : DGE&T

रा०व्य०प्र०प० = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद

NCVTS = National Council of Vocational Training Scheme.

औ० प्र० सं० = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

ITI = Industrial Training Institute

औ० प्र० के० = औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

ITC = Industrial Training Centre

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.5 कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा 2008 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में)

3.5 Training Programmes conducted by DGFASLI during 2008 (Central, Regional Labour Institutes and Dock Safety Inspectorates)

निम्न द्वारा संचालित कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या No. of Training Programmes	प्रतिनिहित संस्थानों की संख्या No. of Organisations represented	भाग लेने वालों की संख्या No. of Participants	Programmes Conducted by
1	2	3	4	1
के०श्र०सं० मुम्बई	249	537	4957	CLI, Mumbai
के०श्र०सं० कोलकाता	83	616	1541	RLI Kolkata
के०श्र०सं०, कानपुर	10	97	199	RLI Kanpur
के०श्र०सं०, चेन्नई	26	120	822	RLI Chennai
के०श्र०सं०फरिदाबाद	RLI Faridabad
गोदी सुरक्षा निदेशालय	10	46	235	Dock Safety Inspectorates

स्रोत : म० नि० का० स० से० एवं श्र० सं०

Source : DGFASLI

टिप्पणी : तीन दिवस/एक दिवस/अर्ध दिवस कार्यक्रम सहित

Note : Including over three days/one day/ half day programmes

के०श्र०सं० = केन्द्रीय श्रम संस्थान

CLI = Central Labour Institute

के०श्र०सं० = क्षेत्रीय श्रम संस्थान

RLI = Regional Labour Institute

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.6 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवसाय संघो तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान 31-3-2008 को

3.6 Training Programmes conducted by the Central Board for Workers Education and Grants –in-aid to Trade Unions and other Institutions as on 31-3-2008

योजना/ वर्ष	खोले गये क्षेत्रीय निदेश- शालय Regional Directorates opened	शिक्षा अधि- कारी Educ- tion Offi- cers	प्रशिक्षित प्रशि- क्षार्थी Train- ers trained	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम Person- ality Devel- opment Prog- rammes	Plan/ Year
1	2	3	4	5	1
सातवीं योजना					Seventh Plan
1985-90	1	78	6588	19677	1985-90
वार्षिक योजनाएं					Annual Plans
1990-91	1	-	1209	3957	1990-91
1991-92	3	24	1305	3904	1991-92
आठवीं योजना					Eighth Plan
1992-97	-	75	5721	17397	1992-97

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण**3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING**सारणी 3.6
Table 3.6

1	2	3	4	5	1
नौवीं योजना					Ninth Plan
1997- 2002	1	-	2737	16495	1997- 2002
दसवीं योजना					Tenth Plan
2002- 2007	1	81	1470	10606	2002- 2007
ग्यारवी योजना					Eleventh Plan
2007- 2008	-	-	205	2051	2007- 2008

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.6
Table 3.6

योजना/ वर्ष	जिसमें कर्मकारों को प्रशिक्षण दिया गया				Plan/Year
	Workers Trained in				
	इकाई स्तर कक्षाएं Unit Level Classes	कम अवधि कार्य- क्रम Short Term Programmes	ग्रामीण स्वयं सेवक Rural Volunt eers	ग्रामीण जानकारी कैम्प Rural Awaren ess Camp	
1	6	7	8	9	1
सातवीं योजना					Seventh Plan
1985-90	279194	170485	236	451936	1985-90
वार्षिक योजनाएं					Annual Plans
1990-91	52385	46041	169	139798	1990-91
1991-92	52424	47504	124	136861	1991-92
आठवीं योजना					Eighth Plan
1992-97	230281	240562	1054	494239	1992-97

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.6
Table 3.6

1	6	7	8	9	1
नौवीं योजना					Ninth Plan
1997- 2002	112171	706939	149	403588	1997- 2002
दसवीं योजना					Tenth Plan
2002- 2007	28071	336173	-	516765	2002- 2007
ग्यारवी योजना					Eleventh Plan
2007- 2008	3438	56570	-	80968	2007- 2008

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.6
Table 3.6

योजना/वर्ष	जिसमें कर्मकारों को प्रशिक्षण दिया गया Workers Trained in			Plan/Year
	असंगठित क्षेत्र कैम्प Unorganised Sector Camps	कार्यात्मक व्यस्क साक्षरता कक्षाएं Functional Adult Literacy Classes	सहायक अनुदान के द्वारा कार्यक्रम By Grants-In-Aid Programmes	
1	10	11	12	
सातवीं योजना				Seventh Plan
1985-90	60027	64749	123121	1985-90
वार्षिक योजनाएं				Annual Plans
1990-91	17138	13607	15056	1990-91
1991-92	18321	9972	15544	1991-92
आठवीं योजना				Eighth Plan
1992-97	84909	40258	59424	1992-97

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.6
Table 3.6

1	10	11	12	
				Ninth Plan
नौवीं योजना				
1997-2002	187672	9310	36926	1997-2002
				Tenth Plan
दसवीं योजना				
2002-2007	623111	1698	30373	2002-2007
				Eleventh Plan
ग्यारवी योजना				
2007-2008	151486	100	8233	2007-2008

स्त्रोत : के०श्र०शि०बो०

Source : CBWE

4 मजदूरी एवं उपार्जन

4 WAGES AND EARNINGS

4.1 खानों में कर्मकारों का उपार्जन (धन उपार्जन) 4.1 Earnings of Workers in Mines (Money Earnings)

(रुपयों में) (In Rupees)

खनिज पदार्थ	दिसम्बर में औसत साप्ताहिक उपार्जन Average Weekly Earnings in December		Mineral
	2006	2007	
	1	2	
कोयला खनिक (समस्त भारत)			Coal Miners (All India)
(क) सतह के नीचे (खनिक और भारक)	3298	4288	a) Below ground (Miners and Loaders)
(ख) खादान कार्य (खनिक और भारक)	3549	3206	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)
(ग) कुल	3235	3973	c) Overall
अभ्रक (झारखण्ड)			Mica (Jharkhand)
(क) सतह के नीचे (पार्श्व खनिक और भारक)	427	427	a) Below ground (Face Workers and Loaders)

4 मजदूरी एवं उपार्जन

4 WAGES AND EARNINGS

सारणी 4.1

Table 4.1

1	2	3	1
(ख) खादान कार्य(खनिक और भारक)	429	429	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)
(ग) कुल	508	508	c) Overall
मैग्नीज (मध्य प्रदेश)			Manganese (Madhya Pradesh)
(क) सतह के नीचे(पार्श्व खनिक और भारक)	1208	2599	a) Below ground (Face Workers and Loaders)
(ख) खादान कार्य(खनिक और भारक)	409	411	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)
(ग) कुल	1010	1590	c) Overall
खनिज लोहा (समस्त भारत)			Iron Ore (All India)
(क) सतह के नीचे(पार्श्व खनिक और भारक)	-	-	a) Below ground (Face Workers and Loaders)
(ख) खुला खादान कार्य(खनिक और भारक)	1010	1092	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)
(ग) कुल	1335	1588	c) Overall

स्रोत : म० नि० खा० ंसु०

Source : DGMS

4.2 घन उपार्जन सूचकांक (आधार 1975=100)
4.2 Index of Money Earnings (Base 1975=100)

खनिज पदार्थ	2006	2007	Mineral
बाक्साइट	1902.27	2132.26	Bauxite
चीनी मिट्टी	2850.87	2743.03	China Clay
क्रोमाइट	2078.23	2272.56	Chromite
तांबा	2152.21	2322.13	Copper
डोलोमाइट	1219.68	1459.37	Dolomite
तापसह मिट्टी	1115.89	971.48	Fire Clay
कच्चा सीसा एवं स्फ्लेराइट	1626.31	2269.26	Galena & Sphalerite
सोना	1407.61	1407.61	Gold
जिप्सम	1479.73	978.70	Gypsum
लोहा	1987.55	2819.53	Iron
चूना-पत्थर	1763.09	1534.04	Lime Stone
मैग्नेसाइट	2563.45	2563.45	Mangnesite
मैग्नीज	1867.38	2518.78	Manganese
अभ्रक	1374.43	1389.40	Mica
सेलखड़ी	1937.68	1942.00	Stealite
पत्थर	1564.94	1817.14	Stone
धातुमय	1848.27	2151.50	Metalliferous
कोयला	964.15	1379.86	Coal

स्रोत : म० नि० खा० सु०
 Source : DGMS

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

5.1 रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर
5.1 Number of Industrial Injuries and Incidence Rates
in Railways

	2007	2008	2009	
क्षतियों की संख्या				No. of Injuries
घातक	119	118	87	Fatal
अघातक	2715	2566	2015	Non-Fatal
क्षतियों की आपात दर (प्रति हजार कर्मकार)				Incidence rates of Injuries (per 1000 workers)
घातक	0.09	0.09	0.06	Fatal
अघातक	1.95	1.86	1.47	Non-Fatal

स्रोत : रेलवे बोर्ड

Source : Railway Board

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

5.2 खनिज वर्गानुसार खानों में औद्योगिक क्षतियां
(खनिज श्रेणी अनुसार)

5.2 Industrial Injuries in Mines
(By Class of Minerals)

खनिज	संख्या Number		आवृत्ति दर प्रति हजार कर्मकार Rate per 1000 persons employed		Mineral
	घातक Fata- lity	गम्भीर क्षति Serio- usly Inju- red	घातक Fata- lity	गम्भीर क्षति Serio- usly Inju- red	
1	2	3	4	5	1

2006

1. कोयला	137	891	0.36	2.31	1. Coal
2. गैर - कोयला					2. Non-Coal
तांबा	0	0	0.00	0.00	Copper
गैलेना एवं स्फेलेराइट	1	12	0.31	3.66	Galena & Sphalerite
सोना	1	10	0.32	3.19	Gold

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

सारणी 5.2
Table 5.2

1	2	3	4	5	1
खनिज लोहा	21	22	0.51	0.53	Iron Ore
चूना पत्थर	15	7	0.59	0.27	Limestone
मैंगनीज	2	11	0.15	0.84	Manganese
अभ्रक	0	0	0.00	0.00	Mica
तेल	4	15	0.29	1.08	Oil
पत्थर	4	1	0.61	0.15	Stone
गैर कोयला	71	88	0.45	0.56	Non-Coal
कोयला और गैर-कोयला	208	979	0.38	1.80	Coal & Non- Coal

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

सारणी 5.2

Table 5.2

1	2	3	4	5	1
2008*					
1. कोयला	97	710	0.26	1.87	1. Coal
2. गैर-कोयला					2. Non-Coal
तांबा	1	5	0.41	2.03	Copper
गैलेना एवं स्फेलेराइट	4	23	1.21	6.97	Galena & Sphalerite
सोना	0	9	0.00	2.94	Gold
खनिज लोहा	13	21	0.31	0.50	Iron Ore
चूना पत्थर	10	4	0.36	0.14	Limestone
मैंगनीज	5	2	0.37	0.15	Manganese
अभ्रक	0	0	0.00	0.00	Mica
तेल	9	22	0.47	1.15	Oil
पत्थर	18	20	2.04	2.27	Stone
गैर कोयला +	86	121	0.50	0.71	Non-Coal +
कोयला और गैर-कोयला	183	831	0.33	1.51	Coal & Non- Coal

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

सारणी 5.2
Table 5.2

1	2	3	4	5	1
2009*					
1. कोयला	93	607	0.25	1.60	1. Coal
2. गैर कोयला					2. Non-Coal
तांबा	1	0	0.41	0.00	Copper
गैलेना एवं स्फेलेराइट	0	28	0.00	8.48	Galena & Sphalerite
सोना	1	11	0.33	3.59	Gold
खनिज लोहा	8	20	0.19	0.48	Iron Ore
चूना पत्थर	3	4	0.11	0.14	Limestone
मैंगनीज	1	2	0.07	0.15	Manganese
अभ्रक	0	0	0.00	0.00	Mica
तेल	5	20	0.26	1.04	Oil
पत्थर	11	4	1.25	0.45	Stone
गैर कोयला +	54	104	0.32	0.61	Non-Coal +
कोयला और	147	711	0.27	1.29	Coal & Non-
गैर-कोयला					Coal

स्रोत : म०नि०खा०सु०
Source : DGMS

+ इसमें अन्य खनिज भी सम्मिलित है
+ Includes other minerals also

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

5.3 पत्तनों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं
5.3 Reportable Accidents in Ports

पत्तन	2006-2007		2007-2008		Port
	घातक Fatal	अघातक Non- Fatal	घातक Fatal	अघातक Non- Fatal	
मुम्बई	6	45	2	43	Mumbai
जवाहर लाल नेहरू पत्तन	0	9	0	07	J.N. Port
काण्डला	8	5	5	05	Kandla
मोर्मुगोआ	1	7	1	07	Mormugao
कोलकाता	1	33	3	22	Kolkata
पैरादीप	1	12	1	09	Paradip
विशाखापत्तनम	1	4	1	05	Visakha- patnam
चेन्नई	5	10	6	08	Chennai
कोचीन	1	18	0	09	Cochin
नया मैंगलौर	1	8	2	00	New Mangalore
टूटीकोरिन	0	7	3	09	Tuticorin
योग	25	158	24	124	Total

स्रोत : म०नि०का०स०से.एवं अ०स०
Source : DGFASLI

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

5.4 जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर
5.4 Reportable Accidents on Board Ships and Frequency
Rate

पतन	प्रतिवेदन योग्य दुर्घटनाएं Reportable Accidents		आवृत्ति दर Frequency Rate		Port
	2006- 2007	2007- 2008	2006- 2007	2007- 2008	
मुम्बई	26	24	6.93	8.04	Mumbai
जवाहर लाल नेहरू पतन	2	01	1.18	0.35	J.N. Port
काण्डला	2	01	0.7	0.33	Kandla
मोर्मुगोआ	1	01	1.4	1.60	Mormugao
कोलकाता	27	19	12.27	10.09	Kolkata
पैरादीप	6	05	7.93	5.81	Paradip
विशाखापतनम	3	03	2.03	2.00	Vishakapatnam
चेन्नई	6	04	3.06	2.00	Chennai
कोचीन	7	07	12.38	23.61	Cochin
नया मैंगलौर	4	00	5.33	0.00	New Mangalore
टूटीकोरिन	3	06	2.15	4.00	Tuticorin

स्रोत : म०नि०का०स०से० एवं श्र०स०

Source : DGFASLI

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य

6.1 Working of the Employees State Insurance Act

(क) सम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च को)

(a) No. of Factories & Employees covered (as on 31st March)

	2008	2009	
केन्द्रों की संख्या	773	783	No. of Centres
सम्मिलित कारखानों की संख्या	352508	394332	No. of Factories covered
सम्मिलित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या ('000 में)	11181	12569	No. of Employees in factories covered (in 000's)
बीमाकत व्यक्तियों की संख्या ('000 में)	12071	12938	No. of Insured persons (in 000's)
पारिवारिक इकाइयों की संख्या (बीमाकत व्यक्ति) ('000 में)	12071	12938	No. of Family Units (Insured Persons) (in 000's)
सम्मिलित लाभान्वितों की संख्या ('000 में)	46834	50198	No. of beneficiaries covered (in 000's)

स्रोत : को रा० बी० नि०

Source : ESIC

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.1 (ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति (31 मार्च को)

6.1(b) ESI Dispensaries and Attendance (as on 31st March)

	2008	2009	
अस्पतालों की संख्या			No. of Dispensaries
पूर्णकालिक	1350	1340	Full Time
अंशकालिक	17	17	Part Time
चलते फिरते	10	11	Mobile
नियोजकों के उपयोग के लिये	20	20	Employer's Utilisation
कुल	1397	1388	Total
उपस्थिति			Attendance
(क) संख्या (000 में)			a) Number (in 000's)
बीमाकृत व्यक्ति	16910	19294	Insured Persons
पारिवारिक सदस्य	21389	24062	Family members
(ख) प्रति हजार			b) Per thousand
बीमाकृत व्यक्ति	1483	1543	Insured Persons
पारिवारिक सदस्य	1878	1603	Family members
अस्पतालों में दाखिल किये मामले	389697	337515	Cases admitted in Hospital
घर पर दौरा			Home Visits
बीमाकृत व्यक्ति	74328	63655	Insured Persons
पारिवारिक सदस्य	56060	94646	Family members

स्रोत : को रा० बी० नि०

Source : ESIC

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.1 (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपग्रहों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध शैयाओं की संख्या (31मार्च को)

6.1(c) Number of Beds available in ESI Hospitals/Annexes / Other Hospitals (as on 31st March)

	2008	2009	
			IN ESI Hospitals
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में			
सामान्य	14620	13981	General
प्रसूति	2429	2451	Maternity
तपेदिक	1699	1515	T.B.
योग	18748	17947	Total
			IN Annexes
उपग्रह			
सामान्य	520	520	General
प्रसूति			Maternity
तपेदिक	329	329	T.B.
योग	849	849	Total
			In Other Hospitals
अन्य अस्पतालों में			
सामान्य	17993	18048	General
प्रसूति	2542	2725	Maternity
तपेदिक	2307	2315	T.B.
योग	22842	23088	Total

स्रोत : को रा० बी० नि०
Source : ESIC

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.1(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ
(31 मार्च को)

6.1 (d) **Sickness and Maternity Benefits under the ESI Scheme**
(as on 31st March)

	2008	2009	
बीमारी लाभ			Sickness Benefit
दी गई धन-राशि (रुपये लाख में)	8582.61	12210.84	Amount paid (Rs. in lakh)
औसतन दैनिक दर (रुपये)	96.98	121.12	Average daily rate (Rs.)
दीर्घकालीन लाभ			Extended Benefit
दी गई धन राशि (रुपये लाख में)	1093.98	1304.95	Amount paid (Rs. in lakh)
प्रसूति लाभ			Maternity Benefit
प्रसवों की संख्या	20267	22376	No. of confinements
नियोजित प्रति 100 महिला कर्मचारियों पर प्रसव दर	1.3	1.2	Rate of confinement per 100 women employees
प्रसूति लाभ के फलस्वरूप दी गई धन राशि (रुपये 000' में)	271009	310975	Amount paid as Maternity benefit (Rs.in 000's)
प्रति प्रसव पर दी गई औसत धनराशि (रुपये)	13372	13898	Average amount paid per confinement (Rs.)

स्रोत : को रा० बी० नि०

Source : ESIC

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.1 (ड)कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंगहानि एवं
आश्रितों को लाभ (31 मार्च को)

6.1 (e) Disablement and Dependants Benefits under ESI Scheme (as on 31st March)

	2008	2009	
अस्थायी विकलांगता लाभ के फलस्वरूप दी गई धन-राशि (रु '000' में)	304606	342472	Amount of temporary disablement benefit paid (Rs.in 000's)
स्थायी विकलांगता के स्वीकृत मामलों की संख्या	10945	10937	No. of permanent disablement cases admitted
स्थायी विकलांगता लाभ के दावों का पूंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)	949238	1278215	Capitalised value of permanent disablement benefit claim (Rs.in 000's)
मृत्यु मामलों की स्वीकृत संख्या	949	1073	No. of death cases admitted
स्वीकृत आश्रित लाभ दावों का पूंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)	378348	495695	Capitalised value of dependant benefit claims admitted (Rs.in 000's)

स्रोत : क० रा० बी० नि०

Source : ESIC

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.1(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय (31 मार्च को)

6.1(f) Income and Expenditure of the ESI (as on 31st March)

(रुपये लाख में) (Rs. in lakh)

	2008	2009	
आय			Income
नियोजकों और कर्मचारियों का अंशदान	326283.98	369853.27	Contribution from both employers and employees
ब्याज एवं लाभांश	62836.03	66327.23	Interest and dividends
किराये, उपकर, कर, शुल्क, अर्थदण्ड और अपवर्तन	7898.75	7523.46	Rent, rates, taxes, fees, fines and forfeitures
विविध	1913.07	1541.74	Miscellaneous
व्यय			Expenditure
चिकित्सा लाभ	92479.29	112322.31	Medical Benefit
नकद लाभ	28728.15	38070.45	Cash Benefit
अन्य लाभ	209.40	252.30	Other Benefits
प्रशासनिक व्यय	24797.39	41276.17	Administrative expenses
अस्पतालों आदि के मूल्य ह्रास मरम्मत और अनुरक्षण के लिये व्यवस्था तथा आरक्षित निधि	8671.57	14961.75	Provision for depreciation of hospitals etc., repair and maintenance and reserve funds

स्रोत : क० रा० बी० नि०

Source : ESIC

6.2 (क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य
(कुल परिधि 31 मार्च को)

6.2(a) Working of the Employees Provident Fund Scheme (Overall Coverage as on 31st March)

	2007-2008	2008-2009	
सम्मिलित प्रतिष्ठान वर्ग			Classes of Establishments covered
छूट प्राप्त	2697	2755	Exempted
अमुक्त	530005	570308	Unexempted
योग	532702	573063	Total

अंशदाताओं की संख्या (लाख में)			No. of Subscribers (in lakh)
छूट प्राप्त	37.61	43.92	Exempted
अमुक्त	411.58	426.80	Unexempted
योग	449.19	470.72	Total

स्रोत : के० भ० नि० सं०
Source : C.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (ख) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंशदाता एवं क्षेत्रवार परिधि
(31 मार्च को)

6.2(b) Region-wise coverage and Subscribers of the Employees' Provident Fund Scheme (as on 31st March)

क्षेत्र	कारखानों / प्रतिष्ठान Factories/ Establishments		अंशदाता ('000 में) Subscribers (in 000's)		Region
	2007- 2008	2008- 2009	2007- 2008	2008- 2009	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	47251	50892	3058.80	3058.37	Andhra Pradesh
असम	6247	7718	266.57	324.35	Assam
बिहार	5855	7051	306.85	303.07	Bihar
छत्तीसगढ़	6006	6626	372.14	390.12	Chhattisgarh
दिल्ली	34720	37899	2172.77	2251.84	Delhi
गोवा	2767	2984	489.65	584.20	Goa
गुजरात	47584	50893	2606.40	2682.63	Gujarat
हरियाणा	25140	27564	2634.66	4659.90	Haryana
हिमाचल प्रदेश	5857	6139	242.00	224.18	Himachal Pradesh
झारखण्ड	8607	8427	836.44	929.87	Jharkhand
कर्नाटक	35844	38060	4493.71	4475.85	Karnataka
केरल	14896	16134	1484.42	1572.97	Kerala
मध्य प्रदेश	15423	16185	1540.26	1818.20	Madhya Pradesh

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

सारणी 6.2 (ख)
Table 6.2 (b)

1	2	3	4	5	1
महाराष्ट्र	83913	91471	8019.67	6805.99	Maharashtra
उड़ीसा	11593	12508	652.37	658.61	Orissa
पंजाब	26985	28277	2825.42	3041.29	Punjab
राजस्थान	17847	19667	1573.86	1189.76	Rajasthan
तमिलनाडु	62877	66421	6977.86	7318.75	Tamil Nadu
उत्तराखण्ड	3692	4250	175.13	179.00	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	35326	38098	1533.29	1764.66	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	34308	35799	2657.02	2838.44	West Bengal
योग	532702	573063	44919.29	47072.06	Total

स्रोत : के० भ० नि० सं०
Source : C.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (ग) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अर्न्तगत प्राप्त अंशदान
(31मार्च को)

6.2(c) Contributions received under Employees'

Provident Fund Scheme (as on 31st March)

(रूपये करोड में) (Rs. in crore)

	2007-2008	2008-2009	
वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां			Total contribution and receipts during the year
छूट-प्राप्त	5884.91	5412.75	Exempted
अमुक्त	18782.30	23246.60	Unexempted
योग	24667.21	28659.35	Total
आरोही योग-			Progressive Total
छूट-प्राप्त	73017.01	78429.76	Exempted
अमुक्त	110001.01	133247.61	Unexempted
योग	183018.02	211677.37	Total

स्रोत : के० भ० नि० सं०

Source : C.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य-निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज (31 मार्च को)

6.2(d) Investment of Funds and Interest allowed to the Employees' Provident Fund Members (as on 31st March)

(रुपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2007-2008	2008-2009	
क निवेश			A Investment Net
1 छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान			1 Exempted Estts.
वर्ष के दौरान	7524.71	7536.50	During the year
आरोही योग	73627.13	90128.02	Progressive Total
2 अमुक्त प्रतिष्ठान			2 Unexempted Estts.
वर्ष के दौरान	17666.34	21473.69	During the year
आरोही योग	121503.70	142977.39	Progressive Total
3 कुल निवेश -			3 Total Investment
वर्ष के दौरान	25191.05	29010.19	During the year
आरोही योग	195130.83	233105.41	Progressive Total
ख ब्याज की अनुमानित दर (प्रतिशत) +	8.5	8.5	B Rate of Interest allowed (percent) +

स्रोत : के० भ० नि० सं०

Source : C.P.F.O

+ मासिक गतिशील बकाया पर

+ On monthly running balance

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (ड़) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ःरण एवं अग्रिम राशियों सहित धन-वापसी

6.2(e) Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme

(रूपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2007- 2008	2008- 2009	
छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान	10269.59	9596.76	Exempted Estts. During the year
अमुक्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान	9248.26	11681.05	Unexempted Estts. During the year
कुल ःरण आदि वर्ष के दौरान	19517.85	21277.81	Total Loans, etc. During the year

स्रोत : के० भ० नि० सं०

Source : C.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (च) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन वापसी + (31 मार्च को)

6.2(f) State-wise Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme+ (as on 31st March)

(रुपये करोड़ में) (Rs.in crore)

राज्य / क्षेत्र	2007-08	2008-09	State/Region
1	2	3	1
आन्ध्र प्रदेश	512.32	779.60	Andhra Pradesh
असम	76.91	89.54	Assam
बिहार	55.76	68.47	Bihar
छत्तीसगढ़	50.84	67.92	Chhattisgarh
दिल्ली	662.82	766.61	Delhi
गोवा	61.84	71.87	Goa
गुजरात	640.18	826.82	Gujarat
हरियाणा	389.63	76.27	Haryana
हिमाचल प्रदेश	59.19	559.82	Himachal Pradesh
झारखण्ड	53.80	70.95	Jharkhand

6 सामाजिक सुरक्षा**6 SOCIAL SECURITY**सारणी 6.2 (च)
Table 6.2(f)

1	2	3	1
कर्नाटक	1043.10	1208.33	Karnataka
केरल	397.61	446.65	Kerala
मध्य प्रदेश	327.64	318.67	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	2446.92	2867.08	Maharashtra
उड़ीसा	154.16	165.41	Orissa
पंजाब	482.97	568.86	Punjab
राजस्थान	247.63	293.99	Rajasthan
तमिलनाडु	1136.45	1395.50	Tamil Nadu
उत्तराखण्ड	50.79	77.48	Uttrakhand
उत्तर प्रदेश	494.11	375.81	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	454.12	585.40	West Bengal
योग	9798.79	11681.05	Total

स्रोत : के० भ० नि० सं०
Source : C.P.F.O

- + छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।
+ Excludes figures of exempted establishments

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2(छ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णीत दावे और भुगतान की गई धनराशि (अमुक्त वर्ग) (राज्यवार)

6.2(g) Claims settled and Amount Paid under the Employees' Provident Fund Scheme (Unexempted Sector) (By State)

राज्य / क्षेत्र	निर्णीत दावे (000' में) Claims settled (in 000's)		दी गई धनराशि (रुपए करोड में) Amount Paid (Rs.in crore)		State/ Region
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	183	241	391.52	658.80	Andhra Pradesh
असम	12	14	59.93	72.47	Assam
बिहार	8	11	43.43	55.13	Bihar
छत्तीसगढ	13	17	38.23	54.78	Chhattisgarh
दिल्ली	189	226	607.36	701.86	Delhi
गोवा	17	22	54.85	63.87	Goa
गुजरात	197	252	551.71	695.37	Gujarat
हरियाणा	164	229	302.57	475.35	Haryana
हिमाचल प्रदेश	17	24	46.32	65.28	Himachal Pradesh
झारखण्ड	19	27	42.56	60.29	Jharkhand
कर्नाटक	567	458	920.17	1078.74	Karnataka

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

सारणी 6.2 (छ)
Table 6.2(g)

	1	2	3	1	
केरल	134	96	264.95	298.92	Kerala
मध्य प्रदेश	75	80	259.74	247.65	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	485	632	2187.50	2627.90	Maharashtra
उड़ीसा	28	32	113.64	122.53	Orissa
पंजाब	121	141	393.86	478.12	Punjab
राजस्थान	75	80	205.90	249.32	Rajasthan
तमिलनाडु	402	621	976.80	1219.89	Tamil Nadu
उत्तराखण्ड	12	20	34.05	60.45	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	108	130	356.57	227.62	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	106	120	394.75	524.23	West Bengal
योग	2932	3473	8246.41	10038.57	Total

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अर्न्तगत प्रदान किया गया वापस न किये जाने वाला अग्रिम धन (अमुक्त वर्ग)

6.2(h) Non-Refundable Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme (Unexempted Sector)

प्रयोजन	मामलों की संख्या No. of Cases	राशि Amount (रु० लाख में) (Rs. in Lakh)	Purpose
1	2	3	1
2007-08			
1 जीवन बीमा	37405	1825.68	1 Life Insurance
2 आवास	70934	48423.25	2 Housing
3 बीमारी	63301	16166.14	3 Illness
4 अस्थायी बंदी	10933	3012.98	4 Temporary Closure
5 लड़की की शादी और बच्चों की दसवीं के बाद शिक्षा	142368	47554.30	5 Daughter's marriage and post matriculation education of children
6 आपवादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्ति	-	-	6 Damaged property due to calamity of exceptional nature
7 कारखानों/ प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती	-	-	7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Estts.
8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी	-	-	8 Grant of advance to members who are physically handicapped
9 अन्य	5984	3662.79	9 Others
योग	330925	120645.14	Total

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

सारणी 6.2 (ज)

Table 6.2(h)

1	2	3	1
<u>2008-09</u>			
1 जीवन बीमा	29034	2311.20	1 Life Insurance
2 आवास	68914	56969.36	2 Housing
3 बीमारी	58547	18801.73	3 Illness
4 अस्थायी बंदी	11744	4080.64	4 Temporary Closure
5 लड़की की शादी और बच्चों की दसवीं के बाद शिक्षा	139302	61732.09	5 Daughter's marriage and post matriculation education of children
6 आपवादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्ति	-	-	6 Damaged property due to calamity of exceptional nature
7 कारखानों/प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती	-	-	7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Estts.
8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी	-	-	8 Grant of advance to members who are physically handicapped
9 अन्य	12735	6723.92	9 Others
योग	320276	150618.94	Total

स्रोत : के० भ० नि० सं०

Source : C.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2(अ) कर्मचारी-भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय

6.2(i) Income and Expenditure under the Employees' Provident Fund Organization

(रुपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2007-08	2008-09	
1 आय			1 Income
क) प्रशासनिक प्रभार, निरीक्षण प्रभार और दण्डविषयक क्षतियां	1229.37	1501.58	a) Administrative charges, Inspection charges & Penal damages
ख) निवेशों पर ब्याज	209.64	293.00	b) Interest on investments
ग) सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन, प्रशासन व्यय की प्रतिपूर्ति		-	c) Reimbursement towards Family Pension, Administration expenses by the Government
घ) अन्य लेखाओं से प्राप्त	136.90	14.38	d) From other accounts Receipt
ड) विविध प्राप्तियां	11.80	19.69	e) Misc. Receipt
कूल आय	1587.71	1828.65	Total Income
2 व्यय	544.16	801.50	2 Expenditure
3 अधिशेष	1043.55	1027.15	3 Surplus

स्रोत : के० भ० नि० सं०

Source : C.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.3 अन्नक खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य 6.3 Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund

	2007-08	2008-09	
निर्यात पर उपकर की दर (यथा-मूल्य प्रतिशत)	4.5	4.5	Rate of cess on exports (percent ad valorem)
(रुपये लाख में) (Rs. in lakh)			
आय	351.00	102.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थ्य	68.58	86.35	a) Health
ख) शिक्षा	25.68	58.46	b) Education
ग) आवास	-	-	c) Housing
घ) जल प्रदाय	-	-	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	4.70	5.09	e) Recreation
च) प्रशासन	22.60	36.58	f) Administration
योग (क से च)	121.56	186.48	Total (a to f)
शेष निधि	599.44	515.54	Balance in Fund

स्रोत : म० नि० श्र० क०
Source : DGLW

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.4 खनिज लोहा, मैंगनीज एवं क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य

6.4 Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines

Labour Welfare Fund

	2007-08	2008-09	
उपकर की दर (रूपये प्रति मिट्टिक टन)	1.00+ 4.00++ 6.00#	1.00+ 4.00++ 6.00#	Rate of cess (Rs. per metric tonne)
	(रूपये लाख में) (Rs. in lakh)		
आय	2152.00	2551.00	Income
व्यय-			Expenditure
(क) स्वास्थ्य	464.57	626.88	a) Health
(ख) शिक्षा	221.68	250.43	b) Education
(ग) आवास	23.48	34.09	c) Housing
(घ) जल प्रदाय	0	7.60	d) Water supply
(ङ) मनोरंजन	14.26	15.78	e) Recreation
(च) प्रशासन	126.48	158.85	f) Adminis- tration
योग (क से च)	850.47	1093.63	Total (a to f)
शेष निधि	15157.00₹	16615.00	Balance in Fund

स्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

+ अयस्क लोहा

+ Iron Ore

++ अयस्क मैंगनीज

++ Manganese Ore

अयस्क क्रोम

Chrome Ore

6.5 चूना पत्थर एवं डोलोमाइट श्रमिक कल्याण निधि के कार्य
**6.5 Working of the Limestone and Dolomite Mines
 Labour Welfare Fund**

	2007-08	2008-09	
उपकर की दर (रूपये प्रति मीट्रिक टन)	1.00	1.00	Rate of cess (Rs.per metric tone)
(रूपये लाख में) (Rs. in lakh)			
आय	2256.00	2460.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थ्य	431.08	496.86	a) Health
ख) शिक्षा	148.96	135.98	b) Education
ग) आवास	31.37	74.26	c) Housing
घ) जल प्रदाय	0	22.26	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	50.30	65.50	e) Recreation
च) प्रशासन	158.61	218.22	f) Adminis- tration
योग (क से च)	820.32	1013.08	Total (a to f)
शेष निधि	6797.00	8243.00	Balance in fund

स्रोत : म० नि० श्र० क०
 Source : DGLW

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.6 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के कार्य

6.6 Working of the Beedi Workers' Labour Welfare Fund

	2007-08	2008-09	
उपकर की दर (रुपये प्रति 1000 उत्पाद शुल्क वाली बीड़ियों पर)	5.00	5.00	Rate of cess (Rs. per 1000 of exciseable beedis)
	(रुपये लाख में) (Rs. in lakh)		
आय	18462.00	20242.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थ्य	3566.62	4913.21	a) Health
ख) शिक्षा	8338.91	10522.17	b) Education
ग) आवास	10715.73	7122.75	c) Housing
घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	12.82	18.60	e) Recreation
च) प्रशासन	388.97	560.62	f) Adminis- tration
योग (क से च)	23023.05	23137.35	Total (a to f)
शेष निधि	(-) 24.08£	53.03	Balance in fund

स्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.7 सिनेमा श्रमिक कल्याण निधि के कार्य

6.7 Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund

	2007-08	2008-09	
उपकर की दर (रूपये प्रति फीचर फिल्म)	20000+ 10000++	20000+ 10000++	Rate of cess (Rs. per feature film)
	(रूपये लाख में) (Rs. in lakh)		
आय	135.00	243.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थ्य	63.14	85.64	a) Health
ख) शिक्षा	31.51	35.42	b) Education
ग) आवास	0	-	c) Housing
घ) जल प्रदाय	0	-	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	0	-	e) Recreation
च) प्रशासन	2.14	3.60	f) Adminis- tration
योग (क से च)	96.79	124.66	Total (a to f)
शेष निधि	209.00£	328.00	Balance in fund

स्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

- + हिन्दी एवं अंग्रेजी फीचर फिल्म
- + Hindi & English Feature Films
- ++ सभी अन्य भाषी फीचर फिल्म
- ++ All other language feature film

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.8(क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (31 मार्च को)
6.8(a) Working of Coal Mines Provident Fund
 (as on 31st March)

	2008	2009	
सम्मिलित कोयला खाने और आनुपंगिक संगठन(अवधि के अन्त में)	948£	928	Coal Mines and ancilliary organisations covered (at the end of the period)
सम्मिलित कर्मचारी (000 में)			Employees covered (in 000's)
(क) पंजीकृत सदस्यता (अवधि के अन्त में)	2250£	2259	a) Registered membership (at the end of period)
(ख) वर्ष के दौरान सजीव सदस्यता वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (रुपये लाख में)	510£	492	b) Life membership during the year
क) अनिवार्य	185840.00	248693.00	Contributions received during the year (Rs. lakh) a) Compulsory
ख) स्वैच्छिक	2195.00	3175.00	b) Voluntary

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०
 Source : CMPFC

6.8(ख) कोयला खान भविष्य निधि के कार्य (राज्यानुसार वितरण)

6.8(b) Working of Coal Mines Provident Fund
(State-wise Distribution)

राज्य	अवधि के दौरान सजीव सदस्यता		State
	Live membership during		
	2008£	2009	
झारखण्ड	142060	136081	Jharkhand
पश्चिम बंगाल	91914	86586	West Bengal
मध्य प्रदेश	98775	97363	Madhya Pradesh
छत्तीसगढ़	20750	21456	Chhattisgarh
महाराष्ट्र	50421	48939	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	81182	76119	Andhra Pradesh
असम	3917	3312	Assam
जम्मू एवं कश्मीर	1741	1717	Jammu & Kashmir
उड़ीसा	19664	19785	Orissa
दिल्ली	-	228	Delhi
योग	510424£	491586	Total

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

Source : CMPFC

6.8(ग) कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण
और अग्रिम धन (31 मार्च को)

**6.8(c) Loans and advances granted under the Coal
Mines Provident Fund Scheme (as on 31st March)**

	2008	2009	
विवाह अग्रिम			Marriage Advance
(क)-संख्या	10366	11669	a) Number
(ख)-धनराशि (करोड रु में)	109.57	124.47	b) Amount (Rs.in crore)
पश्चीय दसवीं पास शिक्षा अग्रिम			Post Matriculation Education Advance
क)-संख्या	1241	1473	a) Number
ख)-धनराशि (करोड रु में)	5.74	6.53	b) Amount (Rs.in crore)
गह निर्माण अग्रिम			House Building Advance
क)-संख्या	9583£	10188	a) Number
ख)-धनराशि (करोड रु में)	211.00£	267.01	b) Amount (Rs. in crore)

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

Source : CMPFC

6.8 (घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के दावे (31मार्च को)

6.8(d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund Scheme (as on 31st March)

	2008£	2009	
प्राप्त दावों की संख्या	26173£	28341	No of claims received
अस्वीकृत दावों की संख्या	433£	507	No. of claims rejected/returned
निर्णीय दावों की संख्या	25622£	28341	No. of claims settled
वापस की गई धन राशि (रुपये करोड़ में)	1620.03£	2177.03	Amount refunded (Rs. In crore)
<u>आरोही योग</u>			<u>Progressive Total</u>
निर्णीत दावे (‘000 में)	1314£	1342	Claims settled (in 000’s)
वापस की गई धनराशि (रुपये करोड़ में)	16542.90£	18719.93	Amount refunded (Rs. in crore)
विचाराधीन दावे	2570£	1676	Claims pending

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

Source : CMPFC

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.8 (ड) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय
(31 मार्च को)

**6.8(e) Income and Expenditure under the Coal Mines
Provident Fund Scheme (as on 31st March)**
(रुपये लाख में) (Rs. in lakhs)

	2008	2009	
आय			Income
प्रशासनिक प्रभार	6390.00	7475.00	Administra- tive charges
अन्य प्राप्तियां	7085.00₹	7255.00	Other receipts
योग	13475.00₹	14730.00	Total
व्यय	3283₹	5674	Expenditure
अधिशेष	10192₹	9056	Surplus
व्यय अनुपात	24.36₹	38.52	Expense ratio

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०
Source : CMPFC

6.8(च) पारिवारिक पेंशन निधि लाभ (31मार्च तक)
6.8(f) Family Pension Fund Benefits (upto 31st March)

	मामलों की संख्या No. of Cases				
	2007- 2008 के दौरान During 2007- 2008	2008 तक Upto 2008	2008- 2009 के दौरान During 2008- 2009	2009 तक Upto 2009	
निर्णीत पारिवा- रिक पेंशन निधि	41£	39893£	26	39919	Family pension cases settled
परिवार पेंशन स्कीम के अन्तर्गत निपटाए गए अन्य लाभों के दावे	0	104598£	0	104598	Claims for other benefits under Family Pension Scheme settled

स्रोत : को०खा०भ०नि०आ०

Source : CMPFC

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

1. नियोजन

1. Employment

सारणी 1.1: आंकड़े सभी कारखानों से सम्बन्धित हैं जो शक्ति प्रयोग के साथ 10 या अधिक कर्मकार एवं बिना शक्ति के प्रयोग से 20 या अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं और वे प्रतिष्ठान जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत कारखाना घोषित किया गया है।

Table 1.1: Statistics relate to all factories employing 10 or more workers with the aid of power and 20 or more workers without the aid of power and to the establishments declared as factories by State Governments under Section 85 of the Factories Act, 1948.

सारणी 1.2: प्रस्तुत आंकड़े राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनों/विवरणियों पर आधारित हैं एवं बागान श्रमिकों का दैनिक औसत नियोजन दर्शाते हैं। आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले बागानों/ईस्टेटों से सम्बन्धित हैं।

Table 1.2 : Statistics furnished are based on the annual reports/returns received from States/Union Territories under the Plantations Labour Act, 1951 and the figures indicate average daily employment in Plantations. The employment data relate only to the plantations/estates submitted returns.

सारणी 1.3: इस सारणी में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत एकत्रित आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं। ये आंकड़े परिवर्ती अनुक्रिया के कारण अपूर्ण हैं व तुलनात्मक नहीं हैं। यह सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्रित की गई है।

Table 1.3 : The data collected under the various Acts are given in this table. The figures are not complete or comparable over time due to varying response rates from primary units from year to year. The information is submitted by various State Governments.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

2. मजदूरी एवं उपार्जन
2. Wages and Earnings

सारणी 2.1 और 2.2: मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 उद्योगों में नियुक्त कर्मकारों का मजदूरी का भुगतान नियमित करने, उन्हें मजदूरी के भुगतान में देरी का कारण और गैर कानूनी कटौतियों या न्याय असंगत देरी को दूर करने के तीव्र और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया था। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत 1982 में मजदूरी की उच्चतम सीमा 1,600/- रुपये निर्धारित की गई थी। यह सीमा दिनांक 9-11-2005 की अधिसूचना संख्यां 1577 के तहत 6,500/- रु० प्रतिमाह तक बढ़ाई गई थी तथा दि० 8-8-2007 की अधिसूचना 1380 के तहत 10,000/- रु० प्रतिमाह तक और आगे बढ़ाई गई। यह आंकड़ें 1-1-2006 से राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2004 के अनुसार संकलित किए गए और इससे पहले यह आंकड़ें राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 1998 के अनुसार संकलित किए गए थे।

Tables 2.1 & 2.2 : The Payment of Wages Act, 1936 was enacted to regulate payment of wages to workers employed in industries and to ensure a speedy and effective remedy to them against illegal deductions and /or unjustified delay caused in paying wages to them. The wage ceiling under Payment of Wages Act, 1936 was fixed at Rs.1,600/- p.m. in 1982. This limit was enhanced to Rs. 6,500/-p.m. vide notification No 1577 dated 9.11.2005 and further enhanced to Rs 10,000/- p.m. vide Notification No.1380 dated 8.8.2007. The figures are compiled as per National Industrial Classification 2004 with effect from 1.1.2006 and earlier were compiled as per NIC 1998

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

सारणी 2.3: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 जहां श्रमिक शोषण हेतु अतिसंवेदनशील है, ऐसे रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण / नियतकालिक संशोधन के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है। न्यूनतम मजदूरी पद्धति कर्मकारों के शोषण को दूर करने हेतु लाभकारी कार्य करती है, जहां अत्यधिक कम मजदूरी का भुगतान है और भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के निर्वह स्तर में असमानताओं को कम करने में सहायता करती है। इससे न्यूनतम मजदूरी दरों में वैधानिकता के द्वारा संशोधित करती है। यह गरीबी कम करने में सहायता करती है और घोर परिश्रम वाले उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी उपार्जकों की स्थिति में सुधार करती है।

Table 2.3 : The Minimum Wages Act, 1948 provides for fixation/periodic revision of minimum wages in employments where labour is vulnerable to exploitation. The minimum wages system serves a useful purpose in preventing workers' exploitation in terms of payment of unduly low wage and helps in reducing inequalities in the standard of living of different social groups of workers by statutorily prescribing minimum wage rates. This helps in reducing poverty and improving the position of low paid wage earners in the sweated industries.

3. मूल्य

3. Prices

सारणी 3.1 (क) और (ख) औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 पर जनवरी, 2006 सूचकांक से जारी किया गया था, जिसने आधार 1982=100 पर पहली श्रंखलाओं का स्थान लिया। नई श्रंखलाओं में कई सुधार किए गए, जैसे केन्द्रों की संख्या में 70 से 78 तक वृद्धि, बाजारों की संख्या में 226 से 289 तक वृद्धि तथा मुल्यांकित वस्तुओं में वृद्धि। अन्य विवरण हेतु इंडियन लेबर जरनल के अप्रैल, 2006 का अंक का अवलोकन किया जाये।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

सारणी 3.1 (क) औद्योगिक कर्मकारों के लिए 2001=100 आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक औसत तथा माहवार अखिल भारतीय सामान्य और खाद्य सूचकांक चित्रित करती है। सारणी 3.1 (ख) केन्द्रवार वार्षिक औसत तथा 1982 और 2001 श्रृंखलाओं के बीच सभी केन्द्रों (सामान्य) के योजक घटक चित्रित करती है।

Table 3.1 (a) and (b) All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base : 2001=100 was introduced with effect from January, 2006 index, which replaced the earlier series on base: 1982=100. In the new series, various improvements were incorporated such as increase in the number of centres from 70 to 78, increase in number of markets from 226 to 289 and increase in number of items. For further details reference may be made to April, 2006 issue of the Indian Labour Journal.

Table 3.1(a) depicts annual average of All-India Consumer Price Index Numbers and month-wise All India General and Food index for Industrial Workers on base 2001=100. Tables 3.1 (b) depicts Centre-wise Annual Averages and Linking Factors of all centres (General) between 1982 and 2001 series.

सारणी 3.2: कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों हेतु 1986-87=100 आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इस सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

Table 3.2 : Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 are presented in this table.

4. व्यवसाय संघ

4. Trade Unions

सारणी 4.1 तथा 4.2: ये आंकड़े व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं विवरणियाँ भेजने वाले व्यवसाय संघों के हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। वर्ष-प्रतिवर्ष परिवर्तित अनुक्रिया के कारण इन आंकड़ों की परिधि भी अपूर्ण है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

Tables 4.1 & 4.2 : The data refers to trade unions submitting returns and registered under the Trade Unions Act, 1926. The registration under the Act is not compulsory. The coverage of statistics is also incomplete due to varying response rate from year to year.

5. औद्योगिक विवाद

5. Industrial Disputes

सारणी 5.1 से 5.10: औद्योगिक विवादों के आंकड़े राजनीतिक अथवा सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों को छोड़कर, कार्य स्थगन में परिणत विवादों से सम्बन्धित हैं जिनमें, 10 या अधिक कर्मकार अन्तर्ग्रस्त हुए हों।

Tables 5.1 to 5.10 : The figures on industrial disputes relate to disputes resulting in work-stoppages and involving 10 or more workers and are exclusive of political or sympathetic strikes.

6. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. Accidents, Safety and Absenteeism

सारणी 6.1: कारखानों में क्षतियों के आंकड़े दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं से होने वाली केवल वही क्षतियां अथवा व्यावसायिक बीमारियां अंकित की जाती हैं, जिनके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति 48 घण्टे या इससे अधिक अवधि के लिए अपने काम पर उपस्थित न हो सकें। ये आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले कारखानों के हैं।

Table 6.1 : Figures of injuries in factories relate to number of persons receiving injuries as a result of accidents in factories. Only those injuries from industrial accidents or occupational diseases are recorded by reason, in which persons affected are prevented from attending to work for a period of 48 hours or more. The data relate to only factories submitting returns.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

सारणी 6.2: सांख्यिकी एकत्रण अधिनियम, 1953 तथा 1959 में उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ए एस आई) सांविधिक रूप में संचालित किया जा रहा है। यह स्कीम 1961 में प्रचलित रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा आंकड़ें एकत्रित किए जा रहे हैं। श्रम ब्यूरो श्रम भाग यानि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसूची के भाग 1 के भाग 2 और ब्लाक ड के अन्तर्गत एकत्रित आंकड़ों का प्रसार करता है, जिसमें अनुपस्थिती, श्रमिक परिवर्तन, उपार्जन और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम लागत शामिल है। स्कीम (श्रम भाग) के उद्देश्य हैं :- क) नियोजन, अनुपस्थिती, श्रमिक परिवर्तन, उपार्जन और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम लागत के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र में आंकड़ों का निर्माण करना ; ख) श्रम लागत के कई घटकों जैसेकि श्रम क्षेत्र में मजदूरी/वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा और स्टाफ कल्याण पर सूचना का प्रसार और विश्लेषण करना।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का क्षेत्र पुरे देश की और अग्रसर होता है, जोकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्कम और लक्ष्मीप के संघ राज्य को छोड़कर है। सभी संस्थापनाएं, जो कारखाना अधिनियम, 1948 और बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की स्थितियां) के अन्तर्गत जो भाग 2 एम (i) और 2 एम (ii) में आती हैं, उन्हें वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। 1976-77 चक्र से वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत आंकड़ें दो स्कीमों यानि (i) जनगणना क्षेत्र (ii) प्रतिदर्श क्षेत्र, के अन्तर्गत एकत्रित किए जा रहे हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

Table 6.2 : The Annual survey of Industries (ASI) is being conducted statutorily under the Collection of Statistics Act, 1953 and the Rules framed there under in 1959. The scheme has been in operation since 1961. Under the Scheme,. Data is being collected by NSSO. Labour Bureau is disseminating data collected under Labour Part i.e. Part II and Block E of Part-I of ASI schedule, which includes data on Absenteeism, Labour Turnover, Labour Employment and Labour Cost. The objectives of the Scheme (Labour Part) are :- (a) To build data base on Employment, Absenteeism, Labour Turnover, Earnings and Labour Cost in manufacturing sector (b) To disseminate information and analyse various components of Labour Cost, such as wage / salary, Bonus, social security and Staff Welfare in this Sector.

The scope of the Annual Survey of Industries extends to entire country except the State of Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim and Union territory of Lakshadweep. All establishments registered under Section 2m(i) and 2m(ii) of Factories Act, 1948 and Bidi & Cigar Workers (Conditions of employment) Act, 1966 are covered under ASI. From 1976-77 round, data under ASI is being collected under two Schemes viz (i) Census Sector (ii) Sample Sector.

7. सामाजिक सुरक्षा

7. Social Security

सारणी 7.1: ये आंकड़े कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों से सम्बन्धित हैं। अधिसूचित रोजगारों में उन कर्मकारों की क्षतिपूर्ति की जाती है जिनकी दुर्घटनाओं से मृत्यु हो गई हो या जो तीन दिन से अधिक के लिए असमर्थ हो गये हों। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में हुई क्षतियों के लिए प्रतिकर का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत ही किया जाता है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत नहीं। इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है। प्रतिकर की दरों में 8.12. 2000 से बढ़ोतरी की गई है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

Table 7.1 : Data relate to compensated injuries under the Workmen's Compensation Act, 1923. Compensation is payable to workers in scheduled employments in respect of accidents resulting in death or disablement for more than 3 days. Compensation in case of injuries in establishments covered by the Employees' State Insurance Act is paid under that Act and not under the Workmen's Compensation Act. The geographical coverage of data has varied from year to year. The rates of compensation have been enhanced with effect from 8.12.2000.

सारणी 7.2: ये आंकड़े प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली वार्षिक विवरणियों पर आधारित हैं। जो प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के आवत के अन्तर्गत आते हैं, उनमें प्रसूति लाभ का भुगतान इसी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है न कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अन्तर्गत इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है।

Table 7.2 : Data are based on annual returns under the Maternity Benefits Act. In establishments covered by the ESI Act, the maternity benefit is paid under that act and not under the Maternity Benefits Act. The geographical coverage of the figures has varied from year to year.

8. अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8. International Comparison

सारणी 8.1 से 8.5 : इन सारणियों के आंकड़ें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैबसाइट से लिए गये हैं। पाठकों से निवेदन है कि परिसीमाओं, परिधि, सर्वेक्षण ढंग, वर्गीकरण एवं अन्य विवरण से सम्बन्धित टिप्पणियों के लिए आई०एल०ओ० की वैबसाइट (www.ilo.org) के प्रासंगिक खण्डों का अवलोकन करें।

Tables 8.1 to 8.5 : The data in these tables have been taken from the website of the International Labour Organisation. For notes regarding limitations, coverage, survey methods, classifications and other details, the readers are requested to refer to the relevant sections of the website of the International Labour Organisation (www.ilo.org).

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

सारणी 1.3

रा० प्र० स० सं० के नियोजन एवं बेरोजगारों के दौरों में अपनाई गई "नियोजित" और "बेरोजगार" की परिभाषाएं (श्रमिक बल को "नियोजित अथवा "बेरोजगार"में परिभाषित किया जाता है; "कार्य करने" से तात्पर्य लाभप्रद कार्य अर्थात् वे कार्य जिनके करने से वेतन, लाभ या परिवार को लाभ प्राप्त होता है।)

यदि नियोजित है	यदि बेरोजगार है
वर्ष : काम की तलाश/काम के लिए उपलब्ध या अनुपलब्ध रहने की अवधि की अपेक्षा संदर्भ वर्ष के दौरान लम्बी अवधि में 'कार्यरत' है।	वर्ष : संदर्भ वर्ष के दौरान अपेक्षतया लम्बी अवधि में काम की तलाश/काम के लिए उपलब्ध, 'कार्यरत' या काम के लिए अनुपलब्ध रहने की अवधि की तुलना में।
सप्ताह: सन्दर्भित सप्ताह में किसी भी एक दिन कम से कम एक घण्टा "काम कर रहे"।	सप्ताह: 'काम न कर रहे' किन्तु सप्ताह के दौरान काम की तलाश में/किसी भी समय काम के लिए उपलब्ध।

Table 1.3

Definitions of 'EMPLOYED' AND 'UNEMPLOYED'
adopted in Employment and Unemployment Surveys of the
NSSO:

(*Labour force* is defined as 'employed' or 'unemployed'; Working is engagement in gainful activities i.e., activities resulting in pay, profit or family gain).

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

Employed if	Unemployed if
<i>Year</i> : 'working' for a relatively long period during the reference year compared to the period 'seeking/ available' for work or the period 'not available' for work	<i>Year</i> : 'seeking/ available' for work for a relatively long period during the reference year compared to the period 'working' or the period 'not available' for work.
<i>Week</i> : working for at least one hour on any one day of the reference week	<i>Week</i> : non-working but seeking/ available for work at any time during the week

2. नियोजन

2. Employment

सारणी 2.1: सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजन में रेलों में नियोजन शामिल है, परन्तु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले व्यक्ति तथा अंशकालिक कर्मकार इसमें शामिल नहीं हैं। सूचना न भेजने वाले प्रतिष्ठानों के लिये भी अनुमान लगाये गये हैं।

Table 2.1 : Employment in public sector includes employment in Railways but excludes the Indian Missions abroad and part-time workers. Estimates have also been made for defaulting establishments.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

सारणी 2.3 भारतीय रेलवे रोजगार में अनियत श्रमिकों के अतिरिक्त क्षेत्रीय रेलवे संरक्षण विशेष बल सहित उन सभी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है जो प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को चालू लाईन पर सभी प्रकार के एवं क्षेत्रीय रेलवे के निर्माण कार्य में रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में तथा इसके अन्य संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे थे। डाक विभाग और दूर संचार विभाग के नियोजन आंकड़े उन राजपत्रित अराजपत्रित तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से सम्बन्धित है जो 31 मार्च को काम कर रहे थे।

बीमा में नियोजन के सम्बन्ध में भारतीय सामान्य बीमा सार्वजनिक क्षेत्र संघ तथा जीवन बीमा निगम के द्वारा सूचना प्रेषित की गई है।

बैंकों की सूचना अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक में नियोजन से सम्बन्धित है।

Table 2.3 : Employment in Indian Railways includes all ranks as on 31st March each year on open line and construction on all zonal Railways and in the office of Railway Board and its attached and subordinate offices including Railway Protection Special Force but excluding casual labour.

Employment in Department of Posts and Telecommunication relates to gazetted, non-gazetted and extra Departmental Staff as on 31st March.

In respect of employment in Insurance the information has been furnished by the General Insurance Public Sector Association of India and Life Insurance Corporation.

The information on banks relates to employment on Scheduled Banks, Regional Rural Banks and Reserve Bank of India.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

सारणी 2.4 : विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन सूचकांकों के संकलन के लिए वांछित आंकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में यथासम्भव अनुमान लगाये गये हैं ।

Table 2.4 : In compiling the indices of employment in different sectors, estimates for non-response have been made wherever possible.

3. रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण

3. Employment Service and Training

सारणी 3.1. से 3.3 : ये आंकड़े उन रोजगार कार्यालयों, विश्वविद्यालय रोजगार-सूचना ब्यूरो की सेवाओं पर आधारित हैं जिनकी स्थापना नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए की गई है ।

Tables 3.1 to 3.3 : Statistics are based on the working of Employment Exchanges, University Employment Information Bureaux set up for registering people who are seeking employment and securing employment for them.

सारणी 3.4: आंकड़े शिल्पकारों के प्रशिक्षण के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उपलब्ध सूचना पर आधारित है। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण विभिन्न नामोद्दिष्ट शिल्पों एवं निर्दिष्ट उद्योगों के शिक्षुओं को भी प्रदान किया जाता है।

Table 3.4 : Statistics are based on information available in DGE&T for training craftsmen under the Craftsmen Training Scheme of the DGE&T, Ministry of Labour and Employment. Apprenticeship Training is also imparted to apprentices in different designated trades and specified industries under the Apprentices Act, 1961.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

सारणी 3.5: महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान सुरक्षा अधिकारियों के लिए पांच श्रम संस्थानों में औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष के डिप्लोमा कोर्स और चिकित्सा अधिकारियों के लिए एसोसिएट फेलो आफ इन्डस्ट्रीयल हैल्थ पर तीन महीने के पाठ्यक्रम का केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुम्बई एवं आर एल आई कोलकाता में आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों के अनुरोध पर यह पांच श्रम संस्थानों और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में औद्योगिक सुरक्षा/स्वास्थ्य-विज्ञान, उत्पादकता, कर्मचारीवर्ग प्रशिक्षण एवं अन्य संबद्ध विषयों पर तदर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है।

Table 3.5 : The Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes conduct one year Diploma Course in Industrial Safety at five Labour Institutes for Safety Officers and 3 months course of Associate Fellow of Industrial Health at Central Labour Institute, Mumbai and RLI Kolkata for Medical Officers. Besides this, it also conducts regularly training programmes on Industrial Safety, Hygiene, Productivity, Staff Training and other related disciplines at the five Labour Institutes and Dock Safety Inspectorates on requests from establishments.

सारणी 3.6 : कर्मकार शिक्षा हेतु केन्द्रीय बोर्ड (सी० बी० डब्ल्यू ई) के पास क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय निदेशालयों का एक नेटवर्क है, जिसमें संगठित, असंगठित, ग्रामिण, लघुमान और अनौपचारिक क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए यूनिट/ग्रम स्तर के कर्मकार शिक्षा कार्यक्रम किए जाते हैं। भारतीय कर्मकार शिक्षा संस्थान, मुम्बई जो एक शीघ्रस्थ प्रशिक्षण संस्थान है, केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों और राष्ट्रीय संघों, बोर्ड के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। यह बोर्ड ग्रामीण जागति कैम्प भी संचालित करता है, जिनमें भूमिहीन श्रमिक, जनजाति श्रमिक इत्यादि भाग लेते हैं। पंजीकृत व्यावसाय संघों और अन्य संस्थानों हेतु उनके अपने कर्मकार कार्यक्रमों के लिए बोर्ड सहायक अनुदान भी प्रदान करता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

Table 3.6 : The Central Board for Workers, Education (CBWE) has a network of Regional and Sub-Regional Directorates to undertake Workers Education Programmes at regional and unit/village level for workers in the organised, unorganised, rural, small scale and informal sectors. The Indian Institute of Workers Education, Mumbai an apex-Training Institute conducts national level training programs for the activists of Central Trade Union Organizations and National Federations besides the training programmes for the Board's officers / officials. The Board also conducts Rural Awareness Camps being attended by landless labour, tribal labour etc. The Board provides grants in aid to registered Trade Unions and other institutions for conducting their own Worker's Programmes.

4. मजदूरी एवं उपार्जन

4. Wages and Earnings

सारणी 4.1 एवं 4.2 :कोयला खानों में उपार्जन के आंकड़े प्रति व्यक्ति साप्ताहिक उपार्जन से संबंधित हैं तथा मासिक आधार पर उपलब्ध हैं। उपार्जन आंकड़े दिसम्बर माह में पूरे एक सप्ताह के हैं। धन उपार्जन सूचकांक का संकलन लास्पेयर सूत्र द्वारा किया जाता है।

Table 4.1 & 4.2 : The statistics of earnings in coal mines relate to per capita weekly earnings and are available on monthly basis. The earning figures relate to one complete week during the month of December. Index of money earnings is compiled by Laspeyer's formula.

5. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

5. Accidents, Safety and Absenteeism

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

सारणी 5.1: रेलवे में होने वाली क्षतियों के आंकड़ों में भारतीय रेल कार्य से सम्बन्धित रेल-गाडियां एवं रेल-वाहनों के चलने के कारण और कर्मशालाओं में होने वाली क्षतियों की घटनाएं शामिल हैं। रेलवे कर्मचारी को उस समय क्षतिग्रस्त समझा जाता है, जब उसके कारण वह दुर्घटना होने के समय से अगले 48 घंटों के दौरान काम पर आने में असमर्थ हो ।

Table 5.1 : The figures of injuries on Indian Railways are inclusive of those due to movement of trains and railway vehicles connected with railway working and in railway workshops. A railway employee is considered as injured when, because of that, he is prevented from attending to work during the next 48 hours after the occurrence of the accident.

सारणी 5.2:

यह सारणी गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों और संघातको की संख्या दर्शाती है। गम्भीर शारीरिक क्षति को उसे माना जाता है जिसमें किसी भाग की स्थायी हानि अथवा शरीर के किसी खण्ड की या शरीर के किसी भाग अथवा खण्ड के उपयोग अथवा उसकी स्थायी क्षति या असमर्थता अथवा किसी हड्डी का टूटना अथवा हड्डियों के एक या अधिक जोड़ों या हाथ या पैर की उंगलियों के पोरों की हड्डियों का टूटना शामिल अथवा सर्व सम्पन्न समग्र रूप की संभाव्यता में सम्मिलित होंगे। गम्भीर क्षतियां वह होती हैं जिनमें कम से कम एक मृत्यु (संघातिकता) शामिल हो ।

Table 5.2 : This table presents number of fatalities and number of persons seriously injured. A serious injury is taken as one which involves or in all probability will involve, the permanent loss of any part or section of a body or the use of any part or section of a body, or the permanent loss of or incapacity or the fracture of any bone or one or more joints of bones or any phalanges of hand or foot. Fatal accidents are those in which at least one death (fatality) is involved.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

सारणी 5.3 और 5.4: डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम,1990 के विनियम,91 के अनुसार प्रतिवेदन योग्य दुर्घटना डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम,1986 के अन्तर्गत वह है जिसमें या तो डॉक कर्मकार की मृत्यु हो जाए अथवा दुर्घटना से अगले 48 घण्टों के लिए वह अपने रोजगार का कार्य करने योग्य न रहे और जिसके लिए डॉक कर्मकारों के नियोजकों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भर कर निरीक्षक को नोटिस दिया जाना है।

ये अधिनियम और विनियम भारत के सभी मुख्य पत्तनों जैसे मुम्बई, कोलक्ता, कोचीन, ज्वाहरलाल नेहरू पत्तन, कांडला, इन्नौर, चेन्नेइ, मोरमुगाओ, न्यू मेंगलौर, पारादीप, टुटीकोरिन और विशाखपटनम पर लागू होते हैं और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। यह ग्यारह पत्तनों पर स्थापित डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से महा निदेशक के नियंत्रण के अन्तर्गत होता है, जो डॉक सुरक्षा के मुख्य निरीक्षक हैं।

इन्नौर निरीक्षणालय अभी स्थापित नहीं हुआ है, तथापि इन्नौर पत्तन के प्रवर्तन का संचालन चेन्नेइ निरीक्षणालय से किया जा रहा है।

Tables 5.3 & 5.4 : A 'reportable' accident according to Regulation 91 of the Dock Workers' (Safety, Health & Welfare) Regulation, 1990 framed under the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986, is one which either causes loss of life to a dock worker or disables him from work on which he is employed for more than 48 hours following the accident and for which notice is to be given to the inspector in a prescribed form by the employers of the dock workers.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

These Acts and the Regulations apply to all major ports of India i.e. Mumbai, Kolkata, Cochin, Jawaharlal Nehru Port, Kandla, Ennore, Chennai, Mormugao, New Mangalore, Paradip, Tuticorin and Vishakapatnam and are administered by the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Ministry of Labour and Employment, Government of India through the Dock Safety Inspectorates set up at the eleven ports under the control of Director General who is the Chief Inspector of Dock Safety.

The Inspectorate at Ennore is yet to be set up. However, the enforcement at Ennore is administered by Inspectorate at Chennai.

6. सामाजिक सुरक्षा

6. Social Security

सारणी 6.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 शक्ति से चलने वाले उन गैर- मौसमी कारखानों, जिन में 10 या अधिक कर्मचारी और शक्ति से न चलने वाले उन कारखानों जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी नियुक्त है, में लागू होता है।

अधिनियम में एक योग्य व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 'उपयुक्त सरकार' अधिनियम की व्यवस्था अन्य श्रेणियों की संस्थापनाओं -औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिय एवं अन्य हेतु भी विस्तृत कर सकती है। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बहुत सी राज्य सरकारों ने इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को संस्थापनाओं की नई श्रेणियों दुकानों, होटलों, रेस्तराओं, सिनेमा तथा थिएटरों, सड़क मोटर परिवहन उद्यमों और समाचार पत्र संस्थापनाओं, जिनमें 20 नियोजित अथवा अधिक कर्मकार हैं, में लागू किया गया है।

ई० एस० आई० स्कीम को शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू किया गया है एवं कुछ राज्यों द्वारा इससे संबंधित विज्ञपतीयां भी जारी की है। उन कारखानों/संस्थापनाओं के कर्मकार जिनकी मजदूरी 10,000 रु प्रतिमाह (01-10-2006 से प्रभावित) से अधिक नहीं हैं, उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

Table 6.1: The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to non-seasonal power using factories employing 10 or more persons and non-power using factories employing 20 or more coverable employees for wages.

The Act contains an enabling provision under which the 'appropriate government' is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments – industrial, commercial, agricultural or otherwise. Under these provisions most of the State Govts. have extended the provisions of the Act to new classes of establishments namely shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport undertakings and newspaper establishments employing 20 or more coverable employees.

The ESI Scheme has also been extended to Educational institutions and some of the States have already issued the notification in this regard. The employees of those factories/ establishments whose wages do not exceed Rs. 10,000 per month (w.e.f. 01-10-2006) are covered under the Act.

सारणी 6.2 : इ०पी०एफ० एवं एम० पी० अधिनियम, 1952 के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत नियोजकों और कर्मचारियों के द्वारा भुगतान की जाने वाली भविष्य निधि अंशदान की दर, प्रत्येक कर्मचारी जो अंशदाता है को दी जाने वाली मूल मजदूरी जमा मंहगाई भत्ता (किसी रियाती खाद्य के नकद मूल्य सहित) और प्रतिधारण भत्ते (यदि कोई हो) जो 10% थी को अधिनियम के एक संशोधन के द्वारा 22.9.1997 से बढ़ा कर, प्रत्येक कर्मचारी जो अंशदाता है, को दी जाने वाली मूल मजदूरी, मंहगाई भत्ता (किसी रियाती खाद्य के नकद मूल्य सहित) और प्रतिधारण भत्ते (यदि कोई हो) के 12 प्रतिशत बढ़ा दी गई है ।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

बढ़ी हुई 12% अंशदान की दर 181 उल्लिखित उद्योगों/ संस्थापनाओं की श्रेणी, जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति 31-03-2009 को नियोजित हैं, उन सभी संस्थापनाओं हेतु 22.9.1997 से लागू कर दी गई है। कुछ निश्चित संस्थापनाओं की श्रेणीओं जैसे की पटसन उद्योग, बीड़ी उद्योग, ईंट उद्योग, नारियल जटा उद्योग (कटाई क्षेत्र को छोड़कर), ग्वार गम उद्योग के लिए साधारण अंशदान की सामान्य दर 10% थी।

Table 6.2 : Through an amendment of the EPF & MP Act, 1952, w.e.f 22-9-1997 the rate of Provident Fund contributions payable by the employers and the employees under the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act which was 10% of basic wages, dearness allowance (including the cash value of any food concession) and retaining allowance (if any) payable to each employee who is a subscriber, has been raised to 12% of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of any food concession) and retaining allowance (if any) payable to each employee who is a subscriber.

The enhanced rate of contribution @ 12% is applicable w.e.f 22-09-1997 to establishments in 181 specified industries / class of establishments employing 20 or more persons as on 31-3-2009. For certain categories of establishments such as Jute industry, Beedi industry, Brick industry, Coir Industry (other than the spinning sector) and Gaur Gum factories, the normal rate of contribution is 10%.

सारणी 6.3 से 6.7 : अभ्रक, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों, बीड़ी और सिने उद्योगों में नियोजित कर्मकारों के लिए कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु श्रम कल्याण निधिओं सजित की गई है। अपने अपने अधिनियमों के अन्तर्गत कल्याण निधिओं स्थापित की गई है। उत्पादन अथवा खपत अथवा खनिजों के निर्यात, रुपक फिल्मों के उत्पादन और निर्मित बीडियों पर उपकर की उगाही के द्वारा निधिओं सजित की गई हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

Tables 6.3 to 6.7 : Labour Welfare funds are created to provide welfare facilities to the workers employed in Mica, Iron Ore, Manganese Ore, Chrome Ore, Limestone and Dolomite mines, Beedi and Cine Industry. Welfare Funds have been created under respective enactments. The funds have been created by levy of cess on production or consumption or export of the minerals, production of feature films and manufactured beedis.

सारणी 6.8 : कोयला खानों या उनसे संबद्ध कार्य में प्रत्यक्ष रूप में या ठेकेदारों द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी के लिए चाहे उसकी मजदूरी की प्रमात्रा कुछ भी हो, कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य बनाना आवश्यक है, यदि उसने कोयला खान में नियोजित होने की तारीख से 30 दिन की उपस्थिति पूरी कर ली हो। अनिवार्य अंशदान की दर कुल परिलब्धियों का 12 प्रतिशत है। कर्मचारियों के अनिवार्य अंशदान की कुल राशि के बराबर अंशदान देना नियोजकों के लिए भी आवश्यक है। यदि सदस्य चाहें तो वे अनिवार्य अंशदान के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान के रूप में अधिकतम 12 प्रतिशत का और अधिक अंशदान कर सकते हैं।

कोयला खान पारिवारिक पेंशन स्कीम 1971 का परिचालन बन्द हो गया है और इसकी जगह नई कोयला खान पेंशन स्कीम 1998 को 31 मार्च, 1998 से लागू कर दिया गया है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part- II)

Table 6.8 : Every employee in or in connection with Coal Mines, whether employed directly or through contractors, is required to become a member of the Coal Mines Provident Fund Scheme on putting 30 days attendance from the date he is employed in a Coal Mine irrespective of the quantum of his wages. The rate of compulsory contribution is 12% of the total emoluments. Employers are required to contribute an amount equal to the compulsory contribution of the employees. Members, if so desire , may make further contributions maximum of 12% as voluntary contribution in addition to the compulsory contributions.

The Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 has ceased to operate and has been replaced by the new Coal Mines Pension Scheme, 1998 which has come into force with effect from the 31st day of March, 1998.

संक्षेपण

अ० एवं नि० द्वीप समूह	अन्डेमान एवं निकोबार द्वीप समूह
नि० प्र० क्षेत्र	निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
के० श्र० शि० बो०	केन्द्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड
के० स० उ०	केन्द्रीय सरकार के उद्यम
के० ओ० स० तं०	केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र
मु० श्र० आ० (के०)	मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
को० खा० भ० नि० आ०	कोयला खान भविष्य-निधि आयुक्त
के० भ० नि० आ०	केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त
के० सां० सं०	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
म० नि० रो० एवं प्र०	महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
म० नि० का० स० से० एवं श्र० सं०	महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान
म० नि० श्र० क०	महानिदेशक, श्रम कल्याण
म० नि० खा० सु०	महानिदेशक, खान सुरक्षा
म० नि० डा० ता०	महानिदेशक, डाक व तार
क० रा० बी० नि०	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
भा० स० बी० (सा० क्षेत्र) सं०	भारतीय सामान्य बीमा (सार्वजनिक क्षेत्र) संघ
अ० श्र० सम्०	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन
अ० श्र० सं०	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
जी० बी० नि०	जीवन बीमा निगम
म० टे० नि० लि०	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
रा० प्र० स० सं०	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
भा० रि० बै०	भारतीय रिजर्व बैंक
सं० रा०	संयुक्त राष्ट्र
क० औ० व० न०	कहीं और वर्गीकृत नहीं

ABBREVIATIONS

A.P.	Andhra Pradesh
A & N Islands	Andaman and Nicobar Islands
CBWE	Central Board for Workers Education
CGU	Central Government Undertaking
CIRM	Central Industrial Relations Machinery
CLC(C)	Chief Labour Commissioner (Central)
CMPFC	Coal Mines Provident Fund Commissioner
CPFC	Central Provident Fund Commissioner
CSO	Central Statistical Organisation
D & Diu	Daman & Diu
DGE&T	Director General Employment and Training
DGFASLI	Director General Factory Advice Service and Labour Institute
DGLW	Director General Labour Welfare
DGMS	Director General Mines Safety
D & N Haveli	Dadra and Nagar Haveli
DGP&T	Director General Posts and Telegraphs
ESIC	Employees' State Insurance Corporation
EPZ	Export Processing Zone
GIPSAI	General Insurance (Public Sector) Association of India
H.P.	Himachal Pradesh
ILC	International Labour Conference
ILO	International Labour Organisation
J&K	Jammu and Kashmir
LIC	Life Insurance Corporation
M P	Madhya Pradesh
MTNL	Mahanagar Telephone Nigam Limited
NSSO	National Sample Survey Organisation
RBI	Reserve Bank of India
UN	United Nations
UP	Uttar Pradesh
NEC	Not elsewhere classified

लघु पुस्तिका की सारणियों में प्रयुक्त संकेत
**SYMBOLS USED IN THE TABLES OF THE POCKET
BOOK**

-	शून्य या नगण्य Nil or negligible
..	अनुपलब्ध Not available
*	अनन्तिम Provisional
@	500 से कम Less than 500
£	संशोधित Revised

पूर्णांक करने की प्रक्रिया के कारण सम्भवतः सारणियों के आंकड़ों के योगफल न मिलते हों।

The totals of the figures in the tables may not necessarily tally due to rounding off

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण संकेतांक 1998 एवं 2004 का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

The description of the NIC Codes 1998 and 2004 are given in Annexure

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 1998 एवं 2004+)

NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 1998 & 2004+)

सारणीय वर्गी- करण Tabu- lation Cate- gory	श्रेणी Divi- sion	वर्गीकरण Classification
1	2	3
क		कृषि, आखेट और वन कार्य
A		Agriculture, hunting, and forestry
	01	कृषि, आखेट एवं इससे सम्बंधित सेवा कार्यकलाप Agriculture, hunting and related service activities
	02	बागवानी, लागिंग तथा इससे सम्बंधित कार्यकलाप Forestry, logging and related service activities
ख		मछली पालन
B		Fishing
	05	मछली पालन, मछली अंडज उत्पत्तिशाला तथा मछली कार्यों का प्रचालन Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms; service activities incidental to fishing
	05+	मछली पालन, जलजीव संवर्धन एवं मछली पालन से संबंधित सेवा कार्यकलाप Fishing, aquaculture and service activities incidental to fishing
ग		खनन एवं उत्खनन
C		Mining and quarrying

1	2	3
	10	कोयले का खनन तथा लिग्नाईट और मोती निकालना Mining of coal and lignite; extraction of peat
	11	कच्चे पेट्रॉल की निकासी एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन, तेल एवं प्राकृतिक गैस की निकासी की सेवा क्रियाकलाप, पर्यवलोकन के अलावा Extraction of crude petroleum and natural gas; service activities incidental to oil and gas extraction, excluding surveying
	12	यूरेनियम एवं थोरियम अयस्कों का खनन Mining of uranium and thorium ores
	13	धात्विक अयस्कों का खनन Mining of metal ores
	14	अन्य खनन एवं उत्खनन Other mining and quarrying
घ		विनिर्माण
D		Manufacturing
	15	खाद्य उत्पाद एवं पेय विनिर्माण Manufacture of food products and beverages
	16	तम्बाकू उत्पाद विनिर्माण Manufacture of tobacco products
	17	वस्त्र विनिर्माण Manufacture of textiles
	18	परिधान विनिर्माण, फर की रंगाई एवं सज्जा Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur
	19	चमड़ा सिलाना और ड्रेसिंग, सामान, हैंडबैग, जीनसाजी, साज और पादुका विनिर्माण

1	2	3
		Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear
20	लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों तथा फर्नीचर के अतिरिक्त कार्क का विनिर्माण, घास फूस और चादर सामग्री की वस्तुओं का विनिर्माण	Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
21	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of paper and paper products
22	लिपिबद्ध किए गए मीडिया को प्रकाशन, मुद्रण एवं पुनर्प्रस्तुतिकरण	Publishing, printing and reproduction of recorded media
23	कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों और न्यूक्लियर ईंधन का विनिर्माण	Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel
24	रसायनों एवं रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of chemicals and chemical products
25	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of rubber and plastics products
26	अन्य अघातु खनिज उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of other non-metallic mineral products
27	मूल धातुओं का विनिर्माण	Manufacture of basic metals
28	मशीनरी और उपस्कर के अतिरिक्त फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
29	मशीनरी और उपस्कर का विनिर्माण क० औ० व० न०	

1	2	3
		Manufacture of machinery and equipment N.E.C.
30	कार्यालय, परिकलन और संगणन मशीनरी का विनिर्माण	Manufacture of office, accounting and computing machinery
31	विद्युत मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण क० औ० व० न०	Manufacture of electrical machinery and apparatus N.E.C.
32	रेडियो, दूरदर्शन और संचार उपस्कर और उपकरण का विनिर्माण	Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus
33	चिकित्सा, सूहमता और प्रकाशिक यन्त्रों, घड़ियों और दीवार घड़ियों का विनिर्माण	Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks
34	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों का विनिर्माण	Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
35	अन्य परिवहन उपस्कर का विनिर्माण	Manufacture of other transport equipment
36	फर्नीचर का विनिर्माण, विनिर्माण क० औ० व० न०	Manufacture of furniture; manufacturing N.E.C.
37	रिसाइकिलिंग	Recycling
ङ	विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	
E	Electricity, gas and water supply	
40	विद्युत, गैस, भाप और गर्म जल आपूर्ति	Electricity, gas steam and hot water supply
41	जल का एकत्रण, शुद्धीकरण और वितरण	

1	2	3
		Collection, purification and distribution of water
च		निर्माण
F		Construction
	45	निर्माण Construction
छ		थोक और परचून व्यापार, मोटर वाहनों, मोटर साइकिलों और व्यक्तिगत एवं घरेलु वस्तुओं की मरम्मत
G		Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods
	50	मोटर वाहनों और मोटर साइकिलों का विक्रय रखरखाव और इंधन का खुदरा विक्रय Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel
	51	थोक व्यवसाय और कमीशन व्यवसाय - मोटर वाहनों और मोटर साइकिलों को छोड़कर Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles
	52	मोटर वाहनों और मोटर साइकिलों को छोड़कर खुदरा व्यवसाय, व्यक्तिगत और पारिवारिक वस्तुओं की मरम्मत Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods
ज		होटल और रेस्टोरेंट
H		Hotels and restaurants
	55	होटल और रेस्टोरेंट Hotels and restaurants

1	2	3
झ	परिवहन, भण्डारण और संचार	
I	Transport, storage and communications	
60	भूतल परिवहन, पाइप लाईन के द्वारा परिवहन Land transport; transport via pipelines	
61	जल परिवहन Water transport	
62	वायु परिवहन Air transport	
63	सहायक और अतिरिक्त परिवहन कार्यकलाप Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies	
64	डाक एवं दूरसंचार Post and telecommunications	
ञ	वित्तीय मध्यस्थता	
J	Financial intermediation	
65	वित्तीय मध्यस्थता, बीमा और पेंशन निधिकरण के अतिरिक्त Financial intermediation, except insurance and pension funding	
66	बीमा और पेंशन निधिकरण, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर Insurance and pension funding, except compulsory social security	
67	वित्तीय मध्यस्थता हेतु सहायक कार्यकलाप Activities auxiliary to financial intermediation	
ट	स्थावर भूसम्पत्ति, किराया और व्यापार कार्यकलाप	
K	Real estate, renting and business activities	

1	2	3
	70	स्थावर भूसम्पत्ति कार्यकलाप Real estate activities
	71	बिना संचालक के मशीनरी और उपकरण तथा वैयक्तिक एवं पारिवारिक चीजें किराये पर देना Renting of machinery and equipment without operator and of personal and household goods
	72	कम्प्यूटर एवं संबद्ध कार्यकलाप Computer and related activities
	73	अनुसंधान और विकास Research and development
	74	अन्य व्यापार कार्यकलाप Other business activities
ठ L		लोक प्रशासन और रक्षा, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा Public administration and defence, compulsory social security
	75	लोक प्रशासन और रक्षा, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा Public administration and defence; compulsory social security
ड M		शिक्षा Education
	80	शिक्षा Education
ढ N		स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य Health and social work
	85	स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य Health and social work

1	2	3
ण	अन्य समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा कार्यकलाप	
O	Other community, social and personal service activities	
90	वाहित मल एवं मल व्ययन, साफ सफाई एवं समरूप गतिविधियां Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities	
91	सदस्य संगठनों की गतिविधियां क० औ० व० न० Activities of membership organizations N.E.C.	
92	मनोरंजन, सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा कार्यकलाप Recreational, cultural and sporting activities	
93	अन्य सेवा कार्यकलाप Other service activities	
त	निजी नियोजित व्यक्तियों वाले परिवार	
P	Private households with employed persons	
95	नियोजित व्यक्तियों वाले निजी परिवार Private households with employed persons	
त +	निजी परिवारों द्वारा समरूप उत्पादन किम्राकलाप एवं निजी परिवारों की नियोक्ता के रूप में किम्राकलाप	
P+	Activities of private households as employers and undifferentiated production activities of private households	
95+	घरेलु कर्मचारीओं के नियोक्ता के निजी परिवारों के कार्यकलाप Activities of private households as employers of domestic staff	
96+	निजी परिवारों द्वारा स्वयं के प्रयोग हेतु अभिन्न पदार्थों के उत्पादन सम्बन्धी कार्यकलाप Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use	

1	2	3
97+	निजी परिवारों द्वारा स्वयं के प्रयोग हेतु अभिन्न सेवाओं के उत्पादन सम्बन्धी कार्यकलाप Undifferentiated service-producing activities of private households for own use	
थ Q	अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठन और निकाय Extra-territorial organisations and bodies	
99	अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठन और निकाय Extra-territorial organizations and bodies	

स्रोत : के० स० स०

Source : CSO

+ रा०औ०व० 2004 में दर्शाई गई भिन्न व्याख्या

+ Different description shown in NIC 2004

आई एस एन ISSN 0971 5398

© भारत सरकार

पी डी एल बी 163.2009 (द्विभाषी)

© Government of India

PDLB. 163.2009 (Bilingual)

प्रकाशन नियंत्रक

250 - 2010 (डी एस के-III)

Controller of Publication

250 - 2010 (DSK-III)

Price : Rs. 80.00

मुल्य : Rs. 80.00

2010

श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा रूपांकन एवं संघटन किया गया

प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइंज, दिल्ली के लिए

मुद्रण इकाई, श्रम ब्यूरो शिमला 171 004 के द्वारा मुद्रित

Designed and Composed by Labour Bureau, Shimla

Printed by Printing Unit, Labour Bureau, Shimla 171004

For Controller of Publications, Civil Lines, Delhi